

336.51

Aug 25

1968

राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय  
NATIONAL ARCHIVES LIBRARY

भारत सरकार  
Government of India

नई दिल्ली  
New Delhi

आह्वानांक Call No. 336.54/Au21

अवाप्ति सं० Acc. No. 64664

17/4/69

960



केन्द्रीय सरकार


# लेखापरीक्षा रिपोर्ट

( सिविल )

राजस्व प्राप्तियां

Sub. 1059/2183

1968



मैंने हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार की गई इस रिपोर्ट को  
देखा है और मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रस्तुत  
पाठ अंग्रेजी पाठ के अनुरूप है ।

ए० चन्द्रहासन  
निदेशक  
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय  
( शिक्षा मंत्रालय )

## विषय सूची

राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, 1968

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		
पहला अध्याय		
सामान्य	1 से 8	1 से 15
दूसरा अध्याय		
सीमाशुल्क प्राप्तियां	9 से 18	16 से 23
तीसरा अध्याय		
संघीय उत्पादन शुल्क	19 से 38	24 से 38
चौथा अध्याय		
आय कर	39 से 66	39 से 72
पांचवा अध्याय		
अन्य राजस्व प्राप्तियां	67 से 76	73 से 85

## प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

इस रिपोर्ट में मुख्यतः चार प्रमुख राजस्व शीर्षों के लेखाओं की लेखापरीक्षा क परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। इन शीर्षों के नाम हैं : सीमा शुल्क, संघ उत्पादन शुल्क, निगम कर और आय-कर। रिपोर्ट का विषय क्रम इस प्रकार है :-

- (i) पहले अध्याय में राजस्व की स्थिति और प्रमुख राजस्व शीर्ष, मोटे तौर पर कर-राजस्व और गैर-राजस्व के रूप में वर्गीकृत है। इस अध्याय में प्रमुख राजस्व के मुख्य शीर्षों से संबंधित बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के अन्तर की चर्चा की गई है।
- (ii) दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायों में सीमा शुल्क, संघ उत्पादन शुल्क और आय-कर की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के दौरान सामने आई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है।
- [(iii) पांचवें अध्याय में अन्य राजस्व प्राप्तियों पर विचार किया गया है। !

इस रिपोर्ट में जिन बातों पर प्रकाश डाला गया है वे नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई थीं। उनका आशय यह नहीं है और न ही उनका ऐसा अर्थ लगाया जाए कि वे सम्बन्धित विभागों की कार्य प्रणाली पर किसी प्रकार का सामान्य आक्षेप व्यक्त करती हैं।

## राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, 1968

### पहला अध्याय

#### सामान्य

#### राजस्व स्थिति और राजस्व के प्रमुख शीर्ष

1966-67 वर्ष के लिए भारत सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2711.38 करोड़ रुपए के प्रत्याशित राजस्व के मुकाबले में 2,731.04 करोड़ रुपए हुईं। इस प्रकार, वजट अनुमानों से 19.66 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए। उक्त वर्ष के दौरान वसूल किया गया राजस्व 1965-66 के राजस्व से 240.72 करोड़ रुपए अधिक हुआ। 2,731.04 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियों में से 2,158.95 करोड़ रुपए "कर राजस्व" के अधीन प्राप्तियाँ हैं। बाकी "कर इतर राजस्व" से प्राप्तियाँ हैं।

2. 1966-67 के दौरान और उससे पहले के चार वर्षों से संबंधित वास्तविक आंकड़ों का मुख्य शीर्षवार विश्लेषण नीचे दिया गया है —

(सारणी अगले पृष्ठ पर देखिए)



1 2 3 4 5 6 7

(करोड़ रुपयों में)

कर राजस्व							
I	सीमा शुल्क	245.96	334.75	397.50	538.97	585.37	339.41
II	संघ उत्पादन शुल्क	598.83	729.58	801.51	897.92	1033.77	434.94
III	निगम कर	220.06	287.30	313.64	304.84	330.80	110.74
IV	निगम कर से भिन्न आय पर कर	92.13*	126.29*	143.16*	148.46*	169.53*	77.40
V	सम्पदा शुल्क	0.06	0.42	(-) 1.35	(-) 0.13	1.72	1.66
VI	सम्पत्ति पर कर	9.54	10.50	10.52	12.06	10.73	1.19
VII	व्यय कर	0.20	0.13	0.44	0.42	0.08	(-) 0.12
VIII	उपहार कर	0.97	1.13	2.22	2.27	1.75	0.78
X	राज्य उत्पादन शुल्क	2.26	1.62	1.44	1.67	2.49	0.23
XII	बिक्री कर	6.65	9.01	11.23	12.54	15.97	9.32
XIII	अन्य कर और शुल्क	2.96	3.22	3.52	4.62	5.19	2.23
	अन्य मदें	1.27	1.42	1.32	1.52	1.55	0.28
	जोड़ (कर राजस्व)	1180.89	1505.37	1685.15	1925.16	2158.95	978.06

XIV	स्टाम्प	4.84	4.81	4.85	5.24	5.73	0.89
XVI	ग्वाज	163.23	243.56	257.29	307.67	377.48	224.25
XX	भूति और न्ययन	4.03	5.91	6.16	6.65	7.39	3.36
XXI	विविध विभाग	1.70	1.49	1.87	1.61	2.16	0.46
XXV	कृषि	1.55	1.61	1.80	1.99	1.80	0.25
XXIX	उद्योग	35.04	16.05	12.72	6.51	4.12	(-) 30.92
XXX	प्रसारण	4.01	5.55	6.27	3.52	6.99	2.98
XXXII	विविध सामाजिक और वकासिक संगठन	4.63	4.68	4.81	5.08	6.42	1.79
XXXVII	लोक निर्माणकार्य	3.75	4.46	4.93	4.58	5.62	1.87
XLI	प्रकाश घर और प्रकाश पीत	1.01	1.11	1.33	1.23	1.50	0.49
XLII	विमानन	1.65	1.75	2.12	2.52	3.33	1.78
XLIV	समुद्र पार संचार सेवा	2.51	2.34	3.39	3.47	3.51	1.00
XLV	मुद्रा और सिक्के	53.46	53.82	51.86	61.02	65.11	11.65
XLVI	क. कोलार सीता-खान	0.54	1.93	1.58	2.49	2.61	2.07
XLVIII	पेंशनो और दूसरे सेवा निवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसुलियाँ	1.95	1.14	2.39	0.97	1.09	(-) 0.86
L	अफीम	3.57	3.52	3.64	3.36	5.03	1.46
LI	वन	4.42	2.24	2.22	2.01	2.03	(-) 2.39

\* इसमें राज्यों के नाम डाला जा सकने वाला हिस्सा शामिल नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
LII विविध	17.18	13.30	14.84	19.90	16.25	(-) 0.93
LIII रेलवे से अंशदान	20.37	24.82	23.25	25.90	30.76	10.39
LIV डाक-तार से अंशदान	0.77	1.22	1.44	1.15	—	(-) 0.77
VIII वाणिज्यिक और अन्य उपक्रमों से लाभान्श	3.74	4.37	6.89	6.65	7.86	4.12
LX असाधारण प्राप्तियाँ	54.86	63.20	122.46	60.64	5.50	(-) 49.36
LXIक. राष्ट्रीय आपात स्थिति से संबंधित प्राप्तियाँ	19.25	31.37	0.56	26.02	2.73	(-) 16.52
अन्य मदें	6.45	5.28	5.26	4.98	7.07	0.62
टोड़ (कर इतर राजस्व)	404.41	499.53	543.93	565.16	572.09	167.68
कुल प्राप्तियाँ (कर और कर इतर राजस्व)	1585.30	2004.90	2229.08	2490.32	2731.04	1145.74

### 3. वास्तविक आंकड़ों और बजट अनुमानों के बीच अन्तर

बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच 19.66 करोड़ रुपए का अन्तर, कर राजस्व में 16.31 करोड़ रुपए और कर इतर राजस्व में 3.35 करोड़ रुपए की अधिक रकमों से बनता है। 1966-67 को समाप्त हुए पांच वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिखाए गए हैं :—

#### (क) कर राजस्व

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर	अन्तर की प्रतिशतता
(करोड़ रुपयों में)				
1962-63	998.75	1180.89	182.14	18.24
1963-64	1356.33	1505.37	149.04	10.99
1964-65	1573.56	1685.15	111.59	7.09
1965-66	1817.82	1925.16	107.34	5.91
1966-67	2142.64	2158.95	16.31	0.76

#### (ख) कर इतर राजस्व

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर	अन्तर की प्रतिशतता
(करोड़ रुपयों में)				
1962-63	382.18	404.41	22.23	5.82
1963-64	479.85	499.53	19.68	4.11
1964-65	550.74	543.93	(-)6.81	(-)1.24
1965-66	528.04	565.16	37.12	7.03
1966-67	568.74	572.09	3.35	0.59

### 4. बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के अन्तर के कारण (कर राजस्व)

यद्यपि करों और शुल्कों के हिसाब में उगाहे गये सभी राजस्वों के बजट प्राक्कलनों और वास्तविक आंकड़ों के बीच कुल निवल अन्तर 16.31 करोड़ रुपए है तथापि जहाँ तक बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के अन्तर का उत्पादन शुल्कों, निगम कर और निगम कर से भिन्न दूसरी

आय पर करों के खास-खास कर-राजस्व के अन्तर्गत दर्ज वास्तविक आंकड़ों का असल अन्तर 14.16 करोड़ रुपए बनता है। आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	वजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर	अंतर की प्रतिशतता
(करोड़ रुपयों में)				
I सीमा शुल्क	560.20	585.37	25.17	4.49
II* संघ उत्पादन शुल्क	1010.59	1033.77	23.18	2.29
III निगम कर	372.07	330.80(—)	41.27 (—)	11.09
IV* निगम कर से भिन्न आय पर कर	162.45	169.53	7.08	4.36

\*इसमें राज्यों के बीच बाँटा जाने वाला निवल प्रागमों का हिस्सा शामिल नहीं है।

### I सीमा शुल्क

1966-67 के वजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच अन्तर की मात्रा पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम हो गई है। 1962-63 से 1966-67 तक की अवधि के वजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच के अन्तर नीचे दिए जा रहे हैं :—

वर्ष	वजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर	अंतर की प्रतिशतता
(करोड़ रुपयों में)				
1962-63	207.82	245.96	38.14	18.35
1963-64	301.20	334.75	33.55	11.14
1964-65	336.37	397.50	61.13	18.17
1965-66	419.50	538.97	119.47	28.48
1966-67	560.20	585.37	25.17	4.49

### II संघ उत्पादन शुल्क

“II संघ उत्पादन शुल्क” शीर्ष के अधीन कुल वजट अनुमान 1,010.59 करोड़ रुपये थे जहाँ कि वास्तविक आंकड़े 1,033.77 करोड़ रुपए बने, इस प्रकार 23.18 करोड़ रु० की वृद्धि दिखाई

दी। यह वृद्धि 2.29 प्रतिशत बनती है। 1962-63 से 1966-67 तक के बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के आँकड़े ये हैं :—

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आँकड़े	अन्तर	अंतर की प्रतिशतता
(करोड़ रुपयों में)				
1962-63	525.07	598.83	73.76	14.05
1963-64	696.34	729.58	33.24	4.77
1964-65	769.54	801.51	31.97	4.15
1965-66	819.19	897.92	78.73	9.61
1966-67	1010.59	1033.77	23.18	2.29

### III निगम कर और IV आय कर, आदि

1966-67 के दौरान, "III निगम कर" शीर्ष के अधीन वास्तविक आय बजट अनुमानों से कम रही जब कि "IV आय कर, आदि" शीर्ष के अधीन वास्तविक आय बजट अनुमानों से अधिक हुई। उपर्युक्त शीर्षों के अधीन वर्ष 1962-63 से 1966-67 तक की अवधि के आँकड़े निम्नलिखित हैं :—

(सारणी अगले पृष्ठ पर देखिए)

वर्ष	बजट अनुमान		वास्तविक आंकड़े		अन्तर		अन्तर की प्रतिशतता		
	III निगम कर	IV आय पर कर*	'क'	'ख'	'क'	'ख'	'क'	'ख'	
(करोड़ रुपयों में)									
1962-63	178.45	68.65	220.06	92.13	41.61	23.48	23.32	34.20	
1963-64	222.00	120.05	287.30	126.29	65.30	6.24	29.41	5.19	
1964-65	296.67	139.79	313.64	143.16	16.97	3.37	5.72	2.41	
1965-66	371.60	170.23	304.84	148.46	(-) 66.76	(-) 21.77	(-) 17.97	(-) 12.79	
1966-67	372.07	162.45	330.80	169.53	(-) 41.27	7.08	(-) 11.09	4.36	

\*राज्यों के लिए नियत हिस्सों को छोड़कर ।

'क' "III निगम कर" के अधीन आंकड़ों को दर्शाता है ।

'ख' "IV आय पर कर" के अधीन, राज्यों के लिए हिस्से को घटाकर, आंकड़ों को दिखाता है ।

1965-66 और 1966-67 के वर्षों के लिए, विभिन्न लघु शीर्षों के अधीन अन्तरों के ब्योरे नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

	1965-66			अन्तर की प्रतिशतता	1966-67			अन्तर की प्रतिशतता
	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	वृद्धि (+) कमी (—)		बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	वृद्धि (+) कमी (—)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III निगम कर</b>								
(i) साधारण वसूलियाँ*	3,54,10	2,86,62	(-) 67,48	(-) 19.06	3,62,72	3,16,60	(-) 46,12	(-) 12.72
(ii) अधिक लाभ कर	—	—	—	—	—	3	(+) 3	—
(iii) व्यापार लाभ कर	—	4	(+) 4	—	—	—	—	—
(iv) अधि-कर (सर टैक्स)	15,50	17,04	(+) 1,54	9.94	8,85	12,59	(+) 3,74	42.26
(v) अधि-लाभ कर	2,00	1,14	(-) 86	(-) 43.00	50	1,58	(+) 1,08	2,16.00
जोड़	3,71,60	3,04,84	(-) 66,76	(-) 17.97	3,72,07	3,30,80	(-) 41,27	(-) 11.09

\*“साधारण वसूलियों” के सामने दिखाए गए वास्तविक आंकड़ों में, लघु शीर्ष “विविध” के अधीन हुई प्राप्तियाँ भी शामिल हैं।



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV. निगम कर से भिन्न आय कर</b>								
(i) साधारण वसूलियां@	2,80,39	2,63,34	(-) 17,05	(-) 6.08	2,59,80	2,94,70	(+) 34,90	13.43
(ii) अधिभार (संच)	8,07	4,43	(-) 3,64	(-) 45.11	31,60	6,47	(-) 25,13	(-) 79.53
(iii) अधिभार (विशेष)	1,04	1,56	(+) 52	50.00	50	3,69	(+) 3,19	638.00
(iv) अतिरिक्त अधिभार (संच)	2,00	2,63	(+) 63	31.50	1,00	1,66	(+) 66	66.00
(v) अधिक लाभ कर	—	—	—	—	—	7	(+) 7	—
(vi) व्यापार लाभ कर	—	(-) 16	(-) 16	—	—	4	(+) 4	—
राज्यों के लिए नियत निवल आगमों का हिस्सा	(-) 1,21,27	(-) 1,23,34	(-) 2,07	1.7	(-) 1,30,45	(-) 1,37,10	(-) 6,65	5.09
<b>जोड़</b>	<b>1,70,23</b>	<b>1,48,46</b>	<b>(-) 21,77</b>	<b>(-) 12.79</b>	<b>1,62,45</b>	<b>1,69,53</b>	<b>(+) 7,08</b>	<b>4.36</b>

@ "सामान्य वसूलियां" के सामने दिए गए वास्तविक आंकड़ों में लघु शीर्षों "विविध" और "ब्रिटेन में प्रभार" के अधीन हुई प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

ऊपर की सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि निम्नलिखित शीर्षों के अधीन बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच बड़े अन्तर हैं :—

1. अधिकर
2. अधिलाभ कर
3. अधिभार (संघ)
4. अधिभार (विशेष)
5. अतिरिक्त अधिभार (संघ)

5. बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़ों (अन्य कर राजस्व) के बीच अन्तर

“V सम्पदा कर” और “VIII दानकर”—शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 की वास्तविक आय बजट अनुमानों से बढ़ गई जबकि “VI सम्पत्ति कर” के अधीन वास्तविक आय बजट अनुमानों से बहुत कम हुई। 1962-63 से 1966-67 की अवधि के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर	अन्तर की प्रतिशतता
(करोड़ रुपयों में)				
<b>सम्पदा शुल्क*</b>				
1962-63	0.12	0.06 (—)	0.06 (—)	50.00
1963-64	0.12	0.42	0.30	250.00
1964-65	0.18 (—)	1.35 (—)	1.53 (—)	850.00
1965-66	0.22 (—)	0.13 (—)	0.35 (—)	159.08
1966-67	0.30	1.72	1.42	473.33
<b>सम्पत्ति कर--</b>				
1962-63	7.00	9.54	2.54	36.29
1963-64	9.40	10.50	1.10	11.70
1964-65	10.20	10.52	0.32	3.14
1965-66	13.50	12.06 (—)	1.44 (—)	10.67
1966-67	14.00	10.73 (—)	3.27 (—)	23.36

\*निवल आंकड़े दर्शाते हैं।

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर	अन्तर की प्रतिशतता
उपहार कर			(करोड़ रुपयों में)	
1962-63	0.85	0.97	0.12	14.12
1963-64	0.95	1.13	0.18	18.95
1964-65	3.10	2.22	(-) 0.88	(-) 28.39
1965-66	3.10	2.27	(-) 0.83	(-) 26.77
1966-67	1.29	1.75	0.46	35.66

### 6. कर इतर राजस्वों के बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का अन्तर

1966-67 वर्ष के कुछ कर इतर राजस्व शीर्षों के अर्थात् वास्तविक आंकड़ों और बजट अनुमानों के बीच के अन्तर के कारण नीचे बताया गए हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर	अन्तर के कारण
1. ब्याज	360.62	377.48	16.86	मुख्यतः (i) सन् 1965-66 और उससे पहले के वर्षों के ब्याज की बकाया रकमों को शामिल करने; (ii) राज्य क्षेत्रों के उपक्रमों से ज्यादा प्राप्तियों; और (iii) 1965-66 के अन्त में रेलवे विभाग प्रभार-पर-पूँजी में वृद्धि के कारण हैं।
2. विविध	10.00	16.25	6.25	मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा (बिना खर्च) अनुदानों की वापसी, विनिमय-प्रप्तियां जमा रकमों की बेदावेदारी, सरकारी लेखा परीक्षा की फीसों की गैर वसूली इत्यादि और पुनर्वास प्राप्तियों के फलस्वरूप बढ़ी हुई प्राप्तियां।

मुख्य शीर्ष	वज्र अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर	अन्तर के कारण
3. राष्ट्रीय आपात स्थिति से सम्बन्धित प्राप्तियां	6.50	2.73	(-) 3.77	मुख्यतः (i) "आपात जोखिम बीमा योजनाओं" के अधीन पालसियों के प्रीमियम की वसूली को निलम्बित करने (ii); युद्ध जोखिम मैराइन (हलस) पुनः बीमा योजना के अधीन प्रीमियम घटाने; और (iii) बकाया रकमों की प्रत्याशा से कम वसूली के कारण हैं।
4 वाणिज्यिक और दूसरे उपक्रमों से लाभांश इत्यादि	6.56	7.86	1.30	मुख्यतः भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए "लेवे पर भुगतान" के कारण।

#### 7. कर साख पत्र

लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सिविल) राजस्व प्राप्तियां 1967 के पैरा 7 में दी गई चार योजनाओं के अलावा एक योजना "कर साख पत्र (औद्योगिक उपक्रम स्थानान्तरण योजना 1967)" के नाम से पहली सितम्बर, 1967 से अमल के लिए तैयार की गई है।

अगले पृष्ठ पर दी गई सारणी में विभिन्न कर साख-पत्र योजनाओं के अधीन 31 अगस्त, 1967 तक जारी किए गए साख-पत्रों की कुल संख्या और मंजूर की गई या समायोजित वापसियों की कुल रकम (जैसा कि मंत्रालय ने सूचित किया है) के आंकड़े दिए गए हैं।

	1965-66			1966-67				1967-68 (31-8-1967 तक)				
	क०स०प० निर्यात योजना	क०स० प० ईक्विटी शेयर योजना	क०स० प० निगम कर योजना	क०स० प० अधिक निकासी योजना पर उत्पादन शुल्क	क०स०प० निर्यात योजना	क०स० प० ईक्विटी शेयर योजना	क०स० प० निगम कर योजना	क०स० प० अधिक निकासी योजना पर उत्पादन शुल्क	क०स०प० निर्यात योजना	क०स० प० ईक्विटी शेयर योजना	क०स० प० निगम कर योजना	क०स० प० अधिक निकासी योजना पर उत्पादन शुल्क
1. जारी किए गए कर साख पत्रों की संख्या	4,802	कुछ नहीं	कुछ नहीं	27	68,901	1,625	नहीं मिली	17*	11,547	1,475	नहीं मिली	—
2. कितनी रकम हुई (I) रु०	154.53	कुछ नहीं	कुछ नहीं	70.11	1,025.92	2.56	नहीं मिली	37.91†	245.29	2.05	नहीं मिली	—
3. कर साख पत्रों की रकम जिसमें इस वर्ष की कर देयता का समायोजन किया गया रु०	5.23	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	204.29	3.26	2.55	3.26	42.15	0.41	0.29	23.85
4. इस वर्ष वापिस की गई रकम रु०	34.40	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	681.89	0.09	—	2.29	258.61	0.11	—	1.18

\* 31-8-1967 तक जारी किए गए

† 31-8-1967 तारीख तक की रकम

8. राजस्व वसूली का बकाया\*

कर-राजस्वों के महत्वपूर्ण शीर्षों के अधीन 1966-67 के दौरान उगाहा गया कुल कर-राजस्व साथ ही 31 मार्च, 1967 तक बिना उगाही बाकी रकम इस प्रकार है :

	1966-67 के दौरान उगाहा गया राजस्व	31-3-67 तक न उगाहा गया बाकी राजस्व
	(करोड़ रुपयों में)	
(क) सीमा शुल्क . . . . .	585.37	0.71
(ख) संध उत्पादन शुल्क . . . . .	1033.77	16.07
(ग) निगम कर . . . . .	330.80	176.57
(घ) निगम कर से भिन्न आय पर कर . . . . .	169.53	345.37
(ङ) सम्पदा शुल्क . . . . .	1.72	9.21
(च) सम्पत्ति कर . . . . .	10.73	@2.30
(छ) व्यय कर . . . . .	0.08	@0.10
(ज) उपहार कर . . . . .	1.75	1.28

\*ये आंकड़े मंत्रालय ने दिए हैं।

@ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

**दूसरा अध्याय**  
**सीमाशुल्क प्राप्तियां**

9. वर्ष 1960-67 और वर्ष 1965-66 के दौरान सीमाशुल्क राजस्व से कुल प्राप्तियां नीचे दी जा रही हैं:—

	1966-67 रुपए	1965-66 रुपए
(क) आयात शुल्क . . . . .	4,79,20,30,873	5,47,69,45,473
(ख) निर्यात शुल्क . . . . .	1,22,91,33,435	2,13,96,740
(ग) विविध . . . . .	4,90,69,182	4,90,14,534
सकल राजस्व . . . . .	6,07,02,33,490	5,54,73,56,747
घटाइए—वापसियां और चुकौती (ड्राबैक)	21,65,80,160	15,76,83,798
निवल राजस्व . . . . .	5,85,36,53,330	5,38,96,72,949

वसूल किए गए सीमाशुल्क राजस्व में से अधिकांश आयातों से है। 1965-66 की तुलना में आयातों से होने वाली प्राप्तिओं में 68.49 करोड़ रुपए की कमी हो गई। इसके दूसरी ओर, निर्यातों से होने वाली आय में तेजी से वृद्धि हुई और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्राप्तियां 120.77 करोड़ रुपए अधिक रही। जबकि वापसियों और चुकौती (ड्राबैक) की राशि 1965-66 में 15.76 करोड़ रुपए थी, 1966-67 में वह 21.65 करोड़ रुपए हो गई।

10. विभिन्न सीमाशुल्क केन्द्रों की नमूना लेखापरीक्षा से सीमाशुल्क की कुल मिलाकर 7.24 लाख रुपए की कम उगाही और 3.20 लाख रुपए की अधिक उगाही प्रकाश में आई। इसके अतिरिक्त, आयातित "बकरे के कच्चे चमड़े" के दर-निर्धार्य मूल्य के गलत परिकलन का एक मामला और कार्यविधि में कुछ त्रुटियों का भी पता चला।

11. 7.24 लाख रुपए के अवनिर्धारण (अंडर एसेसमेंट) का वर्गीकरण निम्नलिखित है :-

	रुपए
1. प्रतिकर (काउंटरवेलिंग) शुल्क का न उगाहना . . . . .	3,15,943
2. निश्चित से कम दरों पर कर का निर्धारण . . . . .	2,47,104
3. टैरिफ के अधीन माल का गलत वर्गीकरण . . . . .	35,864
4. वापसियों चुकौतियों की अधिक अदायगी . . . . .	14,990
5. अन्य . . . . .	1,10,015
जोड़ . . . . .	7,23,916

“निश्चित से कम दरों पर कर-निर्धारण” के कारण अवनिर्धारणों में, पिछले वर्षों में पाए गए अवनिर्धारणों की तुलना में वृद्धि हुई है :—

	रुपए
1962-63 . . . . .	72,669
1963-64 . . . . .	34,929
1964-65 . . . . .	71,788
1965-66 . . . . .	1,10,616
1966-67 . . . . .	2,47,104

ऊपर किए गए वर्गीकरण के अनुसार त्रुटियों के कुछ प्रकारों के उदाहरण नीचे के पैराग्राफों में उल्लिखित हैं :—

## 12. प्रतिकर शुल्क (काउंटरवेलिंग इयूटी) का न उगाहना]

(i) एक बड़े बन्दरगाह पर, नवम्बर, 1965 में यूगोस्लाविया से आयातित पी० बी० सी० (पोलीवाइनाइल क्लोराइड केबलो), पोर्सैलीन इन्सुलेटरों, और बिजली मोटरों के एक परेषण पर भी, उस अन्य माल के साथ-साथ, जिस पर प्रति कर (काउंटरवेलिंग) शुल्क नहीं लगना था, सीमाशुल्क कार्यालय ने प्रतिकर (काउंटर वेलिंग) शुल्क नहीं लगाया। मार्च, 1966 में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया और सीमाशुल्क कार्यालय ने सामान पर कर का फिर से निर्धारण किया और मार्च, 1967 में 11,198 रुपए की कम उगाही गई राशि को वसूल किया।

(ii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 29(क) (1) के अधीन, जो बर्फ संयंत्र (आइस मेकर्स) साधारणतया तैयार संघटित यूनितों के रूप में बेचे जाते हैं अथवा बेचने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर आयात के समय प्रतिकर शुल्क (काउंटरवेलिंग शुल्क) लगना चाहिए। भारत सरकार ने अक्टूबर, 1962 में यह निर्णय लिया था कि यदि कोई पूरा प्रशीतन (रेफ्रीजरेशन) अथवा शीत भंडार संयंत्र (कोल्ड स्टोरेज प्लांट) विघटित रूप में आयात किया जाता है और उसमें किसी भी देशी पुर्जों को जोड़े बिना उसको केवल संयोजित कर देना भर आवश्यक होता है। तो ऐसा संयंत्र प्रतिकर शुल्क की उगाही के प्रयोजन के लिए मद 29क(1) अथवा (2) के अन्तर्गत आएगा।

एक बर्फ संयंत्र (आइस मेकिंग प्लांट) की प्रारम्भिक स्थापना के लिए अपेक्षित और सन् 1963 में एक बन्दरगाह होकर आयातित संघटक हिस्सों-पुर्जों और साधनों (एक्सेसरीज) पर प्रतिकर शुल्क लगाए बिना ही भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद संख्या 72(21) और मद संख्या 72(25) के उपबन्ध के अधीन कर निर्धारण कर लिया। यह बर्फ संयंत्र केवल प्रशीतन मशीन था और इसका आयात इस प्रकार से विघटित रूप में किया गया था कि उसमें कोई भी देशी पुर्जों को मिलाए बिना, जहां पर बर्फ संयंत्र लगाना था वहां पर हिस्सों-पुर्जों को जोड़ देने मात्र की आवश्यकता थी और इस कारण से 1962 में जारी किए गए भारत सरकार के स्पष्टीकरण की शर्तों के अनुसार प्रतिकर शुल्क लगाया जाना चाहिए था। इस बात की ओर ध्यान दिलाए जाने पर सीमाशुल्क कार्यालय ने उत्तर दिया कि यह बर्फ संयंत्र केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की मद 29(क) के अधीन नहीं आता था क्योंकि यह ऐसा था कि संयोजित यूनित के रूप में न तो साधारणतया बेचा जाता था और न ही बेचने के लिए पेश किया जाता था। फिर भी, सीमाशुल्क कार्यालय ने प्रतिकर शुल्क के न उगाहने के 10 मामलों में से 6 मामलों की बाबत 2.12 लाख रुपए



की मांग जारी की। प्रशीतन मशीनों पर प्रतिकर शुल्क के न उगाहे जाने का मालमा, उचित हिदायतों के तारी करने के लिए जून, 1965 में उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क के केन्द्रीय बोर्ड के सामने रखा गया। फरवरी, 1968 में मंत्रालय ने बताया कि बर्फ संयंत्रों पर प्रतिकर शुल्क की उगाही के व्यापक प्रश्न पर मंत्रालय में वचार किया जा रहा है।

(iii) संश्लिष्ट कार्बनिक रंजकद्रव्यों (सिन्थेटिक आर्गेनिक डाइस्टपस) (जिनमें पिगमेंट डाइस्टफ भी शामिल हैं) पर आयात के समय, सीमाशुल्क टैरिफ की उपयुक्त मद के अधीन सीमाशुल्क की उगाही के अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद संख्या 14ध के अधीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क भी लगाया जाना चाहिए।

किन्तु 29 अप्रैल, 1955 को भारत सरकार अधिसूचना के अनुसार पिगमेंट डाइस्टफों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त है। यद्यपि पिगमेंट रंजकद्रव्य, तेल और स्पिरिट में घुलनशील रंगों (रंजकद्रव्यों) से नितान्त भिन्न होते हैं, तथापि एक सीमाशुल्क कार्यालय में, सीमाशुल्क कार्यालय प्रयोगशाला की रिपोर्टों के आधार पर, तेल और स्पिरिट में घुलनशील रंगों को पिगमेंट रंजकद्रव्य मान कर उन पर प्रतिकर शुल्क की उगाही नहीं की जा रही थी। प्रयोगशाला रंजको (डाइज) के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को पिगमेंट रंजकद्रव्य बता रही थी और उनमें और तेल और स्पिरिट में घुलनशील रंजकद्रव्यों में कोई भेद नहीं कर रही थी।

अप्रैल, 1963 में आयातित 'मीथाइल वायोलेट बेस' (जो स्पिरिट में घुलनशील एक कोल तार रंजक है) के एक परेषण पर प्रतिकर की उगाही न किए जाने की शोर मई, 1963 में सीमाशुल्क कार्यालय का ध्यान आकर्षित किया गया और उगाही में कमी की राशि वसूल कर ली गई। इस पर भी, उस सीमाशुल्क कार्यालय ने अप्रैल, 1963 के बाद आयातित तेल और स्पिरिट में घुलनशील रंजको के अनेक परेषणों पर प्रतिकर शुल्क नहीं लगाया। जब यह बात कलेक्टर के ध्यान में लाई गई, तो उसने रूढ़ परिपाटी के आधार पर प्रतिकर शुल्क की उगाही न करने को उचित बताया। यह परिपाटी मार्च, 1966 में उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा हिदायतें जारी करने तक चलती रही। मार्च, 1966 तक तेल और स्पिरिट में घुलनशील रंजको पर प्रतिकर शुल्क न लगाने की परिपाटी के चलते रहने के कारण राजस्व की हानि हुई। इस हानि की ठीक-ठीक मात्रा की सूचना अभी सीमाशुल्क कार्यालय ने लेखापरीक्षा विभाग को नहीं दी है। लेखापरीक्षा विभाग के ध्यान में आए विशेष मामलों में यह राशि कुल मिला कर 10,122 रुपए बनती है।

### 13. निश्चित से कम दरों पर कर का निर्धारण

भारत सरकार की 13 जून, 1962 को कर छूट अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद संख्या 33 ख (i) के अधीन आने वाली दूर संचार की सभी तारों और केबलों पर यथामूल्य (एड वैलोरेम) 5 प्रतिशत की दर से उत्पादन शुल्क लगाया जाना चाहिए। दिसम्बर, 1964 में जारी किए गए एक परिपत्र में, भारत सरकार ने यह बात सुस्पष्ट रूप से कह दी थी कि 5 प्रतिशत की यह रियायती दर केवल उन्हीं दूरसंचार तारों और केबलों पर लागू करने के लिए थी जो दूरसंचार प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाए जा सकते थे अथवा वस्तुतः इस्तेमाल में लाए जाते थे और कि यह रियायती दर घरों में तार लगाने, आदि संभव उपयोगों, में इस्तेमाल होने वाली तारों और केबलों पर लागू नहीं होती थी। तदनुसार, मकानों-इमारतों के अन्दर दूरसंचार कनेक्शनों के लिए प्रयुक्त तारों और केबलों पर मानक दर पर ही शुल्क लगाया जाना चाहिए।

एक सीमाशुल्क कार्यालय में, आयातित तारों और केबलों के बारे में यह स्थापित किए बिना ही किन्ना वे भारत सरकार के दिसम्बर, 1964 के परिपत्र की शर्तों के अनुसार रियायत के लिए वस्तुतः हकदार भी हैं प्रथम नहीं, उन पर 5 प्रतिशत की रियायती दर पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क लगाया जाता रहा। सामने आए मामलों में, इस प्रकार मंजूर की गई रियायत की मात्रा कुल मिलाकर 1,19,100 रुपए बनती है। उसी सीमाशुल्क कार्यालय में, स्विच बोर्ड तारों पर भी, जिन पर रियायती दर लागू नहीं होती थी, यथामूल्य 5 प्रतिशत की दर से शुल्क का निर्धारण किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि 55,500 रुपए की कम उगाही (शौट लेवी) हुई।

अतिरिक्त सीमाशुल्क की कम उगाही की पुष्टि करते हुए, मंत्रालय ने कहा है कि दिसम्बर, 1964 का बोर्ड का परिपत्र सीमाशुल्क कलेक्टर को नहीं भेजा गया था और उसके बाद इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से सम्बन्धित सभी आदेशों की प्रतियां सीमाशुल्क कलेक्टरों को भी भेजी जायें।

#### 14. अन्य कारण

##### (i) व्यापारियों से समयोपरि फीसों की वसूली न किया जाना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अनुच्छेद 36 के अन्तर्गत, किसी सार्वजनिक छुट्टी के दिन अथवा किसी अन्य दिन कार्य समय के पश्चात्, निर्धारित नोटिस दिए बिना और निर्धारित फीस, यदि कोई हो, की अदायगी किए बिना, किसी भी सीमा-शुल्क केन्द्र पर व्यक्तिगत सामान अथवा ढाक के अलावा कोई भी सामान न तो सौंपा जा सकता है और न ही पास किया जा सकता है। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की एक अधिसूचना के अन्तर्गत, सुबह छह बजे से शाम के छह बजे तक का समय कार्य दिवसों में निःशुल्क सेवा का समय निर्धारित कर दिया गया है। यह देखा गया कि एक सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टर ने अप्रैल, 1964 में निदेश जारी किया कि यदि समयोपरि ड्यूटी पर तैनात केवल एक अकेला अधिकारी ही काम करे तो प्रत्येक अलग-अलग व्यापारी से फीसें अलग-अलग वसूल नहीं की जानी चाहिए। तदनुसार, जब एक ही अधिकारी अथवा एक ही क्लर्क एजेंट अनेक पार्टियों का कार्य करता था तब फीसें अलग-अलग पार्टियों से नहीं वसूल की जाती थीं। इसकी बजाय इस काम के लिए एक ही फीस वसूल की जाती थी। इस लिए, 10 अप्रैल, 1964 तक चली आ रही परिपाटी को बदल देने के कारण पूछे गए। इस पर कलेक्टर ने अगस्त, 1965 में एक संबन्धित आदेश जारी किया जिसमें प्रत्येक व्यापारी से निर्धारित दरों पर अलग-अलग से समयोपरि फीस की वसूली करने और साथ ही साथ यदि पार्टियाँ क्लर्क एजेंट के माध्यम से आएँ तो अलग-अलग पार्टियों से समयोपरि फीस की वसूली की हिदायतें दी गई थीं। इस संबंध में, अप्रैल, 1964 और अगस्त, 1965 के बीच परिपाटी में परिवर्तन के परिणामस्वरूप केवल छह अथवा सीमाशुल्क केन्द्रों में ही 37,305 रुए 75 पैसे की कम वसूली हो गई।

अनेक आयातकर्ताओं/निर्यातकर्ताओं की ओर से काम करने वाले निहासी एजेंटों (क्लर्क एजेंटों) से समयोपरि फीस की वसूली के मामले में अनुपकरण किए जाने वाले सिद्धान्त के बारे में सुझाव आदेशों के तहत के परिणामस्वरूप सीमाशुल्क केन्द्रों में विभिन्न परिपाटियाँ चल रही हैं।

##### (ii) बंधक भांडागारों (वेयर हाउस) से अप्रयुक्त माल की घरेलू उपयोग के लिये निहासी

एक सीमाशुल्क कार्यालय में यह देखा गया कि गोशाम में रवे गए माल के मूल्य की जो गणना की गई थी और जिसके पेशान से उठाए जाने के लिए प्रवेश से संबंधित निहासी

बंद बिलों को स्वीकारा गया था बहुत से मामलों में उन मूल्यों से बहुत कम होता था जो पहले पहल माल को गोदामों में रखते समय दाखिल किए गए संबंधित प्रवेश बंद बिलों के आरम्भ में निर्धारित किए गए थे। यह भी पता चला कि माल को गोदाम से बाहर ले जाते समय टैरिफ का वर्गीकरण शुरू में गोदाम में रखते समय किये गए निर्धारण के लिए अपनाए गए टैरिफ वर्गीकरण से भिन्न था। क्योंकि गोदाम में रखे हुए माल के शुल्क में कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं है केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें माल—निकासी के समय किसी दुर्घटना के कारण कोई क्षति हुई हो या हानि हुई हो अथवा माल नष्ट हुआ हो, इसलिए शुरू में गोदाम में माल रखने के समय अपनाए गए टैरिफ वर्गीकरण से भिन्न वर्गीकरण अपनाकर माल निकासी की अनुमति और बदले हुए मूल्यों पर शुल्क वसूल करने की अनियमितता थी।

चूंकि मामले नियम अर्वाधि पार चुके हैं, सीमाशुल्क कार्यालय ने लेखापरीक्षा के सामने आए अप्रैल से जून, 1964 के संबंध में 23 प्रवेश बिलों में 5,431 रुपए की कम उमाही की स्वैच्छिक अदायगी की अनुमति मांगी है। सीमाशुल्क कार्यालय से अनुरोध किया गया है कि कम उमाही के इसी के समान अन्य मामलों के पूरे व्योरो पर छानबीन करें और उनके संबंध में सूचना दें।

### 15. सीमा शुल्क की अधिक उमाही

(i) "15 मैगावाट रेशन (टरबाइन और आउटरनेटर) के लिए साजसामान" का एक परेषण मार्च, 1964 में एक बड़े बंदरगाह से आयात किया गया। इस साजसामान पर शुल्क का निर्धारण भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ की मद संख्या 72 (3) के अधीन सीमाशुल्क अधिभार सहित 20 प्रतिशत की मानक दर से किया गया। किन्तु इस साजसामान पर भारत सरकार की मार्च, 1960 की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, शुल्क 16.5 प्रतिशत की रियायती दर से निर्धारित किया जाना चाहिए था। वस्तुतः उसी सीमाशुल्क कार्यालय ने लगभग उन्हीं दिनों आयातित उसी की तरह के साजसामान पर यही रियायती दर लागू की थी। सीमाशुल्क कार्यालय ने उसके बाद अपना पहला सीमाशुल्क निर्धारण संशोधित कर लिया है और 87,417 रुपए की वापसी की मंजूरी दे दी है।

(ii) केन्द्रीय उत्पादन कर और सीमाशुल्क बोर्ड ने समय-समय पर यह बात स्पष्ट की है कि लोडर्स और उत्खनित (एक्सकेवेटर्स) जैसे क्लर आरोपित त्रेनों और अन्य उपकरणों पर जिनकी युक्ति चालन क्षमता सीमित होती है, शुल्क का निर्धारण भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ की मद संख्या 72 के अधीन मशीनरी के रूप में किया जाना चाहिए न कि भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ की मद संख्या 75 के अधीन वाहन के रूप में।

किन्तु फिर भी, यह देखा गया कि नवम्बर, 1964 में आयातित क्लर आरोपित त्रेनों पर शुल्क का निर्धारण भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ की मद संख्या 75 के अधीन वाहन के रूप में और इसके साथ-साथ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद संख्या 34 के अधीन अतिरिक्त शुल्क भी लगाया गया। आयातकर्ता के इस दावे को कि उस माल का मशीनरी के रूप में पुनर्निर्धारण किया जाय, यह कह कर अस्वीकार कर दिया गया कि उसकी बात की पुष्टि नहीं होती है। उक्त निर्धारण के विरुद्ध अपील करने पर सीमाशुल्क के अपीली कलेक्टर ने भी यह आदेश दिया कि क्लर आरोपित त्रेनों पर शुल्क का निर्धारण वाहनों के रूप में

ही किया जाना चाहिए परन्तु उस पर सीमाशुल्क की मद संख्या 75 की पादटिप्पणी (2) के अधीन रियायती दर पर शुल्क निर्धारण किया जाना चाहिए और साथ ही साथ उस पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद संख्या 34 के अधीन अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जाना चाहिए ।

जब उस सीमाशुल्क कार्यालय का ध्यान, इस विषय पर बोर्ड के आदेशों की ओर आकर्षित किया गया तब सीमाशुल्क कार्यालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि अधिक उगाही की राशि केवल उसी हालत में वापस की जा सकती है यदि अपील में आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की जाए । इसका परिणाम यह हुआ है कि आयातकर्ता से जो 73,905 रुपए की राशि की अधिक उगाही की गई थी, वह उसको लौटाई नहीं गई है ।

## 16. अन्य उल्लेखनीय विषय

### (i) जव्त किए गए वाहनों के निपटाने में देरी

किसी भी सामान की तस्करी में परिवहन के लिए प्रयुक्त किसी भी वाहन को जव्त किया जा सकता है । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क कार्यालय ने यह निर्धारित करने के लिए समय-समय पर हिदायतें जारी की हैं—जब तक वाहन विभागीय नियंत्रण में रहें तब तक उनके समुचित अनुरक्षण और ऐसे वाहनों के अंतिम निपटान हेतु वाहनों से संबंधित जव्ती के मामलों के अधिनिर्णय के लिए समय सीमा क्या होनी चाहिए ।

एक कलेक्टरी में 1962 और 1967 के बीच पकड़ी गई 89 मोटर गाड़ियों में से 40 मोटर गाड़ियां किसी निजी गैरेज के मालिक की सुरक्षा में किराए पर रखी गईं, बाकी मोटर गाड़ियां सीमाशुल्क कार्यालय के खुले अहाते में धूप और पानी से बचाव की कोई भी व्यवस्था किए बिना रखी रहीं । सीमाशुल्क कार्यालय और निजी गैरेज के मालिक के बीच कोई करार न होने की स्थिति में, गैरेज के मासिक किराए में लगभग 50 प्रतिशत की इकतरफा ही वृद्धि कर दी गई । बड़ी हुई दर पर किराए की अदायगी होने तक, गैरेज के मालिक के कब्जे में 20 मोटर गाड़ियों में से 31 जनवरी, 1967 को नीलामी द्वारा बेची गई दो गाड़ियों को सीमाशुल्क कार्यालय छुड़वा नहीं पाया । पकड़ी गई 89 मोटर गाड़ियों में से, 8 गाड़ियां फरवरी, 1968 तक भी निपटाई नहीं गई थीं, यद्यपि उनके सम्बन्ध में अधिनिर्णय कार्रवाई पूरी हो चुकी थी ।

इसी प्रकार, 1961 के बाद जव्त की गई मोटर लांचों के निपटाने में देरी के मामले भी सामने आए । एक लांच जिसका 1961 में जव्ती के समय मूल्य 40,000 रुपए था, 1967 में 15,888 रुपए में बेचा गया । उस लांच पर 4,180 रुपए पत्तन प्रभारों के रूप में भी देय थे । एक अन्य लांच को भी जो उसी वर्ष पकड़ा गया था और जिसको दिसम्बर, 1963 में विभागीय इस्तेमाल के लिए आबंटित किया गया था, बेच देना पड़ा क्योंकि उसकी मरम्मत और फिर से फिटिंग की लागत बहुत ज्यादा पाई गई । सन् 1962 में पकड़ा गया तीसरा लांच पांच वर्षों से भी अधिक समय तक उपेक्षा के कारण पानी में डूब गया ।

मंत्रालय ने फरवरी, 1968 में बताया है कि (i) अब गैरेज के मालिक के साथ किराए के बारे में विवाद तय हो चुका है और कि उसकी गैरेज से मोटर गाड़ियां हटा ली गई हैं और कि आखरी गाड़ी 27 जनवरी, 1968 को हटा ली गई थी, (ii) 45419.25 रुपए की राशि गैरेज के मालिक को किराए के रूप में अदा की जा चुकी है और कि 28,640 रुपए की और राशि की अभी अदायगी करनी बाकी है, और (iii) कि सीमाशुल्क कार्यालय के अहति में खड़ी मोटर गाड़ियों को अभी हाल ही में किराए पर लिए गए गोदाम में रख दिया गया है।

### (ii) मूल्य का अधिक इन्वायस बनाना और जप्त किए गए माल के निपटान में बेरी

बकरे के कच्चे चमड़े के 1,087 बण्डलों के 33 परेषण, जिनका इन्वायस बीजक 35,29,845.70 रुपए का था, ईरान से मार्च, 1965 में सौराष्ट्र के भावनगर बन्दरगाह पर आयात किए गए। इसमें से 806 बण्डलों के 24 परेषणों की निकासी, जिनका इन्वायस 26,06,117 रुपए का था, 19 मई, 1965 और 14 अगस्त, 1965 के बीच की गई थी। सितम्बर, 1965 में विभाग को यह संदेह हुआ कि बकरे के कच्चे चमड़े का लगभग 2000 प्रतिशत अधिक इन्वायस किया गया था। तदनुसार, जिस माल की निकासी की जानी अभी बाकी थी, उसको ठोकने के आदेश दे दिए गए। इन्वायसों के अनुसार 9,23,728 रुपए के मूल्य के 281 बण्डल 6 सितम्बर, 1965 को जप्त कर लिए गए।

मार्च, 1966 में यह सुझाया गया कि मूल्य में कमी हो जाने और पत्तन प्रभारों की अदायगी से बचने के लिए, बकरे के जप्त किए गए कच्चे चमड़े को बेचने के काम में श्रीअता की जाए। कलक्टर ने सितम्बर, 1967 में सूचना दी है कि जिस माल का इन्वायस 9,23,728 रुपए था, वह केवल 37,750 रुपए में बेच दिया गया था और माल के गोदाम में रखने के लिए पत्तन प्रभारों के रूप में 994 रुपए की और अदायगी की जा चुकी थी।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बकरे के चमड़े के कुल 1,087 बण्डलों के मूली निर्धारणीय मूल्य के 1,63,050 रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है जबकि इसके मुकाबल आयातकर्तारों ने उनका मूल्य 35,29,845.70 रुपए घोषित किया था और इन परेषणों के भारी अतिमूल्यन (ओवर वैल्यूएशन) के प्रारंभ की केन्द्रीय जांच ब्योरो जांच कर रहा है।

### (iii) आयातित टिन प्लेटों पर प्रतिशत शुल्क (काउंटरवॉलिंग ड्यूटी) और देशी टिन प्लेटों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की विभेदक उगाही

एक बड़े सीमाशुल्क कार्यालय में, कुल मिताकर: 360.487 मीटरी टन के निवल भार के "टिन प्लेटों" के तीन परेषणों पर, जो दिसम्बर, 1965 और दिसम्बर, 1965 में आयात किए गए थे, शुल्क का निर्धारण भारतीय सीमाशुल्क ऐरिक्त हो मद संख्या 83 (10) (ii) के अधीन यथामूल्य 40 प्रतिशत की दर से किया गया। इसके अतिरिक्त 20 अगस्त, 1965 से टिन प्लेटों पर लगाए जाने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त 10 प्रतिशत वित्तियामक शुल्क (रेगुलेटरी ड्यूटी) और 400 रुपये प्रति मीटरी टन के हिसाब से प्रतिशत शुल्क लगाया गया। 400 रुपये प्रति मीटरी टन की दर भारत सरकार ने निर्यात की थी और उगाही व्यापार या प्रेषित ठंडी रोड-वाहकों पर उगाहा जाने वाला 250 रुपये प्रति मीटरी टन तथा टिन के तन प्रभार के लिए 150 रुपये प्रत्येक अनेकित तन्त

रोल्ड चादरों पर उगाहा जाने वाला 175 रुपए प्रति मीटरी टन जमा टिनलेपन प्रक्रम के लिए 225 रुपए किन्तु यह दर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद संख्या 28 के अधीन विधिक रूप से निर्धारित 375 रुपए की दर से अधिक है। जब भारत सरकार का ध्यान इस असमानता की ओर आकृष्ट किया गया, तब जनवरी, 1966 में भारत सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया कि प्रतिकर शुल्क (काइंटर वेलिंग ड्यूटी) की उगाही केवल 375 रुपए प्रति मीटरी टन पर ही की जानी चाहिए। किन्तु इस पर भी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 400 रुपए प्रति मीटरी टन पर प्रभारित किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप एक ही टैरिफ मद के अधीन सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के लिए विभेदक दरें प्रभारित की जा रही हैं। सितम्बर, 1966 में भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकषित किया गया था परन्तु इस पद्धति को ठीक कर लिए जाने की सूचना की अभी तक प्रतीक्षा है (मार्च, 1968)।

### 17. सीमा शुल्क की बकाया वसूलियां

31 अक्टूबर, 1967 को, 31 मार्च, 1967 तक की अवधि के लिए सीमाशुल्क की वसूल न की गई कुल राशि 71.01 लाख रुपए थी, जबकि इससे पिछले वर्ष इसी अवधि की यह राशि 108.50 लाख रुपए थी। इस 72.01 लाख रुपए की राशि में से, 36.55 लाख रुपये की राशि तो एक वर्ष से अधिक की अवधि से वसूली के लिए बकाया पड़ी हुई है।

### 18. राजस्व की छट्टें और परित्याग

वर्ष 1966-67 के दौरान, छोड़ दिए गए, बट्टे खाते डाले गए अथवा परित्यक्त सीमाशुल्क की कुल राशि 30,37,880 रुपए बनती है।

## तीसरा अध्याय

### संघीय उत्पादन शुल्क

19. 1966-67 में संघीय उत्पादन शुल्क के अग्रीन 1033.77 करोड़ रुपए को प्राप्त हुई। पिछले साल के तुलनाबद्ध में इस प्रकार 135.85 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। गत पांच वर्षों की प्राप्तियां, उनसे संगत वस्तुओं की संख्या के समेत जिन पर कि उत्पादन शुल्क उगाइतीय था, नीचे दी जा रही है :—

वर्ष	संघीय उत्पादन शुल्क खाते में प्राप्तियां (करोड़ रुपयों में)	वस्तुओं की संख्या जिन पर उत्पादन शुल्क उगाहा गया था
1962-63	598.83	65
1963-64	729.58	65
1964-65	801.51	66
1965-66	897.92	67
1966-67	1033.77	69

20. 69 वस्तुओं में से नीचे दी गई 10 वस्तुओं से प्रत्येक से 30 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

वस्तुएं	(करोड़ रुपयों में)
साफ किया डीजल तेल	140.87
तम्बाकू	126.54
चीनी	109.27
मोटर स्पिंट	89.04
लोहा और इस्पात की चीजें	68.46
सूती कपड़े	56.66
मिट्टी का तेल	49.22
टायर	36.65
सीमेंट	32.17
सूती धागा	30.87

## 21. नमूना लेखापरीक्षा के सामान्य परिणाम

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरों के मुख्य लेखा अधिकारियों के कार्यालय और चुनी हुई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क रेंजों के रखे गए कागजातों और अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा से कम निर्धारण और राजस्व की हानि का पता चला है जिनके कारण निम्नलिखित हैं :—

- (i) शुल्क की गैर उगाही ।
- (ii) गलत वर्गीकरण और शुल्क की गलत दरों का लगाया जाना ।
- (iii) अनियमित छूट या कर रियायतें ।
- (iv) निर्धारणीय मूल्यों का गलत नियतन ।
- (v) अवधि सीमा का बीत जाना ।
- (vi) अनियमित और अत्राधिकृत वापसियां, मुजराइया और प्रोकामा जमा राशियां ।
- (vii) अन्य चूकें और गलतियां ।

कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में पाए गये दोषों के प्रकारों के कुछ उदाहरण व्योरेवार नीचे दिये गये हैं :—

## 22. चीनी (टैरिफ मद 1)

### अधिक उत्पादन पर अत्यधिक छूट का दिया जाना

एक फैक्टरी को किसी अवधि में आधार अवधि के दौरान तैयार की गई चीनी से अधिक चीनी के उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट दी जाती है । इस छूट के हकदार बनने के लिए अधिक तैयार की गई चीनी का फैक्टरी से उठ जाना जरूरी है और जिस हद तक अधिक उत्पादित चीनी गोदामी नुकसान या अन्य किसी कारण से फैक्टरी से उठाई नहीं जाती उसी हद तक छूट अनुमत्य नहीं है ।

एक कलक्टरी में यह देखा गया कि 1964-65 के सीजन के दौरान चीनी की 16 फैक्टरियों में चीनी के अधिक उत्पादन पर दी गई छूट संसाधन क्रिया के दौरान नष्ट हुई चीनी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए घटाई नहीं गयी । इसके कारण छूट की अधिकता 33,400 रुपए की हुई । अब तक यह रकम वसूल की जा चुकी है । अन्य कलक्टरियों में इसी तरह की अधिक छूट के मामलों के व्योरे का पता लगाया जा रहा है ।

## 23. तम्बाकू (टैरिफ मद 4)

### (i) मांग सूचना की दोषपूर्ण भाषा के कारण हुई राजस्व की हानि

भारत सरकार द्वारा मार्च, 1959 में जारी की गई अधिसूचना में फ़्लू से सुखाए तम्बाकू के "रावा" पर जो कि बीड़ी बनाने के काम में वास्तव में नहीं लाया जाता 1.54 रु० प्रति किलो ग्राम (बुनियादी और अतिरिक्त) शुल्क में छूट की घोषणा की गई थी ।

एक कलक्टरी में तम्बाकू के "रावा" पर, जिसकी निकासी 8 जुलाई, 1959 से 28 नवम्बर, 1959 तक लाइसेंसधारी ने की हालांकि निकासी के कागज़ों में यह लिखा हुआ था कि उसका उपयोग



बीड़ी बनाने के लिए बिया जायेगा, इस पर टैरिफ दरों के स्थान पर रियायती दरों पर गलत निर्धारण बिया गया जिससे 14,279 रुपये के शुल्क की कम उगाही हुई। गलतियां समझ में आने पर रेंज के उप-अधीक्षक ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावलीयों के नियम 10-क के अर्धीन 15 फरवरी, 1960 को शुल्क के अन्तर की वसूली के लिए एक मांग सूचना जारी की। इस तारीख को मांग के एक हिस्से अर्थात् 2612 रुपये की वसूली केन्द्रीय उत्पादन नियमावली के नियम 10 के अर्धीन लागू की जा सकती थी। 22 फरवरी, 1960 में लाइसेंसधारी ने इस मांग का इस आधार पर विरोध किया कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उसी नियम 10 के अर्धीन यह मांग अवधि सीमा पार कर चुकी है। उसी नियम 10 के अर्धीन 17 जून, 1961 में 8,441 रुपये के लिए एक परिवर्तित सूचना जारी की गई। इस रकम में पहली फरवरी, 1960 के पहले के तीन महीनों की अवधि के दौरान की निकासियां शामिल थीं। परन्तु उक्त सूचना में यह लिखा गया कि इससे पूर्व की पहली फरवरी, 1960 में भेजी गई सूचना के ही दिलसिले में यह सूचना भेजी जा रही है जब कि उक्त तारीख को कोई ऐसी सूचना नहीं भेजी गई थी। पार्टी ने इस मांग के विरुद्ध उच्च न्यायालय में मामला दायर किया और न्यायालय ने और फरवरी, 1966 में यह फैसला दिया कि जब कोई मांग सूचना है ही नहीं तो उसका निर्देश करते हुए जून, 1961 में भेजी गई परिवर्तित मांग कानूनी तौर पर अमान्य है। गलत निर्धारण का पता चलने तक 14,279 रुपये की कुल रकम में से 5,838 रुपये की अवधि सीमा पार हो चुकी थी और पहली फरवरी, 1960 के मांग सूचना के जारी न किए जाने और 15 फरवरी, 1960 की मांग सूचना में दोष-पूर्ण भाषा होने के कारण 8,441 रुपये की बकाया रकम भी वसूल नहीं की जा सकी।

## (ii) विभागीय मैन्युअल की व्यवस्थाओं को लागू करने के कारण राजस्व की हानि

हर सिग्रेट निर्माता के लिए तैयार न किए गए तम्बाकू की ट्टाने के लिए दिए गए आवेदन-पत्र के समर्थन में एक कार्य विवरण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें कि निर्माण के लिए आवश्यक तम्बाकू के विभिन्न दर्जों के परिमाण के पूरे विवरण दिए जाते हैं। हर कार्य विवरण पत्र में एक संख्या दी जाती है जो किसी विशिष्ट मिश्रण की सिग्रेट बनाने के लिए किसी विशेष दिन उठाई जाने वाले तम्बाकू के हर ढेर के लिए निश्चित की जा सके, अलग अलग मिश्रणों के लिए अलग अलग पत्र दिए जाने चाहिए किन्तु किसी एक दिन की सारी आवश्यकता का तम्बाकू एक ही आवेदन-पत्र देकर उठाया जा सकता है।

4 बलवटरियों के अन्तर्गत 4 सिगरेट की फैक्ट्रियों में यह देखा गया कि फरवरी, 1963 और फरवरी, 1966 के महीनों में सिग्रेट तैयार करने के लिए तम्बाकू की निकासियां सामान्य आवश्यकताओं से बहुत अधिक थीं। जिसका परिणाम यह हुआ कि उठाए गए तम्बाकू की एक बहुत बड़ी तादाद उसी महीने में बिना काम में लाए पड़ी रही और बाद के महीनों में उपयोग करने के लिए उसे शुल्क प्रदत्त गोदामों में रखने की अनुमति दे दी गई। वे चार फैक्ट्रियां इस तरीके को अपनाने से एक मार्च, 1963 से तम्बाकू पर लगाए गए विशेष उत्पादन शुल्क और एक मार्च, 1966 से तम्बाकू पर बढ़ी हुई दर से शुल्क के भुगतान से अपने को बचा गई। यदि तम्बाकू की निकासी को सामान्य आवश्यकताओं तक सीमित रखा जाता तो सरकार को 6,39,496 रुपये तक का राजस्व प्राप्त हो जाता।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में यह दलील दी है कि सिग्रेट मैन्युअल में दी गई हिदायतें तैयार की गई (मैन्युअल चर्च) तम्बाकू की निकासी पर सीमा का कोई बन्धन नहीं लगाती नही फरवरी, 1963 और फरवरी, 1966 के महीनों के दौरान तैयार न किए गए तम्बाकू की निकासी पर कोई कानूनी प्रतिबंध

लगा हुआ था किन्तु इस उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के नियम 224 के अधीन आदेश जारी करना आवश्यक क्यों नहीं समझा।

## 24. मोटर स्पिरिट (टैरिफ मद 6)

### (i) खनिज तेल पर कम निर्धारण

फरवरी, 1960 में जारी की गई एक अधिसूचना के अधीन विशेष क्वथनांक स्पिरिटों पर जिनकी कुछ क्वथनांक रेंज निश्चित होती हैं, टैरिफ की दर की बजाए 45 रु० प्रति कि० लि० की दर पर शुल्क निर्धारण की रियायत दी गई थी। एक तेल संस्थापन हक्सन नामक खनिज तेल उत्पाद को विशिष्ट क्वथनांक स्पिरिट के तौर पर रियायती दरों पर शुल्क भुगतान करके साफ कर रहा था। अप्रैल, 1965 में तेल की रासायनिक जांच करने का सुझाव दिया गया। इस विषय में यह रिपोर्ट मिली कि उप मुख्य रसायनज्ञ की राय में तेल रियायती दर का हकदार है। किन्तु एक और जांच के बाद यह पता चला कि इसको क्वथनांक रेंज फरवरी, 1960 की अधिसूचना के अधीन निश्चित की गई रेंजों के अन्तर्गत नहीं आता अतएव यह तेल रियायती दर का हकदार नहीं था। विभाग ने 20 जुलाई, 1966 से 25 नवम्बर, 1966 की अवधि के लिए 4.98 लाख रुपए की मांग उठाई है। यह वह तारीख है जिससे संबंधित तेल कम्पनी के अभ्यावेदन करने पर हेक्सन के क्वथनांकों की रेंज को सम्मिलित कर उसे विशिष्ट रियायत प्रदान की गई है। इससे पूर्व की अवधि के संबंध में किसी तरह का सुधार समय बाधित बताया गया। 19 जुलाई, 1966 तक की अवधि के लिए राजस्व की हानि 11.51 लाख रुपए है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि उनका आशय सदा ही हेक्सन को शुल्क से मुक्त रखना था। यदि ऐसा है तो यह स्पष्ट नहीं है कि मूल अधिसूचना में हेक्सन का विशेष क्वथनांक सम्मिलित क्यों नहीं किया गया और फिर अगस्त, 1960 में मंत्रालय ने ऐसा निर्देश क्यों दिया कि फरवरी, 1960 की अधिसूचना विशेष क्वथनांक वाली स्पिरिटों तक जिनका व्यौरा वहां दिया गया है सीमित है और इस अन्य दर्जों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस स्थिति को ठीक करने के लिए तारीख 25 नवम्बर, 1966 को जारी की गई एक और अधिसूचना के कारण न केवल राजस्व वसूली पर ही रोक लगा दी गई बल्कि उमने निर्धारण में भी विभेद उत्पन्न किया।

### (ii) पावर अल्कोहल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की गैर-उगाही

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 6 (ii) के अनुसार "पावर अल्कोहल" की परिभाषा इस प्रकार है—“किसी भी दर्जे का “एथिल अल्कोहल” (इसमें वह अल्कोहल भी सम्मिलित है जो कि या तो विकृत किया हुआ हो या उसका दूसरे तरीके से उपचार किया गया हो) जो या तो अपने आप या किसी एवजी के साथ मिश्रण के रूप में अन्तरदहन इंजनों के ईंधन के काम में लाने के लिए उपयुक्त हो।” अप्रैल, 1963 में भारत सरकार ने यह अनुदेश भी जारी किये कि परिशुद्ध-अल्कोहल भी चाहे वह मिट्टी के तेल से विकृत किया गया हो या नियत विकारकों से मिश्रित हो “पावर अल्कोहल” की परिभाषा के अन्तर्गत आ जाता है और इस प्रकार उस पर पूरा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जा सकता है।

एक कलकटरी के अन्तर्गत एक आसवनी (डिस्टिलरी) में परिशुद्ध अल्कोहल तैयार किया जा रहा था। परिशुद्ध अल्कोहल और विकृत अल्कोहल दोनों ही फैंकटरी से निकासी किये जाते थे। जब कि टैरिफ की मद 6(ii) के अधीन फैंकटरी से निकासी पाने वाले विकृत परिशुद्ध अल्कोहल

पर शुल्क लगाया जा रहा था वहां अतिक्रम, परिशुद्ध, अल्कोहल पर कोई शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा था। यह टैरिफ के उपबंधों के प्रतिकूल है। गैर-उगाही के फलस्वरूप 1960-61 से नवम्बर 1966 तक की अवधि में 74,689 रुपए (लगभग) के राजस्व की हानि हुई है।

## 25. रोगन और वार्निश (टैरिफ मद 14)

### केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की गैर-उगाही

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम 1944, तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अनुसार, रंगों और वार्निशों के निर्माताओं को लाइसेंस लेना होता है। यदि वित्तीय वर्ष में रंगों और वार्निशों का कुल उत्पादन 150 मीटरी टन से अधिक नहीं होता तो वर्ष के दौरान फैक्टरी से बाहर निकले पहले 50 मीटरी टन पर कोई शुल्क नहीं लगता। फरवरी, 1961 में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने हिदायतें जारी कीं कि जो निर्माता रिंग और वार्निश का उत्पादन छूट की सीमा से नीचे की तादाद में करते हैं उनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होगा। चूंकि ये हिदायतें अधिनियम के उपबंधों से संगत नहीं थी इसलिए उन्हें जुलाई, 1962 में प्रतिबंधित (रिवोकड) कर दिया गया और 1963 में ऐसे निर्माताओं के लिए भी लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया गया।

एक निर्माता 1959 से 1964 वर्ष तक बिना लाइसेंस लिए रंग और वार्निश का उत्पादन और निकासी करता रहा। इस अपराध का शमन उस विभाग ने मार्च, 1965 में 5 रुपए की नाम मात्र रकम लेकर किया। इसके अतिरिक्त निर्मित माल पर विभाग ने कोई उत्पादन शुल्क वसूल नहीं किया। उसके बाद विभाग ने जनवरी, 1963 से 15 जुलाई, 1964 के बीच निर्माता द्वारा की गई माल की निकासी के लिए 49,249 रुपए (जुलाई, 1967 में) का मांग—आदेश भेजा है। किन्तु अभी तक रकम वसूल नहीं हुई है।

## 26. सोडा ऐश (टैरिफ मद 14 क)

### उत्पादन शुल्क लगाने योग्य तैयार माल के सम्बन्ध में गलत लेखा रखना और इसके कारण राजस्व की हानि

एक रासायनिक फैक्टरी सोडा ऐश और एमोनियम क्लोराइड का उत्पादन करती है। एमोनियम क्लोराइड पहले एमोनिया गैस तैयार करके उत्पन्न की जाती है। सोडा ऐश पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जाता है जबकि एमोनिया पर फरवरी, 1964 तक यह शुल्क लगाया जाता था। फैक्टरी द्वारा सोडा ऐश और एमोनियम क्लोराइड तैयार करने के लिए मुख्य कच्चे माल के रूप में नमक इस्तेमाल में लिया जाता है। कच्चे माल के उपयोग और उत्पादन के विषय में जनवरी-मार्च, 1964 की तिमाही के विवरण में जो कि अप्रैल, 1964 में भेजा गया था फैक्टरी ने 5476 मीटरी टन नमक की खपत दिखाई थी। बाद में जुलाई 1964 में फैक्टरी ने एक परिवर्तित विवरण भेजा जिसमें उसने नमक की और ज्यादा खपत और उसी तिमाही में 7376 मीटरी टन की खपत दिखायी। फिर भी फैक्टरी ने सोडा ऐश और एमोनिया क्लोराइड के उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं दिखाई।

यद्यपि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी ने नवम्बर, 1964 में इस मामले की रिपोर्ट अपने अधीक्षक से की तथापि विभाग ने अतिरिक्त शुल्क लगाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। अप्रैल 1966 में लेखापरीक्षा विभाग ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि अधिक कच्चे माल की खप

चूंकि सन्तोषजनक रीति से स्पष्ट नहीं की गई है इसलिए सोडा ऐश और एमोनियम अलकोहल के उत्पादन में परिणामी वृद्धि पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना चाहिए। विभाग इस बात से सहमत हुआ और मई, 1967 में उसने 69021 रुपए का अतिरिक्त शुल्क फैक्टरी पर लगाया। इस रकम की वसूली के ब्यौरे अभी आने बाकी हैं।

## 27. पेटेंट और स्वाम्याधिकार प्राप्त औषधियां (टैरिफ मद 14 ड)

(i) सर्व सम्मिलित कीमतों में शामिल उत्पादन शुल्क पर बढ़ा देने के कारण राजस्व की हानि

(क) मई, 1962 में जारी की गई एक सरकारी अधिसूचना में निश्चित की गई विशेष कार्य-पद्धति के अनुसार पेटेंट या स्वाम्याधिकार प्राप्त औषधियों पर उपभोक्ता कीमतों पर 25 प्रतिशत या उपभोक्ता कीमतें न प्राप्त हों तो निर्माताओं द्वारा फुटकर विक्रेताओं के लिए घोषित की गई कीमतों पर 10 प्रतिशत तदर्थ बढ़ा लगा कर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्धारित किया जाता है। कार्य-पद्धति यह थी कि निर्माताओं द्वारा घोषित की गई सर्व सम्मिलित कीमतों में से यथास्थिति 10 प्रतिशत या 25 प्रतिशत बढ़ा पहले घटाया जाए और तब उत्पादन शुल्क में कटौती की जाय। इस प्रकार आई कीमतें ही निर्धारण के लिए मूल्य मानी जाती थीं और उस पर यथोजित दर से शुल्क की गणना की जाती थी। यह पद्धति दोषपूर्ण थी क्योंकि इससे घोषित कीमतों में सम्मिलित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम पर भी तदर्थ बढ़ा देने की इजाजत थी जिससे राजस्व की हानि हो रही थी। सितम्बर, 1963 में यह मामला केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के ध्यान में लाया गया जो उस समय लेखा परीक्षा विभाग की राय से सहमत नहीं हुआ और उसने विभागीय कार्यालयों की निर्धारण पद्धति की ही पुष्टि की। किन्तु मई 1962 की छूट संबंधी अधिसूचना को संशोधित कर मार्च, 1966 में फिर से जारी किया गया जिसमें इस प्रकार का "स्पष्टीकरण" जोड़ दिया गया कि जब भी कीमत में उत्पादन शुल्क की रकम शामिल हो तो उसे घटा कर अनुमत तदर्थ बढ़ा दिया जाए। निर्धारणीय मूल्य के परिकलन की विधि के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने में विलम्ब होने के कारण ही एक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलकटरी के अन्तर्गत ही अक्टूबर, 1963 से मार्च, 1966 तक की अवधि में चार फैक्टरियों के संबंध में 3,03,444 रुपए (लगभग) तक राजस्व की हानि हुई।

(ख) मार्च, 1966 में सर्व-सम्मत कीमतों में से निर्धारणीय मूल्य घटाने के बारे में सही कार्य पद्धति का निर्देश करने वाला स्पष्टीकरण जोड़ देने पर भी पुरानी गलत-पद्धति उसी कलकटरी में अपनाई जाती रही है जिसके कारण शुल्क में अत्याधिक कमी हो गई और कर-निर्धारणीय मूल्य भी काफी कम हो गया जिससे राजस्व की हानि हुई। इस कारण कुछ ही फैक्टरियों के संबंध में 31 जनवरी, 1967 तक की अवधि के लिए नुकसान की रकम 1,10,570 रु० हुई।

(ii) 23/24-4-62 को फैक्टरी के अहाते में पड़े हुए मार्क वाली औषधियों के स्टॉक से सम्बन्धित आदेशों में परिवर्तन कर देने से राजस्व की हानि।

वित्त अधिनियम 1961 के अधीन दिए गए पेटेंट और स्वाम्याधिकार प्राप्त औषधियों की परिभाषा वित्त अधिनियम 1962 के द्वारा संशोधित करते हुए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की उगाही के प्रयोजन से नाम मार्क, मोनोग्राम और लेबिल इत्यादि वाली सभी औषधियों उसके अधीन सम्मिलित कर ली गई। 1962 में वित्त मंत्रालय ने यह बताया है कि महत्वपूर्ण तारीख 23/24-4-62 को निर्माताओं के पास ऐसे मार्क वाली औषधियों के स्टॉक पर भी उस तारीख से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया

64664.....  
Date... 27/1/73

जायेगा। तदनुसार विभाग ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूली कर ली। किन्तु बाद में फरवरी, 1965 में बोर्ड ने यह व्यवस्था की कि मार्केट वाली औषधियों पर 1962 में की गई उगाही, नई उगाही मानी जाएगी। अतएव तारीख 23/24-4-62 की मध्य रात्रि से पहले तैयार की गई औषधियों के सारे स्टॉक पर, जो कि उत्पादन केन्द्र के अहाते में, उस महत्वपूर्ण तारीख को पूरी पैक की हुई, हालत में पड़ी हैं शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इन संशोधित आदेशों के कारण चार कलक्टरियों में 1,42,763 रु० की उत्पादन शुल्क की रकम निर्माताओं को वापस कर दी गई, यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि उक्त रकम में से खरीदारों से ली जा चुकी 48,302 रु० की रकम निर्माताओं द्वारा उन्हें लौटायी नहीं गई है।

## 28. कृत्रिम संश्लिष्ट रैजिन और प्लास्टिक सामग्री (टैरिफ मद 15 क)

### (i) शुल्क की गलत वापसी

नाइट्रे से य्लोस लैकर (प्रलाक्ष रस) तैयार करने वाली एक फैक्टरी को लेकर पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की उगाही करते समय उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री के आयात पर उगाहे जाने वाली प्रतिकर आयात शुल्क की मुजराई मिलती थी।

अप्रैल, 1966 में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया कि जिन मामलों में प्रतिकर आयात शुल्क की वापसी की जा चुकी है उन्हें भी मुजराई मिल जाने की संभावना है। विभाग ने पूछ-ताछ करके यह पता लगाया कि 26,407 रु० का प्रतिकर शुल्क सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा वास्तव में वापिस किया जा चुका है; केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग की 26,407 रु० की जमा की जाने वाली रकम इस प्रकार अमान्य हो गई। सितम्बर, 1966 में वसूल की गई इस प्रकार गलत तर्क से स्वीकार की गई 13,205 रु० की एक और रकम की वसूली अभी बाकी है। कलक्टरी की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के स्कंधों के बीच ताल-मेल का अभाव इस प्रकार की गलत मुजराई का कारण बना। ऐसी कोई विभागी हिदायतें लागू नहीं हैं जो कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा वसूल किए गए प्रतिकर शुल्क की वापसी की मंजूरी देने से पहले सीमा शुल्क शाखा को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क शाखा से परामर्श करने को बाध्य करें।

मंत्रालय ने बताया है कि कलक्टरी को सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क शाखाओं के बीच प्रभावी ताल-मेल उत्पन्न करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

### (ii) शुल्क की कम दर लगाने से हुई राजस्व की हानि

पोलिस्टर पॉलिमर छिपलियों पर 26 मई, 1967 तक तो यथामूल्य 20 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया जाता रहा और इसके बाद वह यथामूल्य 30 प्रतिशत कर दिया गया। यद्यपि इस साल पर शुल्क निर्धारण मूल्य के आधार पर किया जाता था, भारत सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा 1.50 रु० प्रति किलोग्राम विशेष दर तय कर दी। इस दर का परीक्षण करने पर यह पता चला कि यह दर एक मात्र निर्निर्माता द्वारा दिए गए लागत व्यौरों के आधार पर आंकी गई थीं। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा सितम्बर, 1963 में जारी की गई हिदायत के अनुसार दर तय करते समय लागत में जो लाभतत्त्व जोड़ा जाना चाहिए था वह नहीं जोड़ा गया। उसी कलक्टरी के अन्तर्गत इस तरह के कर-निर्धारण के लिए सहायक

कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क द्वारा अप नाई गई लाभ की वर्तमान गुंज ईश 10 प्रतिशत थी। यदि यह लागत कीमत में जोड़ दी जाती और इसके बाद शुल्क निश्चित किया जाता तो दर 1.65 रुपए प्रति किलोग्राम बनती। पहली जून, 1965 से 25 मई, 1967 तक की अवधि में 48,01,515 किलोग्राम माल की निकासी पर लाभत्व की गणना न करने के कारण राजस्व की हानि के आंकड़े 8,64,273 रुपए (विशेष उत्पादन शुल्क सम्मिलित करते हुए) तक बन जाते हैं।

### (iii) टैरिफ की उपयुक्त मद के अन्तर्गत शुल्क की गंर-उगाही

रेजिन घोलों पर जिनमें कि वजन के हिसाब से 50 प्रतिशत या इससे भी अधिक रेजिन होती हो, उन्हें टैरिफ की मद 14 के अधीन वार्निश के रूप में वर्गीकृत न करके, टैरिफ की मद 15-क के अधीन शुल्क लगाया जाना चाहिए।

एक फैक्टरी संश्लिष्ट रैसिनो का उत्पादन करती थी जिनकी खपत अन्ततः भीतरी तौर पर ही, रंग और वार्निश तैयार करने में होती थी। अभिलेखों की जांच करने से पता चला कि निर्माताओं ने घोल के मात्र रेजिन वाले अंश पर ही शुल्क चुकाया है न कि सारे घोल पर जिसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा रेजिन था। निर्धारणीय मूल्य का परिकल्पन करते समय लाभ को भी हिसाब में नहीं लिया गया था।

जब इस चूक की ओर ध्यान दिलाया गया तो विभाग ने मार्च, 1964 से फरवरी 1965 तक की अवधि के बीच बनने वाले 98,102 रुपए के शुल्कान्तर की वसूली के लिए मांग भेजी। वसूली का ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

### (iv) यथा मूल्य शुल्क की दरों के स्थान पर विशिष्ट दरों का नियतन

संश्लिष्ट रेजिनो पर टैरिफ मद 15-क के अधीन यथा मूल्य 20 प्रतिशत के हिसाब से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। किन्तु सितम्बर, 1965 में जारी की गई एक अधिसूचना के जरिए भारत सरकार ने मैलिक और फिनोलिक रेजिनो को 80 पै० प्रति किलोग्राम के अधिक शुल्क की चुकौती से मुक्त कर दिया। उसी अधिसूचना में यह भी तय कर दिया कि मैलिक और फिनोलिक रेजिनो के उन निर्माताओं को जो अधिसूचना के अधीन शुल्क से मुक्ति प्राप्त करते हैं स्वयं निर्मित ऐसी रैसिनो पर यथा-मूल्य दर के अनुसार शुल्क चुकाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन निर्माताओं पर शुल्क निर्धारण 80 पै० प्रति किलोग्राम से कम की यथा मूल्य दरों पर किया जाता उन्हें ज्यादा रकम चुकानी पड़ती और जिन निर्माताओं की यथा-मूल्य दरें अधिक हुआ करतीं उन्हें कम शुल्क चुकाना पड़ता। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 8(1) के साथ वचित अनुच्छेद 37(2) (xvii) के अधीन कार्य पालन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उगाही का संसद् द्वारा पारित आधार बदल दिया है और इसके परिणाम शुल्क का असाध्ययुक्त वितरण हुआ जैसे कि लोक लेखा समिति ने अपनी 27वीं रिपोर्ट में बताया है।

## 29. कागज (टैरिफ मद 17)

समय सीमा की शर्तों को लागू करने से हुई राजस्व की हानि

एक मार्च, 1961 से पहले यद्यपि छपाई और लिखाई का कागज और साथ ही पैक करने और लपेटने का कागज दोनों ही पर एक सी दर लागू की जाती थी हालांकि वे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की अलग-अलग उप-मदों के रूप में दिखाये गये थे। किन्तु पहली मार्च, 1961 से पैक करने और लपेटने के कागज पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया। यद्यपि पोस्टरों के कागज पर पैक करने और लपेटने के कागज की तरह ही शुल्क लगाया जाना चाहिए था तथापि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की एक कलकटरी में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि पोस्टर के कागज की निकासी की अनुमति छपाई और लिखने के कागज की तरह निचली टैरिफ दरों पर दे दी गई। अगस्त, 1961 में इस गल्ती का पता चला किन्तु तब तक 2,41,939 रुपए की राजस्व की हानि हो चुकी थी क्योंकि मई, 1961 के अन्त तक के सारे निर्धारणों में कोई रद्दोबदल इसलिए सम्भव नहीं था कि कानूनी समय सीमा लागू होने के कारण ऐसे निर्धारणों के मामले फिर नहीं उठाये जा सकते थे।

## 30. सूती धागा (टैरिफ मद 18 क)

(i) विशेष कार्य-पद्धति के अधीन काम करने वाले यूनियों में सूती कपड़े के निर्माण में प्रयोग किये गए सूती धागे पर शुल्क का कम निर्धारण।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के नियम 96-फ और 96-ब के अधीन सूती कपड़ा और सूत के धागे तैयार करने वाली संयुक्त कपड़ा मिलों को विशेष कार्य-पद्धति का लाभ मिल सकता है। इस कार्य-पद्धति के अधीन सूत के धागे से संबंधित शुल्क की देयता उत्पादित कपड़े के क्षेत्र-फल के आधार पर कुछ रकम देकर पूरी की जा सकती है। मार्च 1963 और जुलाई, 1964 में उसी नियमावली के नियम 96-ब के अधीन एक अधिसूचना जारी करके भारत सरकार ने कतरनों और चिट्ठियों के धागों पर शुल्क की अदायगी की पूरी तरह माफी दे दी, और ऐसे निर्माताओं द्वारा उत्पादित सूती कपड़ों के कटपीसों के धागों के लिए रियायती दरों की घोषणा कर दी। परन्तु जो कपड़ा मिलें उस विशेष कार्य-पद्धति के अनुसार काम नहीं करती हैं उन्हें यह रियायतें नहीं दी जा सकती हैं।

एक कलकटरी में विशेष कार्य-पद्धति के अनुसार काम करने वाली कुछ मिलें तैयार कपड़े को एक अनुबंध के अधीन संसाधन करने वालों को दे रही थीं और संसाधन करने वालों द्वारा निकासी किये गये तैयार कपड़ों पर धागों और वस्त्रों पर लागू शुल्कों की उगाही की जा रही थी। संसाधन किए गए कपड़ों पर कर-निर्धारण करते समय धागों के शुल्क पर उपर्युक्त रियायतें संसाधन के दौरान बने हुए टुकड़ों पर दी गईं। हालांकि संसाधन करने वाले विशेष कार्य-पद्धति के अधीन उत्पादन करने के हकदार नहीं थे अतएव यह रियायत उन पर लागू नहीं होती थी। आठ कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में दी गई इस गलत रियायत के कारण पहली मार्च, 1965 से 30 नवम्बर, 1966 तक की अवधि के दौरान राजस्व की हानि 1,13,612 रुपए हुई।

## (ii) गलत दर लगाने के कारण कम कर-निर्धारण

मार्च, 1964 में भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अधीन जिसमें कि समय-समय पर संशोधन की व्यवस्था भी थी, उसमें नियत की गई शुल्क की रियायती दरों पर सूत के धागे का कर-निर्धारण किया जाता है। यह रियायती उगाही उस धागे पर लागू नहीं होती जो किसी संयुक्त मिल में बुनाई के काम में लाया जाता है।

कपड़े की एक संयुक्त मिल के मालिकों ने अपनी सूत की खरीद पर पूरी टैरिफ दर और रियायती दरों पर पहले ही की गई उगाही का शुल्कान्तर नहीं चुकाया। इसके फल-स्वरूप मार्च, 1964 से नवम्बर, 1965 की अवधि के लिए 85,874 रुपए तक के शुल्क का कम निर्धारण हुआ। इस रकम को वसूल करने के लिए विभाग ने अपनी मांग भेजी है।

### 31. सूती कपड़े (टैरिफ मद 19)

#### औद्योगिक काम में ले लिए गए कपड़ों पर अमान्य रियायती दरें

फरवरी, 1965 में एक अधिसूचना जारी करके टेक्सटाइल कमिश्नर द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार नियंत्रित कपड़ों के वर्णन के अनुरूप मध्यम और मोटे प्रकार के कुछ कपड़ों पर लगाने वाले बुनियादी उत्पादन शुल्क में भारत सरकार ने 50 प्रतिशत छूट दी।

27 फरवरी 1965 से भारत सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के मार्ग दर्शन के लिए इस तरह की हिदायतें जारी की कि वे इस बात का निश्चय कर लें कि रियायती दर पर निर्धारण करने के लिए प्रस्तुत सभी कपड़ों पर वस्त्रायुक्त द्वारा जारी की गई संगत अधिसूचना के अधीन आवश्यक चिन्ह और कीमत के ठप्पे हों। उस तारीख को वस्त्रायुक्त द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार नियंत्रित वर्ग के जिन कपड़ों को किसी औद्योगिक प्रयोजन के लिये संसधान किया जाना है उन पर कीमत के ठप्पे नहीं लगाए जाने चाहिए। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार औद्योगिक संस्थाओं में औद्योगिक वस्तुएं तैयार करने के लिए हटाए गए कपड़े रियायती निर्धारण के हकदार नहीं होते क्योंकि उन पर कीमत का ठप्पा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। कई कलेक्टरियों में यह देखा गया कि औद्योगिक संस्थानों द्वारा औद्योगिक वस्तुएं तैयार करने के लिए जो कपड़ा हटाया गया उस पर शुल्क की रियायती दर लागू की गयी। तीन कलेक्टरियों में इस तरह किया गया कम कर-निर्धारण मार्च, 1965 से अगस्त, 1967 तक की अवधि के लिए 64,551 रुपए का हुआ।

### 32. लोहा या इस्पात का माल (टैरिफ मद संख्या 26 क क)

#### शुल्क की गैर उगाही

(i) आयात किए गए इस्पात की छड़ों से एक कंपनी जस्तालेपित इस्पाती तार तैयार करती थी। उसके कुल वजन पर शुल्क का निर्धारण किया जा रहा था और दिसम्बर, 1962 की अधिसूचना के अनुसार उस पर आयात किये गये माल के हिसाब से लगने वाले प्रतिकर शुल्क की सीमा तक रियायत दी जा रही थी। इस्पात के तार पर उत्पादन शुल्क की दरों और इस्पात की छड़ों पर लगने वाले प्रतिकर शुल्क की दरों में तीन बार वृद्धि की गई, अर्थात् मार्च, 1964 में, फरवरी, 1965 में और अगस्त, 1965 में। शुल्क के बढ़ जाने की तारीखों को



कम्पनी के स्टॉक में जो इस्पाती तार थे और इसके साथ उन्हीं तारियों में आयात की गई छड़ों के स्टॉक से जो इस्पाती तार तैयार किए गए और बाद में जिनकी निकासी भी की गई, उन पर बढ़ी हुई दरों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क देय हो जाता है। परन्तु मिल सकने वाली रियायत उत्पादन में लगी छड़ों पर चुकाये जा चुके प्रतिकर शुल्क की कम दर तक ही सीमित होती है। वास्तव में इन निकासियों पर शुल्कांतर लगाया जाना चाहिए जिसकी गणना उत्पादन में प्रयुक्त छड़ों के सिलसिले में प्रत्येक बार की गई प्रतिकर शुल्क की वृद्धि बराबर दरों पर की जानी चाहिए। इस प्रकार से उगाही नहीं की गई है और इस विषय में शुल्क निर्धारण में हुई कमी 48,827 रु० के बराबर होती है।

(ii) टैरिफ मद सं० 26 क क (iv) के अनुसार सभी प्रकार के पाइपों और नलियों पर, चाहे वे बेल्लित, गढ़ीं, बंटीं, ढलीं, खींची हुई, तापानुशीलित, झली हुई अथवा निःस्त्रावित हों, यथा-मूल्य 5 प्रतिशत उत्पादनशुल्क निर्धारित किया जाता है। मार्च, 1964 में जारी की गई एक अधिसूचना के संशोधित रूप के अनुसार भारत सरकार ने, अन्य बातों के साथ साथ, किसी भी प्रकार के कच्चे लोहे के बने हुए ढलवां लोहे के पाइपों को जिन पर शुल्क चुकाया जा चुका हो, और इस्पाती पाइपों और नलियों को यदि वे प्लेटों, चादरों, चपटे टुकड़ों या पट्टियों से बनाई गई हो जिन पर समुचित दर पर शुल्क चुकाया जा चुका हो तो उन पर लग सकने वाले पूरे उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया है। इसलिए बंटे हुए पाइप उपर्युक्त रियायत के हकदार नहीं हैं। एक लोहा इस्पात कारखाने में बंटे हुए पाइपों को ढलवां लोहे के पाइप मान कर उनकी निकासी उत्पादन शुल्क चुकाये बिना की जा रही थी। इसके कारण मार्च, 1964 से मार्च, 1966 तक की अवधि के दौरान 12,26,431 रु० के राजस्व की हानि हुई।

### 33. विद्युत मोटरें (टैरिफ मद 30)

#### गलत वापिसी और शुल्क की कम उगाही

400 वोल्ट से अधिक दाब पर परिपथों में उपयोग करने के लिए जिन विद्युत मोटरों का निर्माण किया गया हो उन पर क्रमशः टैरिफ की मद 30(2)(i) और 30(2)(ii) के अधीन यथा मूल्य 10 प्रतिशत, यदि उनकी अंकित क्षमता 10 अश्व शक्ति से अधिक नहीं है और यदि है तो यथा-मूल्य 5 प्रतिशत शुल्क देय होता है। टैरिफ मद 30(3) के अधीन खास मोटरों पर यथा-मूल्य 15 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है। मई, 1965 में बोर्ड ने यह स्पष्ट किया कि परिवर्तनीय गति के प्रकार की अपकेन्द्रीय मोटरों को टैरिफ 30(3) के अधीन विशेष मोटरें मानना चाहिए।

बहुगति प्रकार की खास अपकेन्द्रीय मोटरें, जिनकी अश्व शक्ति निश्चित नहीं की जाती, एक कलकटरी के अन्तर्गत एक फैक्टरी द्वारा तैयार की गईं जिन पर आरम्भ में टैरिफ मद 30(3) के अधीन कर-निर्धारण किया गया। फैक्टरी द्वारा एक अभ्यावेदन करने पर मोटरों के टैरिफ वर्गीकरण का प्रश्न उस स्थान के कलक्टर द्वारा अप्रैल, 1966 में बोर्ड के पास भेजा गया। बोर्ड ने सितम्बर, 1966 में यह व्यवस्था दी कि इन मोटरों पर ऐसी मोटरें मानते हुए शुल्क लगाया जाए जिनकी अश्व शक्ति 10 से अधिक नहीं है। परिणामस्वरूप इन मोटरों को टैरिफ मद 30(2)(i) के अधीन माना जाने लगा और 15 सितम्बर, 1965 से 3 अगस्त, 1966 तक की अवधि से सम्बन्धित शुल्कान्तर जो 75,696 रुपए बनता था फरवरी, 1967 में वापस कर दिया गया। जुलाई, 1967 तक की बाद की अवधि के लिए हुए कम कर-निर्धारण की रकम 1,00,261 रुपए होती है।

एक अन्य कलकटरी में विनिर्मित इस तरह की मोटरों पर टैरिफ मद 30(3) के अधीन कर-निर्धारण किया गया।

### 34. बेतार अधिग्राही तंत्र (रिसीविंग सेट) (टैरिफ मद 33 क)

#### रियायती दरों पर गलत कर-निर्धारण

एक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क रेंज के अन्तर्गत 6 निर्माताओं द्वारा बेतार अधिग्राही सेटों की निकासी की गई। इन सेटों पर सरकार द्वारा उसी महीने जारी की गई एक अधिसूचना में बताया गया शुल्क की रियायती दरों पर कर-निर्धारण किया गया। इस अधिसूचना के अनुसार रियायती दरें तभी दी जा सकती हैं जब कि निर्माता अधिसूचना में अनुमत विशिष्ट दरों पर शुल्क की उगाही के सम्बन्ध में अपना विकल्प सूचित कर दें। परन्तु उपर्युक्त 6 मामलों में निर्माताओं ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की उगाही के प्रयोजन से उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारण के लिए अपना विकल्प जाहिर नहीं किया था। अतएव सभी बेतार अधिग्राही सेटों की सभी निकासियों पर टैरिफ सारणी में नियत मानक दरों पर शुल्क लगाया जाना आवश्यक था, अर्थात् 20 प्रतिशत बुनियादी शुल्क और बुनियादी शुल्क पर 33 $\frac{1}{3}$  प्रतिशत विशेष शुल्करियायती दरों पर इस तरह का कर-निर्धारण जो कि निर्माताओं द्वारा स्पष्ट विकल्प सूचित करने के अभाव में अनुमत नहीं था मार्च, 1964 से सितम्बर, 1965 तक की अवधि में 3,31,439 रुपए के राजस्व की हानि का कारण बना है।

#### 35. अन्य उल्लेखनीय विषय

##### (i) कार्यकारी अनुदेशों के आधार पर शुल्क में रियायत

एक रबड़ उत्पादन पर जो कि आम तौर पर "ट्रेड रबड़" कही जाती है और जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ मद 16क के अन्तर्गत है सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा समय-समय पर तय की गई दरों के आधार पर शुल्क लगाया जाता है। किन्तु एक ही फैक्टरी में तैयार की गई और टायर बनाने के काम में लायी गयी ट्रेड रबड़ पर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा मई, 1962 में जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों के आधार पर शुल्क नहीं लगाया जाता। पहली अप्रैल, 1967 को सरकार ने अधिसूचना जारी करके ऐसे ट्रेड रबड़ को शुल्क से मुक्त कर दिया। उत्पादन-फैक्टरी में ही टायर बनाने के लिए काम में लाए गए ट्रेड रबड़ पर कार्यकारी अनुदेशों पर शुल्क की गैर-उगाही के फलस्वरूप मई, 1962 से मार्च, 1967 की अवधि में 3 क्लक्टरियों के अन्तर्गत 3 फैक्टरियों से सम्बन्धित 3.97 करोड़ रुपए तक का राजस्व छोड़ दिया गया।

##### (ii) सूती कपड़ों के खोटे वाले छोरों पर संसाधन क्रिया अधिभार की गैर उगाही

13 सितम्बर, 1958 से समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार सूती कपड़े जब पूरी अवस्था में हों तो उन पर शुल्क लगता है और जब वे बाद में संसाधन कार्य से गुजर चुका हों तो उन पर संसाधन क्रिया अधिभार नामक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। पहली मार्च, 1960 से अधिसूचना के अनुसार सूती कपड़े कटपीसों पर निश्चित दरों पर शुल्क लगाया जाता था। किन्तु संसाधन किये गये कटपीसों की निकासी पर संसाधन क्रिया अधिभार नहीं लगाया जाता था। ऐसा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की तारीख 28 मार्च, 1960 और 20 जून, 1960 को जारी की गई कुछ हिदायतों के अनुसार किया जाता था। यद्यपि छूट के कारणों को ऐसा नहीं माना जा सकता कि उनके विषय में कोई आपत्ति न की जाए तथापि छूट की अनुमति देने वाले कार्यकारी अनुदेश जारी करना अनियमित है। कार्यकारी अनुदेशों के आधार पर 12 क्लक्टरियों में दी गई रियायतों की रकम मार्च, 1960 से दिसम्बर, 1966 तक की अवधि के लिए 27.68 लाख रुपए बनती है।

### (iii) चर्म-वस्त्र पर शुल्क की गैर उगाही

दो कलक्टरियों के अन्तर्गत दो फैक्टरियों में चर्म-वस्त्र नामक कपड़े के कुछ प्रकार सूती कपड़ों पर प्लास्टिकों का लेप लगा कर तैयार किए जा रहे थे और इस तरह तैयार माल पर शुल्क नहीं लगाया जा रहा था क्योंकि उसमें सूती कपड़े की मात्रा भार के आधार पर परिणामी उत्पाद में 40 प्रतिशत से कम थी। इस का आधार वे हिदायतें थीं जो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने फरवरी 1963 और अक्टूबर, 1963 में यह बताते हुए दी थीं कि ऐसा माल (जिसमें सूती कपड़े का वजन 40 प्रतिशत से कम हो) सूती कपड़े के वर्ग में न लिया जाकर "प्लास्टिक" के अन्तर्गत लिया जाएगा और यदि इस प्रकार के चर्म वस्त्र के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल प्लास्टिक और बुनियादी सूती कपड़े पर शुल्क चुकाया जा चुका है तो उस पर शुल्क नहीं लगाया जायगा। बोर्ड के ये अनुदेश टैरिफ मद "सूती कपड़े" के वर्णन के अनुरूप नहीं हैं। इस मद के अनुसार किसी भी वस्तु पर "सूती कपड़ा" मान कर शुल्क लगाया जा सकता है जब कि उसमें कपास हो चाहे उसमें संसाधन क्रिया का मसाला किसी भी मात्रा में वर्तमान हो। अतः उपर्युक्त परिणामी उत्पाद पर टैरिफ मद 19 के अधीन संसाधन क्रिया अधिभार किसी दूसरी तरह से प्रोसिस किया सूती कपड़ा मान कर लगाना चाहिए। प्रोसिस क्रिया अधिभार की गैर उगाही के कारण अप्रैल, 1963 से जुलाई, 1965 तक राजस्व की हानि 7,61,841 रुपए की हुई है।

### (iv) रिफिल पर कम उगाही

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ मद 23क के अधीन, काँच की चीजों पर शुल्क लगाया जाता है। यह शुल्क यथा-मूल्य होता है और इसका निर्धारण फैक्टरी से निकासी की गई काँच की चीजों के मूल्य पर आधारित होता है। थर्मोस बोतलों के लिए काँच के रिफिल बनाने वाली कुछ फैक्टरियों ने बोर्ड के कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार चाँदीयन या निर्वातन के पूर्व-मूल्य के आधार पर पूरी तरह संसाधन न किये गये रिफिलों की लागत पर शुल्क चुकाया। ऐसे पूरी तरह तैयार न किये गये रिफिल तैयार रिफिल नहीं माने जा सकते। पूरी तरह संसाधन न किये गये रिफिल और चाँदीयन या निर्वातन के बाद बेचे गए रिफिलों की कीमतों में बहुत अन्तर होने के कारण शुल्क में वास्तविक अन्तर पड़ जाता है चाहे टूट-फूट के लिए गुंजाइश क्यों न निकाल दी जाय। अगर पूरी तरह संसाधन न किये गये रिफिलों पर चाँदीयन और निर्वातन की अवस्था के बाद शुल्क लगाया जाता तो मार्च, 1961 से जुलाई 1967 के दौरान चार कलक्टरियों में 7,42,382 रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती।

### 36. संघ उत्पादन शुल्कों का बकाया\*

31 मार्च, 1967 को संघ उत्पादन शुल्कों की बकाया माँगों की रकम 1606.68 लाख रुपए थी; जैसा कि अगल पृष्ठ पर दिया गया है :—

\*ये आँकड़े वित्त मंत्रालय ने दिए थे।

वस्तुएं	एक साल से ज्यादा पड़ी हुई	एक माह से अधिक पर एक साल से कम अवधि तक पड़ी हुई।	जोड़
	(लाख रुपयों में)		
अविनिमत तम्बाकू	296.56	98.16	394.72
डीजल तेल एन० ओ० एस०	9.73	55.35	65.08
भट्टी तेल (फरनेस आयाल)	0.74	35.23	35.97
कृत्रिम और संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक सामग्री	100.76	24.47	125.23
कागज	19.09	19.05	38.14
रेयन और संश्लिष्ट रेशे और धागा	100.83	219.89	320.72
सूती वस्त्र	193.61	30.64	224.25
लौहा और इस्पात का तैयार माल	13.00	26.50	39.50
प्रशीतन और वातानुकलन सामान और यंत्र	43.93	21.57	65.50
अन्य सभी वस्तुएं	142.06	155.51	297.57
जोड़	920.31	686.37	1606.68

### 37. राजस्व के दावों में माफी और राजस्व के लिये दावे का परित्याग \*

1966-67 के दौरान माफी की गई परित्यक्त और बढ़े खाते डाली गई कुल रकम 4,34,447 रुपए थी। माफी और बढ़े खाते डालने के संबंध में दिए गए कारण निम्नलिखित हैं:—

#### I. नीचे दी गई हानियों के कारण राजस्व की माफियां—

	मामलों की संख्या	रकम रु०
(क) आग	88	3,06,299
(ख) बाढ़	8	4,081
(ग) चोरी	14	4,318

\*ये आंकड़े वित्त मंत्रालय ने दिए थे।

## II. परित्यजन या बट्टे खाते डालने के मामलों के कारण ये हैं :—

	मामलों की संख्या	रकम रु०
(क) निर्धारितियों (देन दार) की मृत्यु और पी.छे कोई परिसंपत्तियां न छोड़ जाना	21	4,569
(ख) निर्धारितियों का लुप्त होना	29	9,489
(ग) निर्धारितियों का जीवित किन्तु शुल्क देने में असमर्थ होना	202	61,241
(घ) अन्य कारण	50	44,450
<b>जोड़</b>	<b>412</b>	<b>4,34,447</b>

### 38. धोखेबाजियां और कर-अपवंचन \*

नीचे के विवरण में उन मामलों की संख्या दी गई है जिनमें केन्द्रीय उत्पादन कर अधिनियम के अधीन धोखे और अपवंचन के अपराधों के लिए मुकदमे चलाए गए । साथ ही लगाए गए जुर्मानों और जब्त किए गए माल के मूल्य की रकम भी दी गई है ।

(1) उन अपराधों की कुल संख्या जो केन्द्रीय उत्पादन अधिनियम के अधीन किए गए और न्यायालयों में जिन पर मुकदमा चलाया गया ।	7
(2) उन मामलों की कुल संख्या जिनमें अपराधी को दण्ड दिया गया	7
(3) पकड़े गए माल का कुल मूल्य	1,12,85,468 रुपये
(4) न्यायालय में मुकदमा चलाने से जब्त किए गए माल का कुल मूल्य	1,465 रुपये
(5) लगाए गए जुर्मानों की कुल रकम	5,67,045 रुपये
(6) चुकाने के लिए निर्धारित शुल्क की कुल रकम, उन मामलों में जिनमें शुल्क की उगाही के लिए न्यायालय ने निर्णय दिया ।	46,85,292 रुपये
(7) जुर्माने की कुल रकम जो जब्ती के एवज में न्यायालय द्वारा तय की गई ।	4,31,306 रुपये
(8) प्रशसन द्वारा तय की गई कुल रकम	1,45,373 रुपये
(9) जब्ती के बाद नष्ट हो गई चीजों की कुल रकम	49,093 रुपये
(10) जब्ती के बाद बेची गई चीजों से प्राप्त कुल रकम	73,726 रुपये

\*ये आंकड़े वित्त मंत्रालय ने दिये थे ।

## चौथा अध्याय

### निगम कर तथा निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर

39. (क) वर्ष 1966-67 में निगम कर तथा निगम कर के अलावा, अन्य आय पर करों से (इसमें आयकर का वह भाग शामिल नहीं है जो राज्य सरकारों के लिए नियत था) 500.33 करोड़ रुपए की कुल राशि प्राप्त हुई। 1964-65, 1965-66 और 1966-67 के तीन वर्षों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

	1964-65	1965-66	1966-67
निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (सकल आय)	266.93	271.80	306.63
घटाएं—राज्य सरकारों के लिए नियत निवल आय का भाग	123.77	123.34	137.10
निवल राशि	143.16	148.46	169.53
जोड़ें—निगम कर	313.64	304.84	330.80
जोड़	456.80	453.30	500.33

(ख) विभाग के रजिस्ट्रारों में 31 मार्च, 1967 को निर्धारितियों की कुल संख्या 27,01,733 थी। इसके तदनुरूपी आंकड़ों में 31 मार्च, 1966 को यह संख्या 24,31,536 थी। कुछ वर्गों की दो अवधियों की निर्धारितियों की संख्या निम्नलिखित है :—

	31 मार्च 1966 को	31 मार्च 1967 को
25,000 रु० से अधिक आय के व्यावसायिक मामले	91,664	1,09,613
15,000 रु० से अधिक किन्तु 25,000 रु० तक की आय के व्यावसायिक मामले	1,02,849	1,15,501
7,500 रु० से अधिक किन्तु 15,000 रु० तक की आय के व्यावसायिक मामले	2,74,256	2,95,812
निम्नलिखित वर्ग में उल्लिखित मामलों तथा धनवापसी के मामलों के अलावा अन्य सभी मामले	12,14,532	12,20,588
18,000 रु० से कम के सरकारी वेतन और गैर सरकारी वेतन के मामले	7,48,235	9,60,219
जोड़	24,31,536	27,01,733

## 40. नमूना लेखापरीक्षा के सामान्य परिणाम

(i) पहली सितम्बर, 1966 से 31 अगस्त, 1967 तक की अवधि में आय कर कार्यालयों के दस्तावेजों की नमूना लेखापरीक्षा से मालूम हुआ कि 9469 मामलों में 1179.98 लाख रुपए के करों का अवनिर्धारण और 2392 मामलों में 58.73 लाख रुपए के करों का अतिनिर्धारण किया गया। इनके अलावा लेखापरीक्षा के समय निर्धारित क्रियाविधि के अनुपालन में भी विभिन्न कमियां दिखाई दीं।

अवनिर्धारण के कुल 9469 मामलों में से केवल 687 मामलों में 1088.94 लाख रुपयों की कम उगाही दिखाई दी। बाकी 8782 मामलों में 91.04 लाख रुपए का अवनिर्धारण किया गया।

ऊपर अवनिर्धारण और अतिनिर्धारण के जिन मामलों का उल्लेख किया गया उनकी परिशोध सम्बन्धी स्थिति नीचे दी जा रही है।

अवनिर्धारण	मामलों की संख्या	रकम (लाख रुपयों में)
(क) राजस्व विभाग द्वारा परिशोधित किए गए अथवा किए जा रहे मामले . . . . .	5496	322.24
(ख) ऐसे मामले जिन में अवधि बीत जाने के कारण राजस्व में होने वाली हानि का परिशोधन संभव नहीं है	46	3.87
(ग) ऐसे मामले जिनमें अभी राजस्व विभाग द्वारा परिशोधन सम्बन्धी कार्यवाही की जानी है . . . . .	3771	360.10
(घ) जिन मामलों के विषय में अभी मंत्रालय से पत्र-व्यवहार हो रहा है।		
(i) जिन मामलों में मंत्रालय से अन्तिम उत्तर अपेक्षित है . . . . .	19	421.77*
(ii) जिन मामलों पर मंत्रालय से परामर्श के बाद लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापन किया जा रहा है	137	72.00
<b>जोड़</b>	<b>9469</b>	<b>1179.98</b>

\* इस राशि में एक निगम से सम्बद्ध 4.10 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है जो निर्धारण में उसे गलत स्थिति प्रदान करने के कारण हुई। सम्बद्ध मामले के कानूनी पहलू की एक अन्य मामले में मंत्रालय द्वारा परीक्षा की जा रही है।

प्रति निर्धारण	मामलों की संख्या	रकम (लाख रुपयों में)
(क) राजस्व विभाग द्वारा परिशोधित किए गए अथवा किए जा रहे मामले	2074	51.35
(ख) ऐसे मामले जिनमें अवधि बीत जाने के कारण परिशोधन सम्बन्धी कार्यवाही संभव नहीं है	5	0.09
(ग) ऐसे मामले जिनमें अभी राजस्व विभाग द्वारा परिशोधन सम्बन्धी कार्यवाही की जानी है	313	7.29
जोड़	2392	58.73

(ii) 1179.98 लाख रुपयों के कर का निम्नलिखित गलतियों के परिणामस्वरूप अवनिर्धारण हुआ :-

	रकम (लाख रुपयों में)
(1) असावधानी या ठीक-ठीक कर-दरों को लागू न करने के कारण गलतियाँ और भूलचूक	33.99
(2) "वेतन" शीर्ष के अर्धीन आय का गलत परिकलन	3.11
(3) "गृह-सम्पत्ति" शीर्ष के अर्धीन आय का गलत परिकलन	3.35
(4) "व्यवसाय" से प्राप्त आय का गलत परिकलन	91.86
(5) विकास घटौती और मूल्यह्रास के गलत परिकलन के कारण अवनिर्धारण	41.94
(6) नव संस्थापित औद्योगिक उपक्रमों या होटलों को कर से अनियमित छूट	9.22
(7) निर्यात पर कर में अनुचित घटौती	1.33
(8) अन्य अनियमित छूटे या अतिरिक्त राहें	294.56
(9) कम्पनियों द्वारा देय अधिकर/आयकर का गलत परिकलन	29.20
(10) आयकर अधिनियम 1922/1961 के खण्ड 23 क/104 के अर्धीन अतिरिक्त अधिकर/आयकर न लगाना	36.22
(11) दण्ड रूप में व्याज न लगाना/गलत लगाना	40.48
(12) अपीलों के आदेशों को कार्यान्वित करते समय हुई भूलें	3.02
(13) निर्धारण से रह गई आय	83.50
(14) अधिलाभ-कर या अतिकर का गलत निर्धारण	5.97
(15) अन्य गलतियाँ	502.23



उपरोक्त प्रकारों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं :—

#### 41. अलावधानी या ठीक-ठीक कर-दरों को लागू करने के कारण गलतियाँ और भूल-चूक

(क) विन अधिनियमों में व्यक्तिगत स्तर पर खण्ड की दर (स्लैब रेट) से कर का निर्धारण किया जाता है और प्रत्येक खण्ड के बढ़ने के साथ करों में क्रमिक वृद्धि होती है। दरों को लागू करते समय कुल आय को एक साथ लेना चाहिए। एक मामले में यह देखा गया कि 1,60,000 रुपए की कुल आय पर, कर लगाने के लिए एक लाख रुपए पर अलग से कर निर्धारण करके और 60,000 रुपए पर अलग से आकलन करके दोनों को जोड़ दिया गया। 1962-63 निर्धारण वर्ष में गलत परिकलन के फलस्वरूप 23,580 रुपए की कम उगाही की गई। कर के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट अपेक्षित है।

(ख) आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर की रकम पर व्याज की अदायगी को व्यय में शामिल नहीं किया जा सकता। एक कम्पनी के गत वर्ष के उससे संबद्ध निर्धारित वर्ष 1965-66 के लाभ और हानि के लेखाग्रों में 12,123 पाँड की रकम भारतीय कराधान पर व्याज के नामे डाली गई थी। कम्पनी की कुल आय का निर्धारण करते समय आय कर अधिकारी ने इस रकम को अस्वीकार करके उसे पुनः खाता लाभ में जोड़ने के बजाय खाता लाभ में से घटा दिया और इसे अलग से "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में निर्धारित किया। इस प्रकार एक ओर तो व्यवसाय से आय में कमी हुई जिससे 24,246 पाँड का अननिर्धारण हुआ और दूसरी ओर अन्य स्रोतों से आय पर 12,123 पाँड की रकम का अधिक निर्धारण किया गया। फलतः 1965-66 के निर्धारण वर्ष में कम्पनी की कुल आय पर 12,123 पाँड या 1,61,640 रुपए का अननिर्धारण हुआ और 1,05,066 रुपए के कर की कम उगाही की गई। इसके अलावा 1965-66 के निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी को अग्रिम कर की अतिरिक्त अदायगी पर व्याज की मंजूरी दी गई। उल्लिखित कर अवप्रभार के कारण कम्पनी को अतिरिक्त व्याज की रकम के रूप में 5,078 रुपए दिए गए। कर के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) एक निर्धारित के लिए आयकर विभाग ने 26 फरवरी, 1966 को 1961-62 निर्धारण वर्ष के लिए अतिकर के रूप में 1,99,267 रुपए की रकम निर्धारित की। कर की कुल देय रकम का परिकलन करते समय गलती से 1,19,267 रुपए की रकम ली गई फलस्वरूप 80,000 रुपए के कर का कम निर्धारण हुआ। इस प्रकार विभाग द्वारा प्राप्य कर का जो माँग नोटिस भेजा गया वह घटी हुई कुल रकम पर आधारित था। बकाया कर की वसूली के लिए उसी आधार पर 23 मार्च, 1967 को प्रमाणिकरण कार्यवाही शुरू की गई। वर्ष 1961-62 के निर्धारण की जाँच आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा 19 अक्टूबर, 1966 को की गई थी किन्तु यह गलती नहीं पकड़ी गई।

(घ) एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के निर्धारण वर्ष 1954-55 की व्यवसाय-हानि का परिकलन करते समय आयकर अधिकारी ने आरम्भिक स्टाक का 1,93,717 रुपए का अधिक मूल्यांकन किया। आरम्भिक स्टाक के अधिक मूल्यांकन से हानि की मात्रा बढ़ जाती है इसलिए संगणित हानि की रकम में से 1,93,717 रुपए की रकम को घटा देना चाहिए था। किन्तु इस रकम को हानि की परिकलन रकम में जोड़ दिया गया फलस्वरूप 1954-55

के निर्धारण वर्ष में हानि की रकम बढ़ कर 3,87,434 रुपए हो गई। इस प्रकार गलती से हानि की रकम को अगले वर्षों में ले जाने तथा उनकी बाद के वर्षों की आय में उसके समायोजन के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1962-63 और 1963-64 की आय में क्रमशः 1,54,915 रुपए और 2,32,519 रुपए की कमी हो गई। कर के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ड) वित्त अधिनियमों में निहित उपबन्धों के अनुसार व्यक्तियों, अविभक्त हिन्दू परिवारों, अप्रज्जीकृत फर्मों और अन्य व्यक्ति संगठनों के सम्बन्ध में जहाँ कुल आय में सम्मिलित अर्जित आय एक लाख रुपए से अधिक हो तो कुल आय में सम्मिलित सम्पूर्ण अर्जित आय पर यदि ऐसी अर्जित आय कुल आय हो और आयकर और अधिकर की रकम एक लाख रुपए की रकम पर देय हो तो आयकर और अधिकर के अन्तर पर दस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त अधिभार लगाया जाएगा।

ऐसा देखा गया है कि विभिन्न कमिश्नरों के अधीन निर्धारित सात मामलों में 1961-62 से 1964-65 तक के निर्धारण वर्षों में 1,36,036 रुपए का अतिरिक्त अधिभार नहीं लगाया गया था। छः मामलों में 1,25,027 रुपए के कर की रकम के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट अपेक्षित है। बाकी एक मामले में मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है।

(च) निर्धारण वर्ष 1965-66 पर लागू होने वाले आयकर अधिनियम 1961 के अधीन कम्पनियों के अलावा निर्धारितियों के मामलों में मकानों और जमीनों से होने वाले ऐसे पूंजीगत लाभों पर (थोड़ी अवधि के पूंजीगत लाभों को छोड़ कर) जिनकी रकम 5,000 रुपए से अधिक हो श्रौसत आय कर की दर (अधिभार सहित) का तीन चौथाई कर लगाया जाता है। एक व्यक्ति निर्धारितियों के मामले में ऐसे पूंजीगत लाभ की 4,27,050 रुपए की रकम पर कर निर्धारित करते समय, कुल आय पर अधिभार लगाना रह गया और इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1965-66 के दौरान 32,090 रुपए के कर की कम उगाही हुई। परिशोधन और वसूली के सम्बन्ध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

#### 42. 'वेतन' शीर्ष के अधीन आय का गलत निर्धारण

पहली अप्रैल, 1955 से पूर्व जिस कर्मचारी द्वारा मनोरंजन भत्ता नियमित रूप से प्राप्त किया जाता था उसके 'वेतन' शीर्ष के अधीन आय के परिकलन में इसे घटाने की अनुमति प्राप्त थी। लेकिन इस प्रकार घटाई जाने वाली रकम नियोक्ता से प्राप्त वेतन के 1/5 भाग तक सीमित करनी होती है। एक ऐसे निर्धारितियों के मामले में जो एकाधिक नियोक्ता से वेतन प्राप्त करता था यह कभी मनोरंजन भत्ता देने वाले नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली वेतन की रकम के 1/5 भाग तक सीमित न थीं, इसके फलस्वरूप 1958-59 से 1963-64 के निर्धारण वर्षों में 17261 रुपए के कर की कम उगाही हुई। कर के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

#### 43. "गृह सम्पत्ति" शीर्ष के अधीन आय का गलत निर्धारण

गृह सम्पत्ति से आय का परिकलन करने में सम्पत्ति पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए करों की रकम घटाने की स्वीकृति दी जा सकती है। निर्धारण वर्ष 1966-67

में एक कम्पनी के मामले में निर्धारिती ने 27,582 रुपए की रकम गृह सम्पत्ति पर शहरो भू-कर के रूप में अदा की जिसे घटाने की स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन शहरो भू-कर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नहीं लगाया जाता है अपितु राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, इसलिए 27,582 रुपए की कमी की स्वीकृति नहीं दी जा सकती थी। फलस्वरूप कर 14,000 रुपए कम उगाहा गया। कर के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

#### 44. "व्यवसाय" से आय का गलत परिकलन

(क) 1961 के आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन, किसी निर्धारण वर्ष में एक व्यवसाय से संबद्ध अपूरित हानि को "व्यवसाय आदि से लाभ और अधिलाभ" शीर्ष के अधीन भावी लाभों के विरुद्ध समायोजन के लिए आगे निर्धारण के लिए ले जाया जाए और यदि सम्बद्ध व्यवसाय बन्द हो चुका हो तो उसका समायोजन नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि व्यवसाय के बंद होने के बाद परिसम्पत्तियों आदि की बिक्री से कोई लाभ हो जो खण्ड 41 के अधीन कर के लिए प्रभार्य हो तो ऐसी स्थिति में यदि व्यवसाय के अन्तिम वर्ष में कोई हानि हो तो केवल उसी का समायोजन ऐसे लाभ में से किया जा सकता है। एक ऐसी निर्धारिती कम्पनी को जिसने पिछले साल के निर्धारण वर्ष 1963-64 में व्यवसाय बन्द कर दिया था, निर्धारण वर्ष 1965-66 में धारा 41 के अधीन कर के लिए प्रभार्य लाभ था। आय कर अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 1961-62 और 1962-63 से संबंधित अपूरित हानि का समायोजन स्वीकृत किया यद्यपि केवल 1963-64 निर्धारण वर्ष (वह साल जिसमें व्यवसाय बन्द कर दिया गया था) से सम्बद्ध हानि को ही उस लाभ में से समायोजन के लिए स्वीकृत किया जा सकता था। इस गलती के कारण 2,29,357 रुपए की आय का अवनिर्धारण हुआ फलस्वरूप निर्धारण वर्ष 1965-66 में कर 1,14,579 रुपए की कम उगाही की गई।

(ख) कम्पनी को इस बात का अधिकार है कि वह मनोरंजन व्यय को खण्ड (स्लैब) की दर से व्यय के तौर पर कटौती करवा सकती है। यह कटौती प्रथम खण्ड में 10 लाख रुपए या इससे कम के व्यवसाय के लाभ और अधिलाभ पर 1 प्रतिशत या 5,000 रुपए इनमें से जो भी रकम अधिक हो और द्वितीय खण्ड में 40 लाख रुपए के व्यवसाय के लाभ और अधिलाभ पर 3/4 प्रतिशत होती है।

एक ऐसी कम्पनी के निर्धारण में जिसकी निर्धारण वर्ष 1961-62 में कुल आय 95,096 रुपए थी, मनोरंजन व्यय में कटौती को 5000 रु० तक सीमित न रखते हुए 42,086 रुपए की कटौती की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके कारण कर 16,688 रुपए कम निर्धारित हुआ।

एक अन्य मामले में निर्धारण अधिकारी ने 1961-62 और 1962-63 निर्धारण वर्षों में क्रमशः 68,194 रुपए और 50,390 रुपए के मनोरंजन व्यय की मंजूरी दी जबकि आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन केवल 50,000 रुपए और 10,368 रुपए की मंजूरी दी जा सकती है। इसके कारण 51,516 रुपए के कर का कम निर्धारण हुआ। गलती का सुधार कर दिया गया है लेकिन सम्बद्ध कर की वसूली के सम्बन्ध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) एक कम्पनी के मामले में आयकर विभाग ने कम्पनी के लेखा परीक्षकों द्वारा बिना लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं द्वारा समर्थित अनन्तिम विवरणी के आधार पर 22 मार्च, 1962

को कम्पनी का नियमित निर्धारण पूरा किया। इसके अनुसार 1,86,658 रुपए की हानि का निर्धारण किया गया। रिकार्डों से मालूम हुआ कि कम्पनी ने 1960-61 के निर्धारण वर्ष के अन्तिम लेवें प्रस्तुत नहीं किए और नहीं आयकर अधिकारी ने ही ऐसा करने के लिए कहा। 1961-62 निर्धारण वर्ष के लेखाओं में "गत वर्ष के तदनरूपी आंकड़ें" शीर्ष के अधीन दिए गए आंकड़े, 1960-61 निर्धारण वर्ष के अन्तिम लेखाओं में प्रदर्शित आंकड़ों से, जो कि 1960-61 के निर्धारण का आधार था पूरी तरह मेल नहीं खाते। दो प्रकार के आंकड़ों में कमियों का सीधा परिणाम यह हुआ कि 1960-61 निर्धारण वर्ष के अन्तिम लेखाओं में हानि के आंकड़ों में 1,44,109 रुपए की वृद्धि हुई और उतना ही तदनरूपी आय का अवनिर्धारण हुआ। इस कारण से निर्धारण वर्ष 1960-61 में 64,849 रुपए के कर का कम प्रभार हुआ। हम गलती की ओर न तो विभाग का ध्यान 21 मार्च 1966 को निर्धारण करते समय ही गया जब कि निर्धारण वर्ष 1960-61 के लेखाओं की जांच की जा रही थी और न ही हुण्डी द्वारा ऋणों के रूप में दी गई बचा ली गई आय का कर निर्धारण करने के लिए 4 अप्रैल, 1966 को, 1960-61 के निर्धारण के पुनरीक्षण करते समय हा गया। कर की वसूली के सम्बन्ध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) एक कम्पनी को जिसका निर्धारण नवम्बर, 1963 को पूरा हुआ, 1959-60 निर्धारण वर्ष में शेयरों की बिक्री लिए 2,41,472 रुपए की हानि की स्वीकृति दी गई थी। इन बेचे गए शेयरों में बोनस शेयर भी शामिल थे। विभाग ने इन शेयरों के अर्जन का मूल्य प्रत्यक्ष मूल्य के हिसाब से 1,39,300 रुपए (100 रुपए प्रति शेयर की दर से 1393 शेयरों का मूल्य) नियत किया। बोनस शेयरों के मूल्य का निर्धारण मूल शेयरों के अर्जन के मूल्य को मूल शेयरों और बोनस शेयरों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जा सकता था। ऐसा न करने का परिणाम यह हुआ कि शेयरों का लागत मूल्य बढ़कर 1,39,300 रुपए हो गया, फलस्वरूप इतनी ही आय की कम सूचना दी गई और 1959-60 के निर्धारण वर्ष में कर पर 71,740 रुपए का कम प्रभार बताया गया। इस रकम के लिए अतिरिक्त मांग की जा चुकी है। कर के सम्बन्ध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ङ) एक कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1964-65 में परिसंपत्तियों के मूल ह्रास के लिए लाभ और हानि के लेवें में 30,515 रुपए की रकम नामे डाली। निर्धारित ने अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अधीन आयकर अधिकारी द्वारा परिकल्पित हासित मूल्य के सममूल्य पर लाने के लिए उनका कम मूल्य निर्धारित किया था।

यद्यपि पूंजीगत परिसंपत्ति में कमी राजस्व व्यय नहीं है और इसके बदले में आय में कटौती स्वीकार्य नहीं है, तथापि आयकर अधिकारी ने इस दावे को मंजूर कर लिया। इस प्रकार आय को 30,515 रुपए कम परिवर्धित किया गया फलस्वरूप 15,257 रुपए के कर का कम निर्धारण किया गया। कर के परिशोधन और वसूली के सम्बन्ध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

#### 45. मूल्यह्रास और विकास घटौती के परिकलन में गलतियाँ

मूल्यह्रास और विकास घटौती के परिकलन में गलतियों के कारण अवनिर्धारण के 630 मामले ध्यान में आए जिसमें 41.94 लाख रुपए की रकम संबद्ध थी। कुछ मामलों का व्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है :

(क) एक कम्पनी ने जो तांबे और केनाइट के अयस्कों के खनन और तांबे और पीतल के निर्माण का व्यवसाय कर रही थी, निर्धारण वर्ष 1960-61 से पूर्व के वर्ष में खानों के पूर्वक्षण और

विकास पर 4,60,944 रुपए का व्यय किया। कम्पनी ने व्यय को पूंजीकृत कर लिया। यद्यपि यह मद अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति थी तथापि आयकर अधिकारी ने गलती से इस पर 1960-61 निर्धारण वर्ष में 1,15,236 रुपए की विकास घटौती और 1960-61 से 1962-63 निर्धारण वर्षों में 3,02,992 रुपए की मूल्यह्रास घटौती की स्वीकृति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप 2,06,771 रुपए के कर का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने इस बात की सूचना दी है कि गलती को सुधारने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। कर के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ख) आयकर अधिनियम, 1922 के अनुसार पहली अप्रैल, 1945 और 31 मार्च, 1956 के बीच स्थापित किए गए संयंत्रों और मशीनों पर उनकी लागत पर 20 प्रतिशत की दर से आरंभिक मूल्यह्रास की स्वीकृति दी जा सकती थी। अधिनियम में ऐसा अनुबंध है कि आरंभिक मूल्यह्रास सहित कुल मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के कुल मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।

एक कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1954-55 में एक नए संयंत्र और मशीनरी की स्थापना की और आरंभिक मूल्यह्रास के रूप में 18.19 लाख रुपए की कटौती का उपयोग किया। 1960-61 निर्धारण वर्ष में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य 18.1 लाख रुपए था और आरंभिक मूल्यह्रास का समायोजन करने के बाद आयकर अधिकारी ने स्वीकार्य मूल्यह्रास को 11,794 रुपए तक सीमित कर दिया। यद्यपि निर्धारण वर्ष 1960-61 में परिसंपत्तियों पर स्वीकृत कुल मूल्यह्रास इस प्रकार परिसंपत्ति के कुल मूल्य के बराबर था और बाद के वर्षों के लिए और अधिक मूल्यह्रास स्वीकृत नहीं किया जा सकता था, तथापि आयकर अधिकारी ने 18.19 लाख रुपए की रकम को ह्रासित मूल्य मानकर 1961-62 और 1962-63 निर्धारण वर्षों के लिए 5.04 लाख रुपए की और मूल्यह्रास की स्वीकृति दे दी जिसके कारण 2.52 लाख रुपए के कर का कम निर्धारण हुआ।

(ग) आयकर नियमों के अधीन, कुछ विशिष्ट प्रकार की मशीनों के लिए बहुशिफ्ट मूल्यह्रास स्वीकार्य नहीं है, ऐसी मशीनों का एक उदाहरण वातानुकूलन मशीन है। एक कम्पनी के 1963-64 और 1964-65 निर्धारण वर्षों के निर्धारण में वातानुकूलन संयंत्र पर इस प्रकार का अतिरिक्त शिफ्ट-मूल्यह्रास गलत तौर पर स्वीकार किया गया जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1963-64 में 22,120 रुपए की आय का और निर्धारण वर्ष 1964-65 में 65,470 रुपए का अवनियमित हुआ, इससे इन वर्षों में 50,342 रुपए के कर की कम उगाही हुई। कर के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) यदि किन्हीं ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में विकास घटौती दी गई हो जिन्हें आठ वर्ष की अवधि में बेच दिया गया हो या अन्तर्गत कर दिया गया हो: (केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ यह निजी कुछ विशिष्ट प्राधिकारियों को की गई हो) अथवा उल्लिखित अवधि में परिसंपत्ति से सम्बद्ध जो आरक्षण किया गया हो, उसका उपयोग लाभांश के वितरण के लिए किया गया हो तो यह समझा जाना चाहिए कि यह विकास घटौती गलत स्वीकृत की गई है और तब घटौती को वापिस करवा कर संबद्ध निर्धारण में परिशोधन किया जाना चाहिए।

(i) एक मामले में 1959-60 और 1960-61 के निर्धारण वर्षों में एक निर्धारिती को नए संयंत्र और मशीनरी के लिए 41.061 रुपए की विकास घटौती स्वीकृत की गई। यद्यपि 1961-62 से संबद्ध वर्ष से पूर्व के वर्ष में संयंत्र और मशीनरी किसी निजी सीमित कम्पनी को बेच दी गई थी लेकिन निर्धारिती से पूर्व स्वीकृत विकास घटौती वापस नहीं ली गई, इसके कारण 31,616 रुपए के कर का अवनियमित हुआ। कर की वसूली से संबंधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ii) एक अन्य मामले में निर्धारण वर्ष 1964-65 में एक कम्पनी द्वारा स्थापित नई परिसंपत्ति पर 50,000 रुपए की विकास घटौती स्वीकृत की गई । यह परिसम्पत्ति 1965-66 निर्धारण वर्ष से संबद्ध पूर्ववर्ती वर्ष में किसी सरकारी उपक्रम को बेच दी गई । निर्धारिती ने 1965-66 निर्धारण वर्ष से संबद्ध पूर्व के वर्ष में 37,500 रुपए का विकास घटौती आरक्षण कम्पनी के लेखे में पुरांकित किया और उसका उपयोग लाभांश वितरित करने के लिए किया । विकास घटौती को वापस न लेने के फलस्वरूप 25,000 रुपए के कर का अवनिर्धारण हुआ । मांग के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

#### 46. नवीन स्थापित औद्योगिक उपक्रमों को गलत रोहत

(क) आयकर अधिनियम के अधीन, नए स्थापित औद्योगिक उपक्रमों की आय पर उपक्रम में लगाई गई पूंजी के 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से कर की छूट होती है, इसका निर्धारण अधिनियम में विहित नियमों के अनुसार किया जाता है । सम्बद्ध नियमों में इस बात की व्यवस्था है कि मूल्य-ह्रास योग्य परिसंपत्तियों की औसत लागत का उनके व्यवसाय में उपयोग में आने की अवधि को ध्यान में रखते हुए निश्चय करना चाहिए । तीन मामलों में ऐसा देखा गया है कि निर्माणधीन स्थिर परिसंपत्तियों के, स्थापना की जाने वाली मशीनों के, अप्रयुक्त मशीनों के मूल्य और आंशिक रूप से प्रयुक्त परिसंपत्तियों के पूर्ण मूल्य को 1960-61 और 1963-64 निर्धारण वर्षों में लगाई गई पूंजी की संगणना में गलती से शामिल कर लिया गया था । इस के कारण 79,003 रुपए के कर का कम निर्धारण हुआ । इनमें से एक मामले में 27,108 रुपए की अतिरिक्त मांग की वसूली उसके बाद हो चुकी है ।

(ख) एक अन्य मामले में नियोजित पूंजी की मात्रा को मालूम करने के लिए आयकर अधिकारी ने परिसंपत्तियों और देयताओं की औसत मूल्य प्रणाली का आश्रय लिया । ऐसे मामले में पूर्व वर्ष के अर्जित लाभों को छोड़ देना चाहिये । चालू लाभों को गलत जोड़ने के कारण औसत नियोजित पूंजी में 1,23,002 रुपये की अधिक वृद्धि बताई गई । इसके परिणामस्वरूप 53,809 रुपये का अवनिर्धारण हुआ ।

इसी मामले में इसी अवधि में यह बात भी ध्यान में आई कि औसत नियोजित पूंजी का परिकलन करते समय संयंत्र और मशीनों पर स्वीकृत आरंभिक मूल्यह्रास को संयंत्र और मशीनों के ह्रासित मूल्य में से नहीं घटाया गया था । इसके कारण 2.15 लाख रुपये की पूंजी की अधिक/परिकलन हुआ और 94,210 रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

इन दो निर्धारणों के परिशोधन के कालातीत हो जाने के कारण 1.48 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

#### 47. निर्यात से संबद्ध कर पर घटौती की गलत स्वीकृति

एक ऐसे निर्धारिती को, जो कि डिब्बा-बन्दी उद्योग में कार्य कर रहा था, डिब्बा बन्द मछलियों के निर्यात से प्राप्त बिक्री की रकम की दो प्रतिशत के बराबर राशि पर औसत दर से आयकर और अधिकार की कमी की मंजूरी दी गई । चूंकि मत्स्य डिब्बा-बन्दी उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में शामिल नहीं था इसलिए घटौती स्वीकार्य नहीं थी । गलती से मंजूर की गई यह घटौती की रकम निर्धारण वर्ष 1964-65 में लगभग 17,300 रुपये थी । कर के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

#### 48. दो गई अन्य अनियमित छूट या अधिक राहें

(क) आयकर अधिनियम के अधीन, किसी निर्धारिती द्वारा किसी नए औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त लाभांश को उस सीमा तक कर से छूट होती है जहां तक कि उस उपक्रम के छूट-प्राप्त लाभों पर छूट होती है। एक निर्धारिती के मामले में 3,61,950 रुपये के लाभांश पर 23 फरवरी, 1963 को आरंभिक घटौती स्वीकृत की गई यद्यपि आयकर अधिकारी को नए औद्योगिक उपक्रम का निर्धारण करते समय 25 मार्च, 1963 को घटौती के लिए प्रमाणित सही रकम 2,37,690 रुपए सूचित की गई थी, फिर भी घटौती में परिशोधन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1962-63 निर्धारण वर्ष में 78,284 रुपए की अतिरिक्त घटौती की वसूली नहीं हुई।

(ख) आयकर अधिनियम के अधीन, ऐसी भारतीय कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश से आय जो किन्हीं ऐसी वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन कर रही हों, जो इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट और अनुमोदित हो हिस्सेदार कम्पनियों के हाथ में कर से मुक्त होती हैं। इसी प्रकार की छूट ऐसी कम्पनियों द्वारा उत्पादन बढ़ाने या एक या अधिक निर्दिष्ट वस्तुओं का उत्पादन शुरू करने के लिए अलग यूनिट स्थापित करने के लिए और अधिक पूंजी जमा करने से प्राप्त लाभांश पर मिलती है।

राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सिविल) 1966 में इस बात का संकेत किया गया था कि छः निर्धारिती कम्पनियों को किसी विशिष्ट भारतीय कम्पनी से ऐसी लाभांश की आय पर कर पर दी गई छूट अनियमित थी, क्योंकि इस कम्पनी द्वारा निर्मित माल अधिनियम में निर्दिष्ट वस्तुओं की सूची में छूट के लिए अपेक्षित विशिष्टताओं से पूरी तरह युक्त नहीं था।

यह भी देखा गया कि उसी कम्पनी ने अप्रैल, 1961 में अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने के लिए एक अनिवासी कम्पनी को 950 शेयर जारी किए। यह अतिरिक्त पूंजी सार्वजनिक अभिदान द्वारा नहीं प्राप्त की गई न ही अतिरिक्त पूंजी जारी करने से प्राप्त लाभांश पर अधिकार की छूट के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। लेकिन लाभांश वारंट पर छूट का प्रमाण पत्र गलत रूप में पृष्ठांकित किया गया था, फलस्वरूप निर्धारण वर्ष 1963-64 में अनिवासी कम्पनी को उल्लिखित 950 शेयरों से प्राप्त लाभांश आय पर 98,002 रुपये के अधिकार से गलत छूट की मंजूरी दी गई। कर के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) यदि किसी कम्पनी का प्रबन्ध एजेंट किसी करार के मुताबिक अन्य पक्ष के साथ प्रबन्ध एजेंसी के कमीशन का भागीदार हो तो ऐसी स्थिति में एजेंट और उक्त प्रत्येक अन्य पक्ष केवल उसी भाग के लिए प्रभार्य होगा जिसका वह एजेंट या पक्ष करार के अधीन अधिकारी होगा।

एक मामले में यह ध्यान में आया कि एक करार के मुताबिक एक कम्पनी एक ऐसी प्रबन्धित कम्पनी से प्राप्य प्रबन्ध एजेंसी कमीशन में अन्य पक्षों के साथ भागीदार बनने पर सहमत हुई जो पाकिस्तान में व्यवसाय कर रही थी। इसके अनुसार निर्धारिती कम्पनी के कर का निर्धारण केवल उतनी ही रकम पर किया गया जो निवल कमीशन के रूप में उसे प्राप्तव्य थी (अर्थात् कुल कमीशन में से सह भागीदारों को देय रकम घटाकर जो रकम बची)। करार के मुताबिक कम्पनी भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों में अपनी कर देय आय को पाकिस्तान के साथ दुहरे कर से बचने के लिए राहत की भी हकदार थी। प्रबन्ध एजेंसी कमीशन के रूप में कम्पनी को देय राहत का निर्धारण करते समय आयकर विभाग ने कम्पनी की आय पर निवल कमीशन के बजाय जिसका आयकर अधिनियमों

के अधीन भारत में कर के रूप में निर्धारण होता था, कुल प्रबन्ध एजेन्सी कमीशन पर राहत का परिकलन किया (सहभागीदारों को देय भाग के सहित)। इसके कारण निर्धारितों को 1956-57 से 1962-63 निर्धारण वर्षों में से 2,85,032 रुपये की अतिरिक्त राहत दी गई तथा उसीके अनुरूप कर में कम प्रभार लिया गया।

#### 49. कम्पनियों द्वारा देय कर का गलत परिकलन

(क) आय कर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन (वित्त अधिनियम, 1965 के संशोधन से पूर्व) एक ऐसी कम्पनी जिसके 50 प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर किसी ऐसी कम्पनी के पास थे जिसमें जनता के पर्याप्त हित हैं या और इसके निदेशकों के अनुसार इसमें जनता के पर्याप्त हित नहीं हैं। परिणामस्वरूप ऐसी कम्पनियों द्वारा देय कर की दर उन कम्पनियों द्वारा देय कर की दर से अधिक होती है जिसमें जनता का हित होता है। गलती से दो कम्पनियों को ऐसी कम्पनी समझा गया जिसमें जनता के पर्याप्त हित हैं, यद्यपि ये कम्पनियाँ उपर्युक्त बातों को पूरा नहीं करती थीं। इसके कारण 1964-65 निर्धारण वर्ष में 1,42,002 रुपये के अधिकार का कम निर्धारण हुआ।

(ख) 1956 से 1959 के वित्त अधिनियमों में इस बात की व्यवस्था थी कि जो कम्पनियाँ साधारण शेयरों पर अपनी प्रदत्त पूँजी के 6 प्रतिशत से अधिक का लाभांश वितरण करती हैं उन पर अतिरिक्त अधिकार लगाया जाए। इसके लिए कम्पनियों को अधिकार पर मिलने वाली घटौती में कमी करके अतिरिक्त अधिकार लगाया गया। लेकिन यदि किसी साल लाभांश से अधिक वितरण के कारण घटौती की देय रकम होने वाली कमी को अवशोषित न कर सके तो घटौती का जो भाग अवशोषित न हो सके उसे बाद के वर्षों में उपलब्ध होने वाली सहायता से समायोजन के लिए आगे ले जाना चाहिये।

ऐसे मामले जिनमें उल्लिखित परिस्थितियों में अधिकार में से घटौती में कमी को घटाया नहीं गया, उनका क्रमशः 1963, 1964 और 1966 की राजस्व की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों (सिविल) के पैरा 29, 47 और 44 में संकेत किया गया था। इसी प्रकार की गलतियाँ अन्य तीन मामलों में देखी गईं जिनमें 7,75,744 रुपए के अधिकार का अवनिर्धारण हुआ। दो मामलों में जिनमें 25,744 रुपए का कर-प्रभाव था आवश्यक परिशोधन कर लिया गया है। अन्य अवशिष्ट मामले में मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) वित्त अधिनियम, 1964 के उपबन्धों के अधीन, उन कम्पनियों के लिए अधिकार की घटौती की रियायती दर की व्यवस्था है "जिन कम्पनियों में सरकार के पर्याप्त हित हैं" और जो ऐसी औद्योगिक कम्पनियाँ हैं जिनकी कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। एक ऐसी कम्पनी के मामले में जो इन दोनों वर्षों में से किसी के अन्तर्गत नहीं थी, ऐसा देखने में आया कि 1964-65 निर्धारण वर्ष में स्वीकार्य 20 प्रतिशत की दर के बजाय 30 प्रतिशत की अधिकार की घटौती की रियायती दर लागू की गई थी। अधिकार की घटौती की सही दर न लागू करने के कारण निर्धारण वर्ष 1964-65 में 73,784 रुपये का कम अधिकार लगाया गया।

(घ) आयकर अधिनियम के अधीन, अगर किसी कम्पनी के मामलों या शेयरों पर पिछले किसी भी वर्ष में कुल मतदाताओं के 50 प्रतिशत से अधिक मतों के कारण छः या कम व्यक्तियों का नियंत्रण या अधिकार हो तो ऐसी कम्पनी के विषय में यह समझा जाता है कि उसमें सरकार के हित नहीं हैं।



एक आयकर अधिकारी के द्वारा एक ऐसी कम्पनी के जिसके अधिकांश शेयरों पर छः से कम व्यक्तियों का अधिकार था, गलत वर्गीकरण के कारण 47,247 रुपये की कम मांग की गई और 1964-65 और 1965-66 निर्धारण वर्षों में अतिरिक्त आय पर 94,746 रुपए का अतिरिक्त अधिकर/आयकर कम लगाया गया। मंत्रालय का कथन है 1964-65 और 1965-66 निर्धारण वर्षों के निर्धारण में परिशोधन किया गया जिसके कारण 47,247 रुपए की अतिरिक्त मांग की गई कि। इस रकम की वसूली और धारा 104 के अधीन 94,746 रुपए की अतिरिक्त मांग के लिए कार्रवाई के पूरा होने की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

#### 50. कम्पनियों के मामले में अतिरिक्त कर न लगाना या गलत लगाना

कम्पनियों के 75 ऐसे मामले ध्यान में आए जिनमें निर्धारित प्रतिशत की दर से अतिरिक्त लाभांशों के कारण या तो अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया या गलत कर लगाया गया जिसके फलस्वरूप 36.22 लाख रुपए के कर का कम निर्धारण हुआ।

अगर कोई कम्पनी अपनी कुल आय का निर्धारित प्रतिशत हिस्सेदारों को वितरित नहीं करती तो उस कम्पनी को अपनी आय की अतिरिक्त अधिशेष रकम पर अतिरिक्त अधिकर देना पड़ता है। निवेश कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रभाय अतिरिक्त अधिकर की दर 50 प्रतिशत है और अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में 37 प्रतिशत है। तीन मामलों में ऐसा देखा गया कि यद्यपि कम्पनियां पूर्णरूप से या मुख्यरूप से निवेश सम्बन्धी कारोबार कर रही थी किन्तु विभाग ने 1958-59 से 1964-65 निर्धारण वर्षों में कम्पनी की अतिरिक्त शेष आय पर 50 प्रतिशत (जो ऐसे मामलों में लागू होना चाहिए) के बजाय 37 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगाया। इसके कारण 4,65,036 रुपए के कर का कुल अवनियोजन हुआ। एक मामले में 38,518 रुपए की अतिरिक्त मांग की गई। अवशिष्ट दो मामलों में कर के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

#### 51. दण्ड-व्याज का न लगाया जाना/गलत लगाया जाना

दण्ड-व्याज के न लगाए जाने या गलत लगाए जाने के 2,064 मामले ध्यान में आए हैं जिनमें 40.48 लाख रुपए की रकम अन्तर्गस्त है।

(क) आयकर अधिनियम और उसके अन्तर्गत निमित्त नियमों में विहित उपबन्धों के अधीन, आयकर अधिकारी प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में देय व्याज का परिकलन करता है। यदि कर की रकम, दण्ड या अन्य राशि जिसके सम्बन्ध में यह व्याज देय हो और जिसकी अदायगी ऐसे वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्णतया नहीं की गई हो तो उनके सम्बन्ध में बड़े मांग का नोटिस जारी करेगा। प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड ने ऐसे अनुदेश जारी किए हैं जिनके अनुसार ऐसे मामलों की जिन पर कर लगाया जाना है प्रति वर्ष समीक्षा की जानी चाहिए। पांच विभिन्न कमिश्नरों के कार्यक्षेत्र की नमूना जांच से पता चला कि 27 मामलों में 2,64,774 रुपए का व्याज नहीं लगाया गया था। सात मामलों में जिसमें 1,19,654 रुपए की राशि संबद्ध थी, मंत्रालय ने गलती को स्वीकार कर लिया है। बाकी 20 मामलों के सम्बन्ध में उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) ऐसे मामलों में जहां किसी निर्धारिती ने नियमित निर्धारण के आधार पर निर्धारित कर का 80 प्रतिशत से कम भाग (1962-63 निर्धारण वर्ष से 75 प्रतिशत) अग्रिम कर के रूप में दिया हो वहां जितनी कमी होती है उस पर 31 मार्च, 1965 तक प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से और उसके बाद 6 प्रतिशत की दर से दण्ड-ब्याज प्रभार्य होता है। पांच विभिन्न कमिश्नरों के अधीन 20 निर्धारितियों के मामलों में 5,62,951 रुपए की रकम का प्रभार्य ब्याज वस्तुतः नहीं लगाया गया था। इसमें से 13 मामलों में मंत्रालय ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है जिसमें 4,07,859 रुपए की रकम अन्तर्ग्रस्त थी। बाकी 7 मामलों में जिनमें 1,55,092 रुपए का राशि अन्तर्ग्रस्त है, उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) (i) आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, अग्र आय की विवरणी निर्धारित तारीख से पहले या उस तारीख को न दे दी जाए तो अन्तिम निर्धारण के समय देय कर की विवरणी पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाए चाहे इस विलम्ब की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो या नहीं। ऐसा देखा गया कि ऐसे पांच मामलों में जहां निर्धारित तारीख के बाद विवरणी दी गई विधिक ब्याज की रकम लागू नहीं की गई जिससे 74,285 रुपए ब्याज की कम वसूली हुई।

(ii) एक ऐसी पंजीकृत फर्म के देर से विवरणी देने के कारण कर पर ब्याज का परिकलन करते समय उतनी ही रकम पर ब्याज का परिकलन करना चाहिए जो उस फर्म के अपंजीकृत होने की दशा में निर्धारण करने पर देय होता। एक पंजीकृत फर्म पर 1962-63 निर्धारण वर्ष में ब्याज लगाते समय कानून की इस व्यवस्था को नजरअन्दाज कर दिया गया, फलस्वरूप 1,11,595 रुपए कम ब्याज प्रभारित किया गया। उल्लिखित रकम की वसूली की मांग की गई है और इस वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

## 52. अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करते समय की गई गलती

आयकर के अपीलीय सहायक कमिश्नर ने एक निर्धारिती के मामले में एक अपील पर वर्ष 1952-53 के निर्धारण की रकम में 4,05,000 रुपए की वृद्धि की। निर्धारिती की और आगे अपील पर आयकर अपीलीय अधिकरण ने अपीलीय सहायक कमिश्नर द्वारा की गई वृद्धि में 2,50,000 रुपए की कमी कर दी। विभाग ने इसी के अनुसार 22 मार्च, 1961 को 1952-53 वर्ष के निर्धारण को परिशोधित कर दिया। बाद में जब 26 मार्च, 1964 को उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि इस मामले में अपील पर अपीलाय सहायक कमिश्नर को वृद्धि करने का कोई अधिकार नहीं था तो पुनः विभाग ने 6 मार्च, 1965 को निर्धारण को फिर से परिशोधित कर दिया और कुल आय में 4,05,000 रुपए की कमी कर दी तथा इस बात को नजरअन्दाज कर दिया कि निर्धारिती को इससे पहले ही 22 मार्च, 1961 को 2,50,000 रुपए की राहत दी जा चुकी थी। इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेशों को कार्य रूप देने में गलती के कारण निर्धारिती की आय 2,50,000 रुपए कम बताई गई और निर्धारण वर्ष 1952-53 में इस कारण से 2,40,291 रुपए का कम कर लगाया गया जिसमें धारा 18 क (6) के अधीन 35,213 रुपए देय ब्याज भी शामिल है। इस गलती को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने सूचित किया कि 2,40,291 रुपए की अतिरिक्त मांग कर दी गई है। कर की वसूली के सम्बन्ध में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

### 53. निर्धारण से छूट गई आय

(क) एक कम्पनी किसी बैंक से अपने माल को दृष्टिबन्धक रख कर ओवर-ड्राफ्ट प्राप्त किया करती थी। ऐसे माल का व्यौरा कम्पनी के लेखा-वर्ष के अन्तिम दिन बैंक को दिए जाने वाले विवरण में दिया जाता था।

आयकर अधिकारी ने ऐसा देखा कि कम्पनी ने 31 दिसम्बर, 1959 को स्टाक की जो स्थिति बैंक को दिए गए विवरण में बताई थी वह उसी तारीख को कम्पनी के तुलन-पत्र में दिखाए गए स्टाक के मूल्य और मात्रा से अधिक थी। आयकर अधिकारी ने इस प्रकार अप्रकटीकृत स्टाक की कीमत 6,51,735 रुपए आंकी और उसने इस रकम को कम्पनी की निर्धारण वर्ष 1960-61 की आय में शामिल कर दिया।

आयकर अधिकारी के अनुसार आगामी निर्धारण वर्ष में अप्रकटीकृत स्टाक का मूल्य 1,76,756 रुपए था। यह सोच कर कि पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष में जो स्टाक का मूल्य जोड़ा गया था उसे आनीत शेष आरंभिक स्टाक में से घटाने की स्वीकृति दी जानी चाहिए, आयकर अधिकारी ने 1961-62 के अवरोद्ध स्टाक के 6,51,735 रुपए की रकम में से 1,76,756 रुपए घटाने पर जो बाकी रकम 4,74,979 रुपए बची उसे घटाने की मंजूरी दी। लेकिन बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि आयकर अधिकारी ने 31 दिसम्बर, 1960 को अप्रकटीकृत स्टाक का जो मूल्य 1,76,756 रुपए नियत किया था वह वस्तुतः 11,30,654 रुपए था। इस प्रकार वर्ष 1960-61 से आगे लाई गई 6,51,735 रुपए की रकम का समायोजन करने के बाद भी वर्ष 1961-62 में 4,78,919 रुपए की निवल रकम जोड़ने की आवश्यकता थी और आयकर अधिकारी ने जो 4,74,979 रुपए की कमी की वह गलत थी।

इसके बाद निर्धारण वर्ष 1962-63 में पुनः 7,61,929 रुपए का और अप्रकटीकृत स्टाक पाया गया। इस प्रकार उल्लिखित चूक के कारण कम्पनी की आय में वास्तविक आय से 17,15,827 रुपए कम संगणित की गई।

इसी कम्पनी को निर्धारण वर्ष 1963-64 के दौरान 2,73,755 रुपए की विकास घटौती की मंजूरी दी गई, यद्यपि कम्पनी इस घटौती की हकदार नहीं थी। इस प्रकार कम्पनी की निवल हानि 19.90 लाख रुपए अधिक परिकलित की गई और कम्पनी को इस रकम को आगामी वर्षों के लाभों में समायोजन के लिए आगे ले जाने की अनुमति दी गई।

मंत्रालय ने बताया है कि निर्धारण के परिशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है।

(ख) वर्ष 1961-62 के लिए एक व्यक्ति की कुल आय 44,422 रुपए निर्धारित की गई जिसमें 13,000 रुपए की आय वेतन से, 6,422 रुपए की आय व्यवसाय के लाभों और अधिलाभों से तथा 25,000 रुपए की आय चावल मिल की विक्री से हुए पूंजीगत अधिलाभों से हुई। निर्धारित द्वारा भेजे गए लेखे के संदर्भ में उसकी आय की विवरणी की छान-बीन करने पर ऐसा मालूम हुआ कि आय का काफी मात्रा में अवनिर्धारण किया गया है और इस मामले की आयकर अधिकारी द्वारा और अधिक व्योरेवार जांच की आवश्यकता है। बाद में और अधिक जांच के परिणामस्वरूप निर्धारित की आय पर चावल

मिल की बिक्री से 32,500 रुपए के और अधिक पूंजीगत अधिलाभ का तथा अप्रकटीकृत खोतों से 39,000 रुपए की और अधिक आय का निर्धारण किया गया जिसके कारण 32,648 रुपए के अतिरिक्त कर की मांग की गई। कर की वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) एक निर्धारिती किसी पंजीकृत फर्म में साझेदार था, फर्म के निर्धारण के आधार पर उसको फर्म से 1,21,601 रुपए का हिस्सा प्राप्त हुआ। लेकिन फर्म के निर्धारण से यह भी मालूम हुआ कि उपर्युक्त रकम के अलावा भी निर्धारिती को इसी फर्म से अन्य 54,195 रुपए की आय हुई। इस आय को न तो निर्धारिती ने वापिस किया और न ही आयकर अधिकारी ने इसका निर्धारण किया। इसके कारण 1965-66 निर्धारण वर्ष में 30,825 रुपए का कम कर लगाया गया। कर के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) एक वाणिज्य मण्डल द्वारा भरी गई 61,235 रुपए की-कुल आय तथा निर्धारण वर्ष 1966-67 की विवरणी में जो ब्योरा दिया गया था उसमें "व्यवसाय" शीर्ष के अन्तर्गत 5,100 रुपए की हानि और अन्य शीर्षों में 66,335 रुपए की आय शामिल थी। लेकिन निर्धारिती ने जो विवरणी भर कर दी उसमें 5,100 रुपए की हानि की सही रकम के बजाय 61,235 रुपए की रकम दिखाई गई थी। विवरणी में प्रदर्शित गलत हानि की रकम को अंगीकार करने से और गलत कुल आय के आधार पर कर की संगणना के कारण 56,135 रुपए की आय का अननिर्धारण हुआ। परिणामस्वरूप 1966-67 निर्धारण वर्ष में 18,018 रुपए कम कर लगाया गया। अतिरिक्त मांग कर दी गई है। कर की वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

#### 54. अधिलाभकर या अधिकर का गलत निर्धारण

(क) अधिनियम में इस बात की व्यवस्था है कि प्रभार्य लाभों का परिकलन करते समय निर्यात से हुए लाभों पर स्वीकृत आय कर और अधिकर घटौती को कुल आय में से घटाने की अनुमति दी जाए। निर्धारण वर्ष 1964-65 के एक मामले में ऐसा देखा गया कि 9,440 रुपए के निर्यात से हुए लाभ पर घटौती की रकम को घटाने के बजाय 1,57,332 रुपए की निर्यात से लाभ की रकम को ही कुल आय में से घटा दिया गया, जिससे प्रभार्य लाभ की 1,47,892 रुपए की राशि का कम निर्धारण हुआ। फलस्वरूप 59,157 रुपए का अधिकर कम लगाया गया। परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ख) अधिलाभकर अधिनियम, 1963 के अधीन, जो कम्पनियां संगणित पूंजी की तुलना में बहुत अधिक लाभ कमा रही हों उन पर कर लगाने की व्यवस्था है। निर्धारितियों को लाभ में से मानक कटौती करने की मंजूरी दी गई। यह रकम कम्पनी की पूंजी के 6 प्रतिशत के बराबर या 50,000 रुपए में से जो भी अधिक हो वह हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए पूंजी की संगणना करते समय प्रदत्त पूंजी के साथ-साथ आरक्षित पूंजी भी शामिल की जाती है।

यह देखा गया है कि कुछ मामलों में निर्धारितियों को पूंजी के परिकलन में लाभ और हानि लेखे के बकाया उधार के, कराधान और लाभांश की अदायगी की व्यवस्था को शामिल करने की स्वीकृति दी गई। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने सी० आई० टी० बम्बई और सेंट्रल रिफाइन

एंड मैनुफैक्चरिंग कं० लिमिटेड के मामले में जो कसौटी निर्धारित की उसके आधार पर लाभ और हानि लेखे के बकाया उधार को, प्रस्तावित कराधान और लाभांश की अदायगी को पूंजी की संगणना में शामिल की जा सकने वाली आरक्षित निधि नहीं समझना चाहिए। इसके अनुसार पुंजी पर 6 प्रतिशत की मानक कटौती अधिनियम की व्यवस्था के अधीन स्वीकार्य रकम से अधिक पर दी गई जिससे चार मामलों में 1963-64 निर्धारण वर्ष में 1,10,516 रुपए पर अधिलाभकर का कम निर्धारण हुआ। कर से परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

## 55. अन्य गलतियाँ

### (क) कर के रूप में प्रभाय लाभ की उचित रकम के निर्धारण में चूक के कारण कर का अनिर्धारण

आयकर नियमों के अधीन जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार ब्रिटिश शिपिंग कम्पनियों के भारत में किए गए व्यवसाय के कारण आय का निर्धारण युनाइटेड किंगडम के कर प्राधिकारियों से उपलब्ध हुए अनुपात प्रमाणपत्र के आधार पर करना चाहिए। इन प्रमाणपत्रों में कम्पनी के विश्व में किए गए व्यवसाय के लाभ का अनुपात, निर्धारण आदि में विश्व में माल की कुल बिक्री की प्रतिशतता के आधार पर दी जाने वाली टूट-फूट की बाबत छूट और जब इन्हीं प्रतिशतताओं को भारत में हुए कुल माल की बिक्री पर लागू किया जाता है तो इससे भारत में कर के रूप में निर्धारण की जाने वाली आय का पता चलता है। ब्रिटिश शिपिंग कम्पनी के बारे में कम्पनी के लाभों, टूट-फूट की बाबत छूट, ह्रासयोग्य परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाले सम्भावित ऐसे लाभ जो आय के रूप निर्धारण किए जाने के योग्य हैं, अनुपात प्रमाणपत्र पृथक से युनाइटेड किंगडम प्राधिकारियों द्वारा दिए जाते थे। कम्पनी के 1963-64 और 1964-66 वर्षों के निर्धारण में आयकर अधिकारी ने केवल पहले दो प्रमाणपत्रों पर विचार किया और भारतीय आय को नहीं जोड़ा गया जो ह्रासयोग्य परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभों से सम्बद्ध अनुपात-प्रमाणपत्र के आधार पर आनुपातिक आय से हुई थी। इसके परिणामस्वरूप 1963-64 और 1964-65 निर्धारण वर्षों में 3,96,886 रुपए की आय का कम निर्धारण हुआ जिससे 2,57,976 रुपए कम कर लगाया गया।

### (ख) एक चलचित्र के अन्तिम स्टाक के मूल्य की रकम उधार लेने की चूक

एक कम्पनी चलचित्र उत्पादन का व्यवसाय कर रही थी। उसने 1960-61 निर्धारण वर्ष से सम्बद्ध लेखा वर्ष के दौरान एक फिल्म का निर्माण पूरा किया तथा उसे प्रदर्शन के लिए नियुक्त किया, लेकिन वह अपने लेखाओं में फिल्म के अन्तिम स्टाक के मूल्य की रकम उधार खाते में दिखाते से चूक गई। इस चूक के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1960-61 में 2,48,444 रुपए की आय का कम निर्धारण और उसके बाद के निर्धारण वर्ष अर्थात् 1961-62 में 1,54,454 रुपए की आय का अधिक निर्धारण हुआ। इसके कारण निर्धारण वर्ष 1960-61 में 1,11,800 रुपए कम कर लगाया गया तथा 1961-62 निर्धारण वर्ष में 69,504 रुपए अधिक कर लगाया गया। कर के परिशोधन और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

**(ग) फर्म के निर्धारण के परिशोधन के बाद साझेदार के निर्धारण को परिशोधित न करने के कारण कर का अवनिर्धारण**

आयकर अधिनियम में विहित उपबंधों के अधीन, किसी फर्म के साझेदार के निर्धारण के पुरा होने के बाद यदि फर्म के निर्धारण या पुनर्निर्धारण से यह पता चले कि साझेदार के निर्धारण में सम्मिलित फर्म के लाभों में साझेदार का भाग सही नहीं आया गया है तो, आयकर अधिकारी फर्म के मामले में अन्तिम आदेश पारित करने की तारीख के चार वर्ष के अन्दर अपने आप ही उस गलती को सुधार सकता है।

एक निर्धारिती के मामले में ऐसा देखने में आया कि उसकी किसी फर्म से हिस्सों की आय अन्तिम रूप से 7,934 रुपए आंकी गई थी और उसे 26 जून, 1965 को 15,935.94 रुपए के धन की वापसी मंजूर की गई, यद्यपि फर्म के 3 मई, 1965 के निर्धारण के आधार पर उसकी निर्धारण के योग्य सही आय 1,52,085 रुपए थी। इस प्रकार फर्म से हुई हिस्सों की सही आय को शामिल करने के लिए साझेदार के निर्धारण को परिशोधित करने के लिए न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही इस प्रयोजन के लिए निर्धारित रजिस्टर में निर्धारण के परिशोधन के प्रस्ताव का ही रिकार्ड रखा गया। इसके कारण निर्धारण वर्ष 1964-65 में 95,242 रुपए कर का अवनिर्धारण हुआ। निर्धारण का परिशोधन अब कर दिया गया है। कर की वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

**(घ) कर-मुक्त आय को सकल जोड़ में शामिल न करने के कारण कर का अवनिर्धारण**

जब कोई आय, कर मुक्त होती है तो उस पर लगाए जाने वाले कर की रकम को आय का ही भाग समझना चाहिए और प्राप्तकर्ता को होने वाली सकल आय का निर्धारण "कर पर कर" के आधार पर किया जाता है। एक विदेशी कम्पनी (जिसका व्यक्तियों की संख्या के रूप में भारतीय आय कर के लिए निर्धारण किया गया था) और भारतीय कम्पनी के बीच एक समझौता हुआ जिसमें परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए पूंजीगत रकम के आस्थगित भगतान पर व्याज की अदायगी के सम्बन्ध में इस बात पर सहमति थी कि उल्लिखित रकम से सम्बन्धित भारत में देय प्रकार के करों या शुल्कों की अदायगी पूर्णतया भारतीय कम्पनी द्वारा की जाएगी। लेकिन विदेशी कम्पनी का निर्धारण करते समय जब उसके द्वारा प्राप्त व्याज की रकम का निर्धारण किया गया तो आयकर विभाग ने भारतीय कम्पनी द्वारा दिए गए करों और व्याज की रकमों से सम्बन्ध आय को नहीं जोड़ा किन्तु उसका निर्धारण केवल निवल आय को ध्यान में रख कर किया। इसके कारण 1959-60 से 1962-63 निर्धारण वर्षों में 45,29,787 रुपए की आय का अवनिर्धारण हुआ और विदेशी कम्पनी पर 42,47,478 रुपए कम कर लगाया गया। इस सम्बन्ध में देय कर की रकम को भारतीय कम्पनी को घटाने की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण इन वर्षों में (लगभग) 21.75 लाख रुपए कम कर लगाया गया।

**(ङ) सही निर्धारण वर्ष में आय पर कर लगाने में चूक**

एक कम्पनी को निर्धारण वर्ष 1959-60 के लिए अपनी आय की विवरणी भेजने के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन कम्पनी का कारोबार बन्द हो चुका था इसलिए वह नोटिस बिना तामील हुए ही लौट आया। आयकर अधिकारी ने अपने विवेक के अनुसार आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 23(4) के अधीन 30 सितम्बर, 1959 को निर्धारण पुरा कर लिया। चूंकि वस्तुतः नोटिस निर्धारिती को तामील नहीं किया जा सका था इसलिए धारा 23(4) के अधीन

किया गया निर्धारण अत्रैव समझा गया, और संबंधित आयकर अधिकारी ने अगस्त, 1960 में आयकर कमिश्नर को इस निर्धारण को रद्द करने के लिए प्रस्ताव भेजा। अक्टूबर, 1962 में कमिश्नर ने इस मामले को रद्द करने के योग्य समझ कर एक अन्य प्रस्ताव भेजने को कहा जिसके अनुसार निर्धारिती या उसके उत्तराधिकारी से मांग की वसूली न हो सकने की स्थिति में इसे बट्टे-खाते डालने की व्यवस्था हो। जब मई, 1966 में लेखा परीक्षकों के कहने पर विभाग ने इस मामले की समीक्षा की तो विभाग को मालूम हुआ कि आय वस्तुतः निर्धारण वर्ष 1959-60 के बजाय निर्धारण वर्ष 1958-59 से सम्बन्धित है। 1958-59 निर्धारण वर्ष की 63,397 रुपए आय के पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाही की गई है। उठाई गई अतिरिक्त मांग और वसूल की गई रकम के सम्बन्ध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

### 56. कर का अतिनिर्धारण (ओवर असेसमेंट)

(क) आयकर अधिनियम में इस बात की व्यवस्था है कि यदि कोई निर्धारिती किन्हीं मान्यता प्राप्त धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है तो उसे कुल आय के 10 प्रतिशत की सीमा तक या 2 लाख रुपए की रकम तक, इनमें से जो भी कम हो, कर पर घटौती दी जाती है। राष्ट्रीय रक्षा कोष में दिए गए दान पर घटौती के लिए निर्धारित सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता।

एक निर्धारिती ने जिसकी 1963-64 और 1964-65 निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक में कुल आय 3,52,834 रुपए थी, क्रमशः 1,25,000 रुपए और 1,05,001 रुपए की रकम दान में दी। इन दोनों वर्षों की दान की रकम में 1 लाख रुपये की राष्ट्रीय रक्षा कोष में दी गई रकम भी शामिल है। आयकर अधिकारी ने गलत तौर पर दोनों वर्षों में प्रत्येक वर्ष की घटौती के योग्य रकम को 35,283 रुपए तक सीमित कर दिया जब कि 1,25,000 रुपये तथा 1,05,001 रुपए की दान की पूरी रकमों पर घटौती दी जानी चाहिए थी। इस गलती के कारण 89,187 रुपए के कर का अधिक निर्धारण हुआ।

(ख) 1960 के वित्त अधिनियम (जो 1958-59 निर्धारण वर्ष से पूर्व व्यापित सहित लागू था) और उसके बाद के वित्त अधिनियमों के अनुसार किसी ऐसी कम्पनी जिसकी आय में जीवन बीमा व्यवसाय से प्राप्त कोई भी लाभ और अधिलाभ शामिल हो उसके द्वारा देय अधिकर (1965-66 निर्धारण वर्ष के लिए आयकर) निम्नलिखित प्रकार से परिकलित करों का पूर्ण योग होना चाहिए :—

- (i) जीवन बीमा व्यवसाय से प्राप्त लाभ और अधिलाभ को शामिल की गई रकम पर जीवन बीमा निगम, भारत, पर लागू होने वाली दरों से; और
- (ii) इसकी कुल आय के बाकी भाग पर इसकी कुल आय पर लागू होने वाली दरों से।

एक अनिवासी कम्पनी की बीमा व्यवसाय से भारत में आय का निर्धारण करते समय 1958-59 से 1965-66 निर्धारण वर्षों के लिए स्वीकार्य और वित्त अधिनियमों में उपबन्धित अधिकर (1965-66 में आयकर) की रियायती दरें लागू नहीं की गईं। इसके परिणामस्वरूप 4,21,356 रुपये अधिक कर लगाया गया।

(ग) एक निर्धारिती कम्पनी ने 14 मार्च, 1962 को 15 लाख रुपए अग्रिम कर का भुगतान किया और 31 अगस्त, 1962 को निर्धारण वर्ष 1962-63 की आय की विवरणी भर कर दी। लेकिन आयकर अधिकारी ने 30 मार्च, 1966 को 1962-63 वर्ष का निर्धारण

पूरा किया और 17,54,489 रुपए की हानि का निवारण किया। इसलिए निर्धारिती ने 15 लाख रुपए अग्रिम कर की जो अशायमी की थी वह उसे वापस कर दी गई। लेकिन इस प्रकार अग्रिम कर की वापसी के कारण आयकर अधिनियम के अशून निवारण की नियमित तारीख अर्थात् 30 मार्च, 1966 तक देय ब्याज को 2,70,000 रुपए की रकम की अदायगी नहीं की गई। परिशोधन और निर्धारिती को ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) 1962 के वित्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, निर्धारिती को अपनी कुल आय में शामिल की गई अनर्जित आय के लिए विशेष अधिभार देना पड़ता है। अगर कुल आय में सम्मिलित अर्जित आय 1 लाख रुपए से अधिक होती तो निर्धारिती को एक लाख रुपए से अधिक रकम की अर्जित आय पर अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है।

निर्धारण वर्ष 1962-63 में एक निर्धारिती की 13,28,080 रुपये को कुल आय का निर्धारण किया गया था जिस में 49,080 रुपये की व्यवसाय से आय और 12,79,000 रुपए की अन्य स्रोतों से आय भी शामिल थी। आयकर विभाग ने 12,79,000 रुपये की रकम पर विशेष अधिभार और अतिरिक्त अधिभार दोनों लगाए। इस मामले में विभाग ने अन्य स्रोतों से आय को अनर्जित आय माना और उस पर विशेष अधिभार लगाया और उस आय पर 1 लाख से अधिक अर्जित आय होने के कारण अतिरिक्त अधिभार लगाया जिस से 89,036 रुपए अधिक कर लगाया गया। वसूल किए गए अधिक कर की वापसी से सम्बन्धित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ङ) एक निर्धारिती ने 4 अगस्त, 1964 को निर्धारण वर्ष 1964-65 के लिए 1,75,435 रुपए अग्रिम कर के अतिरिक्त 31,000 रुपए की रकम का आय कर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्वतः कर निर्धारण के आधार पर कर के रूप में भुगतान किया। 11 जुलाई, 1966 को नियमित निर्धारण को पूरा करते समय कर की जो रकम इस से पूर्व दी जा चुकी थी उस में से केवल 1,75,435 रुपए की रकम निर्धारिती को दी गई। 31,000 रुपये की जो रकम स्वतः निर्धारण कर के रूप में अदा की गई थी उसे लेखों में जोड़ने की चूक के कारण उतनी ही रकम का अधिक कर लगाया गया। यद्यपि अन्य किसी आधार पर नवम्बर, 1966 में निर्धारण का परिशोधन कर दिया गया था लेकिन गलती की और विभाग का ध्यान नहीं गया। कर के परिशोधन और कर वापसी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(च) एक अनिवासी कम्पनी ने 2,50,000 रुपए के कर की स्रोत पर कटौती करने के बाद 5,83,333 रुपए निवल लाभांश प्राप्त किया। विभाग ने 1963-64 निर्धारण वर्ष के कुल लाभांश की 5,33,333 रुपए की रकम पर कम्पनी के कर का निर्धारण किया, लेकिन मूल पर कर की कटौती पर आकलन करते समय गलती से विभाग ने 2,50,000 रुपए की रकम के बजाय, (जिसका कि निर्धारिती वस्तुतः हकादार था) 2,00,000 रुपए की रकम खाते में जमा करने की अनुमति दी। इस के कारण निर्धारण वर्ष 1963-64 में कर का 50,000 रुपए अधिक प्रभार लिया गया। इस गलती को विभाग ने सुधार लिया है। कर की रकम की वापसी से संबंधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(छ) आयकर अधिनियम के अधीन "व्यवसाय के लाभ और अधिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत किसी निर्धारण वर्ष में निर्धारित हानि को आगे ले जाया जा सकता था और उसे निर्धारण योग्य आय में अगले वर्ष में उसी शीर्ष के अन्तर्गत समायाजित किया जा सकता था। यदि उसे अगले वर्ष में समायाजित करना संभव न हो तो उसे और आगे ले जा कर उसी प्रकार की प्राय के विरुद्ध अगले वर्ष में या उस के बाद आठ वर्षों की अवधि तक समायाजित किया जा सकता है।

एक निर्धारिती को 1960-61 निर्धारण वर्ष में, "व्यवसाय के लाभ और अधिलाभ" शीर्ष के अधीन 82,280 रुपए की हानि हुई। इस के अगले साल 1961-62 में इस शीर्ष के अन्तर्गत उसकी



कुछ भी आय नहीं हुई जब कि इस के अगले वर्ष 1962-63 में उस की 44,149 रुपए की कुल आय में से इस शीर्ष के अन्तर्गत 23,208 रुपए की आय हुई। इस प्रकार 1960-61 की हानि के कारण 23,208 रुपए की रकम का समायोजन करने के बाद बची 20,941 रुपए की रकम पर कर का निर्धारण करने के बजाय सारी की सारी 44,149 रुपए की कुल आय पर निर्धारण किया गया। इस के परिणामस्वरूप 11,698 रुपए कर का अधिक निर्धारण हुआ। कर निर्धारण का परिशोधन कर दिया गया है। निर्धारित की रकम की वापसी के संबंध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ज) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के कार्यकारी अनुदेशों के अधीन और न्याय-घोषणाओं के अनुसार जो कम्पनियां प्रिंटिंग प्रेसों के रूप में कार्य कर रहीं हैं उन्हें ऐसा समझा जाता है मानो वे माल के विनिर्माण या संसाधन के कार्यों में संलग्न हैं। इसलिए अन्य अवस्थाओं को पूरा करने पर वे 30 प्रतिशत की रिआयती दर से वित्त अधिनियमों के अधीन 1964-65 के बाद अधिक-आयकर पर घटौती की हकदार हो जाती है। दो कम्पनियों के मामलों में उच्चतर घटौती न दिए जाने के कारण 1964-65 और 1965-66 निर्धारण वर्ष के लिये 1,25,203 रुपए का अधिक कर लगाया गया।

### 57. अन्य उल्लेखनीय विषय

एक पंजीकृत फर्म को 1958-59 से 1960-61 निर्धारण वर्षों में 1,28,597 रुपए की विकास घटौती स्वीकृत की गई थी। इस फर्म को जनवरी, 1960 में विघटित कर के एक नई फर्म बनाई गई। जिन परिसंपत्तियों पर विकास-घटौती स्वीकार की गई थी उन्हें नई फर्म के व्यवसाय में शामिल कर लिया गया। पुरानी फर्म के 1958-59 से 1960-61 वर्षों के निर्धारणों को दी गई घटौती को वापिस लेने के लिए परिशोधित नहीं किया गया।

इस संबंध में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि अपीलिय सहायक कमिश्नर ने ऐसा फैसला किया है कि साझेदारी के विघटन के बाद परिसंपत्तियों का वितरण मात्र हुआ है किसी प्रकार का अंतरण नहीं। इसलिए निर्धारित समय के अन्दर परिसंपत्तियों के अन्तरण पर विकास घटौती से संबंधित कानून के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होते। कानूनी तौर पर यदि यह स्थिति ठीक है तो इस से तब तक कर-देयता से बचना संभव हो सकेगा जब तक संबंधित कानून को समुचित ढंग से संशोधित नहीं किया जाता।

### 58. कर-निर्धारण सम्बन्धी बकाया काम\*

(क) 31 मार्च, 1967 को आयकर अधिकारियों के पास 23.48 लाख ऐसे मामले बाकी थे जिन का निर्धारण हीना बाकी था। मंत्रालय के कथनानुसार इन मामलों से संबद्ध कर की रकम लगभग 90 करोड़ रुपए थी। पिछले तीन वर्षों की निर्धारण-लंबन की स्थिति नीचे दी गई है :—

वर्ष	31-3-1965 को	31-3-1966 को	31-3-1967 को
1962-63 और इस से पूर्व के वर्ष	2,54,828	1,41,780	32,346
1963-64	3,86,556	2,18,503	1,60,755

\*आंकड़े मंत्रालय द्वारा दिये गये हैं।

वर्ष	31-3-65 को	31-3-66 को	31-3-67 को
1964-65 . . .	11,43,131	6,01,100	3,14,037
1965-66 . . .	..	12,08,146	6,38,623
1966-67 . . .	..	..	12,01,752
जोड़ . . .	17,84,515	21,69,529	23,47,513

निम्नलिखित मामलों का श्रणीवार विभाजन नीचे दिया जा रहा है :—

	31-3-1966 को	31-3-1967 को
(i) ऐसे व्यावसायिक मामले जिन में आय 25,000 रुपये से अधिक है . . . . .	1,20,185	1,41,277
(ii) ऐसे व्यावसायिक मामले जिन में आय 15,000 से अधिक और 25,000 से कम है। . . . .	1,14,435	1,36,498
(iii) ऐसे व्यावसायिक मामले जिन में आय 7,500 रुपये से अधिक और 15,000 रुपये से कम है . . . . .	2,99,353	3,35,866
(iv) (v) में कथित मामलों को छोड़ कर अन्य सभी मामले और धनवापसी के मामले . . . . .	12,39,888	13,58,222
(v) ऐसे अल्प आय योजना मामले, सरकारी वेतन के मामले और गैर-सरकारी वेतन के मामले जिन में आय 18,000 रुपये से कम है। . . . .	3,95,668	3,75,650
	21,69,529	23,47,513

पिछले पांच वर्षों के दौरान बकाशा निर्धारणों और चालू निर्धारणों में से पूरे किए गए निर्धारणों की संख्या नीचे दी जा रही है :—

वित्तीय वर्ष	निपटान के लिए निर्धारणों की संख्या	पूरे किए गए निर्धारणों की संख्या				वर्ष के अन्त में जिलंबित निर्धारणों की संख्या
		चालू निर्धारणों में से	बकाया निर्धारणों में से	जोड़	प्रतिशतता	
1	2	3	4	5	6	7
1962-63	22,18,376	7,96,815	5,12,902	13,09,717	59.4	9,08,659
1963-64	27,09,107	9,22,670	5,60,031	14,82,701	54.7	12,26,406
1964-65	36,26,144	11,54,834	6,86,795	18,41,629	50.8	17,84,515
1965-66	45,58,556	14,59,776	9,29,251	23,89,027	52.4	21,69,529
1966-67	47,65,607	13,32,672	10,85,422	24,18,094	50.7	23,47,513

(कालम 6 में दी गई प्रतिशतता निपटान के लिए निर्धारणों की कुल संख्या के सम्बन्ध में निपटाए गए मामलों को सूचित करती है )

प्रतिशतता की दृष्टि से और वास्तविक संख्या की दृष्टि से बकाया निर्धारणों की संख्या अधिक हो गई है ।

**(ख) अधिलाभ कर और अतिकर निर्धारणों का लंबन\***

1966-67 के दौरान अधिलाभ कर निर्धारणों और अतिकर निर्धारणों के निपटान के सम्बन्ध में और 31 मार्च, 1967 को अनिर्णीत पड़े निर्धारणों के सम्बन्ध में जो स्थिति है वह नीचे दी जा रही है :—

	अधिलाभकर	अतिकर
(1) 1966-67 के दौरान निपटान के लिए मामले	1,293	3,932
(2) अन्तिम रूप से निपटाये गए मामलों की संख्या	6	461
(3) अन्तिम रूप से निपटाये गए मामलों की संख्या	383	911
(4) अन्तिम निर्धारणों के आधार पर बढ़ाई गई मांग की रकम	11.44 लाख रु०	12.59 करोड़ रु०
(5) अन्तिम निर्धारणों के आधार पर वसूल की गई मांग की रकम	2.77 लाख रु०	11.81 करोड़ रु०
(6) अन्तिम निर्धारणों के आधार पर बढ़ाई गई मांग की रकम	386.65 लाख रु०	6.16 करोड़ रु०
(7) अन्तिम निर्धारणों के आधार पर वसूल की गई मांग की रकम	270.85 लाख रु०	4.60 करोड़ रु०
(8) 31 मार्च, 1967 को निलंबित मामलों की संख्या	910	3,021

**(ग) अतिरिक्त लाभकर और व्यवसाय लाभकर निर्धारणों का लंबन**

अतिरिक्त लाभकर अधिनियम 1940 और व्यवसाय लाभकर अधिनियम, 1947 के अधीन 1966-67 के दौरान निपटाए गए और 31 मार्च, 1967 को अनिर्णीत पड़े निर्धारणों की संख्या नीचे दी गई है :—

	अतिरिक्त लाभकर	व्यवसाय लाभकर
(1) 1 अप्रैल 1966 को अन्तिम निर्धारणों के लिए निलंबित मामलों की कुल संख्या	111	30
(2) मद (1) में से लिए गए ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनका अन्तिम रूप से निर्धारण कर दिया गया है	10	2
(3) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें 1966-67 के दौरान पुननिर्धारण की कार्यवाही शुरू कर दी गई (अतिरिक्त लाभकर अधिनियम, 1940 अर्थात् वर्ष के दौरान जोड़े गए मामलों की संख्या)	शून्य	शून्य

\* आंकड़े उसी प्रकार हैं जैसे मंत्रालय ने दिए हैं।

	अतिरिक्त लाभकर	व्यवसाय लाभकर
(4) (1) और (3) में से लिए गए ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनका वर्ष के दौरान निपटान किया गया	11	..
(5) 31 मार्च, 1967 को निलंबित मामलों की संख्या	100	30
(6) (5) में शामिल कर की (लगभग) रकम (हजार रुपयों में)	15518	504

### 59. कर-मांगों की बकाया \*

(क) 31 मार्च, 1967 को कर की कुल बकाया मांग 541.73 करोड़ रुपए थी । निगम कर, निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर और ब्याज की रकम तथा जिन वर्षों की वे रकमें हैं उनकी बकाया का विभाजन नीचे दिखाया गया है :—

वर्ष	निगमकर	आयकर	ब्याज	जोड़
(आंकड़े करोड़ रुपयों में)				
(i) 1956-57 के तथा उससे पूर्व के वर्षों की बकाया रकमें	5.00	48.52	1.54	55.06
(ii) 1957-58 से 1964-65 के बकाया	24.33	104.51	5.89	134.73
(iii) 1965-66 के बकाया	23.53	58.78	3.80	86.11
(iv) 1966-67 के बकाया	123.71	133.56	8.56	265.83
जोड़	176.57	345.37	19.79	541.73

### (ख) 30 जून, 1967 को निलंबित अपीलें,\*

	अपीली सहायक कमिश्नर के समक्ष की गई आयकर क अपीलें	कमिश्नरों के पास भजी गई आयकर के परिशोधन याचिकाएँ
(क) अपीलों/परिशोधन याचिकाओं की संख्या	1,67,512	6,544
(ख) 1966-67 के दौरान की गई अपीलों/परिशोधन याचिकाओं में से	90,086	3,100
(ग) इससे पूर्व के वर्षों में की गई अपीलों/परिशोधन याचिकाओं में से	23,492	4,187

\*आंकड़े वही हैं जो मंत्रालय ने दिए हैं ।

अपीलीय सहायक कमिश्नरों और आयकर कमिश्नरों के पास क्रमशः 30 जून, 1966 और 30 जून, 1967 को समाप्त होने वाली अवधि में निलंबित अपीलों के मामले और परिशोधन याचिकाओं का, उनको दर्ज कराने के वर्ष के संदर्भ में, वर्ष-वार विभाजन नीचे दिखाया गया है :—

अर्जी आदि देने का वर्ष	अपीलीय सहायक कमिश्नर को की गई अपीलों		आय-कर कमिश्नरों को दी गई परि-शोधन-अर्जियाँ	
	30-6-1966	30-6-1967	30-6-1966	30-6-1967
1953-54	1	1	..	..
1954-55	1	1	1	1
1955-56	9	8	5	5
1956-57	21	14	3	3
1957-58	23	17	13	10
1958-59	67	27	43	27
1959-60	127	50	51	34
1960-61	181	60	67	53
1961-62	431	162	88	37
1962-63	1,632	486	219	127
1963-64	3,986	1,301	513	299
1964-65	17,002	4,621	875	465
1965-66	89,155	16,744	2,686	1,126
1966-67	43,526	90,086	1,035	3,100
1967-68	..	53,934	..	1,257
जोड़	1,56,162	1,67,512	5,599	6,544

**60. वर्ष 1966-67 के दौरान राजस्व विभाग द्वारा बट्टे-खाते डाली गयी आयकर की मांगें\***

वर्ष 1966-67 के दौरान 2,663 मामलों में 22,90,652 रुपए की कर की मांगें बट्टे-खाते डाली गई थी । इनमें से 23 मामले कम्पनियों से सम्बद्ध थे और उनमें 5,64,015 रुपए की रकम सम्मिलित थी । बाकी की 17,26,637 रुपए की रकम कम्पनियों के अलावा अन्य 2,640 निर्धारितियों से सम्बन्धित थी । अगले पृष्ठ पर दिए विवरण में कम्पनियों और गैर-कम्पनियों के मामले में रकम को बट्टे-खाते डालने के सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण प्रस्तुत हैं ।

\*आंकड़े उसी प्रकार हैं जो मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं ।

	कम्पनियों		गैर-कम्पनियों		जोड़	
	संख्या	रकम रु०	संख्या	रकम रु०	संख्या	रकम रु०
1. निर्धारितियों की मृत्यु हो गई और वे पीछे कोई परिसंपत्ति नहीं छोड़ गए या उनके व्यवसाय का परिसमापन हो गया या दिवालिया हो गए :						
(क) ऐसे निर्धारितों जिनकी मृत्यु हो गई और पीछे कोई परिसंपत्ति नहीं छोड़ गए . . . . .	4	1,477	121	42,486	125	43,963
(ख) ऐसे निर्धारितों जिनके व्यवसाय का परिसमापन हो गया . . . . .	14	5,62,388	—	—	14	5,62,388
(ग) ऐसे निर्धारितों जिनका दिवाला निकल गया . . . . .	—	—	8	21,263	8	21,263
जोड़ . . . . .	18	5,63,865	129	63,749	147	6,27,614
II. ऐसे निर्धारितों जिनका कुछ अता-पता नहीं है . . . . .	—	—	830	1,20,764	830	1,20,764
III. ऐसे निर्धारितों जो भारत से चले गए हैं . . . . .	—	—	28	2,71,106	28	2,71,106
IV. अन्य कारणों से						
(i) ऐसे निर्धारितों जो जीवित तो हैं किन्तु उनकी कोई कुर्की योग्य परिसंपत्ति नहीं है । . . . .	—	—	234	2,19,791	234	2,19,791
(ii) जिनकी देय रकम अत्यल्प है . . . . .	5	150	1408	18,072	1413	18,222

(iii) निर्धारितियों के साथ समझौते के फलस्वरूप  
रकम बढ़े-खाते डाली गई

---	---	4	10,31,981	4	10,31,981
-----	-----	---	-----------	---	-----------

iv. दोहरी मांग, गलत मांग, संरक्षण मांग आदि बाद की  
परिस्थितियों के कारण मांगें लागू करने योग्य न  
रहीं

---	---	7	1,174	7	1,174
-----	-----	---	-------	---	-------

जोड़ iv

5	150	1653	12,71,018	1658	12,71,168
---	-----	------	-----------	------	-----------

v. औचित्य या अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के रूप में या जिन  
मामलों में कानूनी उपायों से धन की वसूली में समय,  
श्रम और व्यय आदि उगाहने योग्य रकम के अनुपात  
से अधिक समझा गया

---	---	---	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

कुल जोड़

23	5,64,015	2640	17,26,637	2663	22,90,652
----	----------	------	-----------	------	-----------



## 61. अर्थ-दण्ड (पेनल्टी) कार्यवाहियों की बकाया\*

आयकर अधिनियम के अधीन निम्नलिखित को न करने के कारण अर्थदण्ड लागू किया जाता है :—

- (क) पर्याप्त कारणों के बिना विवरणी भर कर न देना ;
- (ख) मांग किए जाने पर बहियों या दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना ;
- (ग) आय का सही और पूरा व्यौरा न बताना ; और
- (घ) अग्रिम कर के भुगतान का सही और पूरा व्यौरा न बताना ।

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के विपरीत, जिनके अनुसार सभी दण्डात्मक कार्यवाहियाँ ऐसी कार्यवाहियों को पूरा करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि में पूरी कर ली जानी चाहिए जिस अवधि में दण्डात्मक कार्यवाहियाँ शुरू की गई थीं, आयकर अधिनियम, 1922 में, दण्ड लगाने के सम्बन्ध में कार्यवाही को पूरा करने के लिए किसी प्रकार की समयावधि निर्धारित नहीं की गई थी। निम्नलिखित सारणी में उन मामलों की संख्या दी गई है जिनके सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1922 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाहियाँ शुरू की गई हैं लेकिन वे 31 मार्च, 1967 को निलंबित थीं। साथ ही उनमें दण्ड की लगभग रकम शामिल है।

निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या				अर्थदण्ड की लगभग रकम रुपए
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	
1951-52 और इससे पूर्व के वर्ष	151	112	668	44	88,07,547
1952-53 .	70	32	153	42	68,49,837
1953-54 .	85	36	159	42	19,71,465
1954-55 .	93	29	154	63	38,22,963
1955-56 .	83	31	157	80	14,38,428
1956-57 .	153	51	227	120	24,39,669
1957-58 .	266	88	339	206	32,42,405
1958-59 .	238	76	228	152	21,19,309
1959-60 .	251	77	229	209	16,34,380
1960-61 .	295	112	222	183	21,21,043
1961-62 .	463	125	457	265	21,38,630
	2,148	769	2,993	1,406	3,65,85,676

\*आंकड़े उसी प्रकार हैं जैसे मंत्रालय ने दिए हैं।

## 62. धोखेबाजियां और कर-अपवंचन\*

(1) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें 1966-67 के दौरान धारा 28(1)(ग)/271 (I) (ग) के अधीन जुर्माना किया गया था	29,294
(2) ऐसे मामलों की संख्या जिन में आय छिपाने पर मुकदमा चलाया गया था	13
(3) ऐसे मामलों की संख्या जिन में बिना मुकदमा चलाया ही निपटारा किया गया	..
(4) मद (1) में श मिल छिपाई गई आय	32,91,94,837 रु०
(5) मद (1) पर किए गए जुर्माने की कुल रकम	7,59,12,835 रु०
(6) मद (4) में छिपाई गई आय पर मांगा गया अतिरिक्त कर	11,52,99,074 रु०
(7) मद (2) के ऐसे मामले जिन में दोष सिद्ध करवाई गई	..
(8) मद (3) के मामलों की संख्या जिन में निपटारे की राशि लागू की गई	..
(9) मद (7) के मामलों में किस प्रकार की सजा दी गई	..

## 63. तलाशियां और जप्तियां\*

556 ऐसे मामलों में से जिन में पहली अप्रैल, 1964 से 31 अगस्त, 1965 के बीच तलाशियां, और जप्तियां की गईं, 246 मामलों में 31 अगस्त, 1967 तक निर्धारण पूरे कर लिए गए। पहली सितम्बर, 1966 से 31 अगस्त, 1967 के बीच की अवधि में 54 मामलों में निर्धारण पूरे किए गए जिससे 155.79 लाख रुपए की कर की मांग की गई और 9.36 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। 310 मामलों में 31 अगस्त, 1967 को कर निर्धारण निलम्बित है।

(ii) 1 सितम्बर, 1965 से 31 अगस्त, 1966 के बीच तलाशियों और जप्तियों के 221 मामलों में से 83 मामलों में अगस्त 1967 के अन्त तक निर्धारण पूरे कर लिए गए। पहली सितम्बर, 1966 से 31 अगस्त, 1967 के बीच की अवधि में 71 मामलों में 35.61 लाख रुपए के कर की मांग की गई और 0.77 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। 138 मामलों में 31 अगस्त, 1967 को निर्धारण निलम्बित है।

(iii) 1 सितम्बर, 1966 से 31 अगस्त, 1967 के दौरान 149 तलाशियां और जप्तियां की गईं। निम्नलिखित सारणी में अभिग्रहीत आभूषणों का मूल्य, नकदी आदि, पूरे किए गए निर्धारणों की संख्या और छिपाई हुई आय की रकम दी गयी है :—

(1) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिन में तलाशियां और जप्तियां की गईं	149
(2) जप्त आभूषणों, नकदी, करेंसी नोटों, हस्तान्तरणीय वचनपत्र (नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट) बहुमूल्य वस्तुओं आदि	86.39 लाख रु०

\*आंकड़े वही हैं जो मंत्रालय ने दिए हैं।

(3) ऐसे मामलों की कुल संख्या, जिन के निर्धारण पूरे कर लिए गए . . . . .	18
(4) मद (3) में निर्दिष्ट मामलों से संबद्ध छिपाई गई रकम . . . . .	14.44 लाख रु०
(5) मद (4) से संबद्ध कर की रकम . . . . .	8.07 लाख रु०
(6) उन मामलों में उगाहे गए जुर्माने की रकम जिन के निर्धारण पूरे हो गए हैं . . . . .	निलंबित
(7) मद (3) के मामलों में से ऐसे मामलों की संख्या जिन में मुकद्दमा चलाया गया था . . . . .	..
(8) मुकद्दमे का परिणाम . . . . .	..

#### 64. वितरित लाभांशों पर कम्पनियों द्वारा स्रोत पर कर की कटौती\*

(1) 1 अप्रैल, 1966 को कम्पनी निर्धारितियों की संख्या . . . . .	25565
1 अप्रैल, 1967 को कम्पनी निर्धारितियों की संख्या . . . . .	26395
(2) ऐसी कम्पनियों की संख्या जिन्होंने लाभांशों की घोषणा और भुगतान के लिए भारत में ही आवश्यक प्रबन्ध कर लिया था ।	
1 अप्रैल, 1966 को . . . . .	18623
1 अप्रैल, 1967 को . . . . .	19783
(3) ऐसी कम्पनियों की संख्या जिन्होंने 1966-67 के दौरान लाभांश वितरित किए थे . . . . .	7294
(4) ऊपर (3) में शामिल रकमें . . . . .	8118 लाख रु०
(5) ऊपर (3) में से ऐसे मामलों की संख्या जिन में नियम 37(2) में निर्धारित विवरण प्राप्त हुआ था . . . . .	5479
(6) ऊपर (5) में दिए विवरण में दिखाई गई कटौती की रकम . . . . .	2923 लाख रु०
(7) ऊपर (5) में दिए गए मामलों में से ऐसे मामलों की संख्या जिन में कटौती किए गए कर को बैंक में जमा किया गया . . . . .	4964
(8) ऊपर (7) में शामिल रकम . . . . .	2782 लाख रु०

\*आंकड़े वही हैं जो मंत्रालय ने दिये हैं ।

(9) ऊपर (7) में दिए गए मामलों में से ऐसे मामलों की संख्या जिन में कटौती किए गए कर को, कर की कटौती करने की या चालान प्राप्त होने की तारीख के एक सप्ताह बाद जमा कराया गया . . .

1189

(10) ऊपर (5) में दिए गए मामलों में से ऐसे मामलों की संख्या जहां धारा 286 में विहित विवरणियां नहीं प्राप्त हुई जब विवरणियां कम्पनियों के मामले में लाभांश की रकम 1 रुपए से अधिक होने पर और अन्य मामलों में 5000 रुपए से अधिक होने पर भेजी जानी चाहिए। . . .

93

(11) ऊपर (3) में दी गई कम्पनियों में से ऐसी कम्पनियां जिन्होंने न तो स्रोत पर ही कर की कटौती की है और न ही नियम 37 (2) में विहित विवरण ही दिया है . . . . .

254

65. ऐसे बकाया मामले जिनमें आयकर अधिनियम 1922/1961 की धारा 23क/104 के अधीन लाभांशों की विधिक प्रतिशतता वितरित न करने पर दण्डात्मक अधिकर/आयकर आयकर लागू किया जाना है।

(क) 1 अप्रैल, 1966 को निलंबित मामलों की संख्या . . . . .	2,454
(ख) 1966-67 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या . . . . .	2,217
(ग) 1966-67, के दौरान जोड़े गये मामलों की संख्या . . . . .	849
(घ) 31 मार्च, 1967 को निलंबित मामलों की संख्या . . . . .	1,086
(ङ) अतिरिक्त कर की लगभग रकम . . . . .	1,56,16,252 ₹०

[ऊपर की मद (घ) के अनुसार] सम्मिलित कर की रकम के साथ वर्षावार 31 मार्च,

1967 को निलंबित मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

निर्धारण वर्ष	सामलों की संख्या	सम्मिलित कर की रकम
		रुपए
1953-54 . . . . .	2	5,000
1954-55 . . . . .	2	15,000
1955-56 . . . . .	74	8,83,461
1956-57 . . . . .	79	8,99,000
1957-58 . . . . .	87	20,45,990
1958-59 . . . . .	112	21,15,800

\*आंकड़े वही हैं जो मंत्रालय ने दिए हैं।

निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या	सम्मिलित कर की रकम
1959-60	153	27,00,000
1960-61	148	12,32,300
1961-62	220	34,66,886
1962-63	59	14,25,187
1963-64	48	3,29,200
1964-65	36	2,53,100
1965-66	32	1,38,328
1966-67	34	1,07,000
जोड़	1086	1,56,16,252

## 66. धन की वापसियां\*

## (क) धारा 243 के अधीन धन की वापसियां

	आवेदनों की संख्या	रकम (हजार रुपयों में)
(1) पहली अप्रैल, 1966 को कितने धन की वापसी के आवेदन-पत्र और कितनी रकम निलंबित है	5731	94,03
(2) 1966-67 वर्ष के दौरान धन की वापसी के कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनकी रकम कितनी थी	88622	2,97,63
(3) 1966-67 वर्ष के दौरान कितने आवेदनों पर कितनी रकम वापसी की—		
(1) में से	5696	54,56
(2) में से	83140	2,44,65
(4) 1966-67 वर्ष के दौरान कितने मामलों में धन वापसी की और कितने व्याज की अदायगी की		
(1) में से	---	---
(2) में से	---	---

\* आंकड़े वही हैं जो मंत्रालय ने दिए हैं।

	आवेदनों की संख्या	रकम (हजार रुपयों में)
(5) कितने मामलों में तथा कितनी ऐसी धन-वापसियां की गईं जिन पर कोई ब्याज नहीं दिया गया	888 36	2,99,21
(6) 31 मार्च, 1967 को कितनी रकम के कितने आवेदन पत्र निलंबित पड़े हैं	5517	92,45
(7) ऊपर (6) में उल्लिखित मामलों का ब्यौरेवार विभाजन		
(i) 31 मार्च, 1967 को एक साल से कम अवधि की बकाया धन-वापसी	4995	68,54
(ii) 31 मार्च, 1967 को एक साल से दो साल के बीच की अवधि की बकाया धन वापसी	429	16,29
(iii) 31 मार्च, 1967 को दो साल या उससे अधिक अवधि की बकाया धन-वापसी	93	7,62

(ख) धारा 244 के अधीन धन की वापसियां

(1) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें 1 अप्रैल, 1966 को निर्धारणों के परिशोधन निलंबित थे		10,685
(2) ऐसे मामले जिनमें 1966-67 के दौरान निम्न-लिखित मामलों के सम्बन्ध में निर्धारणों का परिशोधन किया गया था।		
(i) 1 अप्रैल, 1966 को निलंबित मामले		9,415
(ii) ऐसे मामले जो 1 अप्रैल, 1966 से 31 मार्च, 1967 के बीच शुरू हुए		46,655
(3) ऊपर क्रम संख्या 2 (i) और 2 (ii) में दिए गए मामलों की संख्या और उनमें दी गई धन वापसी की रकम :		
2 (i) मामलों की संख्या		5,972
रकम हजार रुपयों में		1,40,21
2 (ii) मामलों की संख्या		30,849
रकम हजार रुपयों में		7,95,38

- (4) ऊपर क्रम संख्या 2 (i) और 2 (ii) में दिए गए मामलों की संख्या और उनके सम्बन्ध में दी गये ब्याज की रकम :

2 (i) मामलों की संख्या	40
रकम हजार रुपयों में	32,48
2(ii) मामलों की संख्या	1
रकम हजार रुपयों में	2

- (5) ऐसे मामलों की संख्या जिनका परिशोधन 1 अप्रैल, 1967 को निलंबित था :

(i) 1 अप्रैल, 1966 को निलंबित मामलों में से 1220

(ii) 1 अप्रैल, 1966 से 31 मार्च, 1967 के दौरान शुरू हुए मामलों में से 38 30

- (6) ऊपर की मद (5) का वर्षवार ब्यौरा :

1960-61	1
1961-62	7
1962-63	28
1963-64	42
1964-65	146
1965-66	996
1966-67	38 30

**पांचवां अध्याय**  
**अन्य राजस्व प्राप्तियां**  
**गृह मंत्रालय**

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से बिक्री कर प्राप्तियां

**67. बजट प्राक्कलनों और वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर**

1966-67 वर्ष के 13.08 करोड़ रुपए के बजट प्राक्कलनों के बजाए वास्तविक आंकड़े 15.58 करोड़ रुपए थे। इस प्रकार, 2.50 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। 1965-66 वर्ष में भी वास्तविक आंकड़े बजट प्राक्कलनों से 44 लाख रुपए अधिक आए थे (12 करोड़ रुपए के बजट प्राक्कलनों के बजाए वास्तविक आंकड़े 12.44 करोड़ रुपए आए थे)।

इस घटबढ़ का विश्लेषण प्रमुख लघुशीर्षों वार नीचे दिया है :

	1965-66			1966-67		
	बजट प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े	+ वृद्धि — कमी	बजट प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े	+ वृद्धि — कमी
(लाख रुपयों में)						
1. स्थानीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन प्राप्तियां	752.50	881.81	+129.31	885.00	1092.10	+207.10
2. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन प्राप्तियां	450.00	366.01	-83.99	425.00	467.36	+42.36
3. धन वापसी—घटाएँ	2.50	3.43	+0.93	2.50	1.66	-0.84
	1200.00	1244.39	+44.39	1307.50	1557.80	250.30

1966-67 में जो वृद्धि हुई वह मुख्य रूप से स्थानीय और केन्द्रीय बिक्री कर की दरों में वृद्धि के कारण हुई।



## 68. कर वसूली पर व्यय

1966-67 में समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान बिक्री कर वसूल करने के लिये किया गया खर्च नीचे दिया है। इन आंकड़ों में सेवाओं का व्यय अथवा सेवा विभागों द्वारा की गई पूर्तियों की लागत शामिल नहीं है।

वर्ष	सकल एकत्र रकम	वसूली पर व्यय	खर्च की प्रतिशतता
(लाख रुपयों में)			
1964-65	1114.45	16.47	1.48
1965-66	1247.82	18.29	1.47
1966-67	1559.42	24.42	1.57

## 69. देर से निर्धारण के कारण राजस्व की हानि

बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 की धारा 11 (2क) जिसका क्षेत्र बढ़ाकर संघ शासित क्षेत्र दिल्ली तक कर दिया गया है, के अधीन एक पंजीकृत व्यापारी के विरुद्ध बिक्री कर का निर्धारण निर्धारण-वर्ष के अन्त से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद या किसी अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों को क्रियान्वित करने या यदि निर्धारण इन अपीलीय आदेशों के कारण किया जाए तो अपीलीय आदेश की तारीख से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद निर्धारण नहीं किया जा सकता।

लेकिन ऐसा देखा गया कि 1953-54 वर्ष में दो व्यापारियों के विरुद्ध, 1956-57 में दो व्यापारियों के विरुद्ध और 1959-60 में एक व्यापारी के विरुद्ध निर्धारित समय की सीमा में निर्धारण/पुनर्निर्धारण पूरे नहीं किए गए। इसके कारण इन पांच मामलों में कुल मिलाकर 1.41 लाख रुपये की हानि हुई।

## 70. बिक्री कर का अ-निर्धारण

बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम 1941 जिसका क्षेत्र बढ़ा कर संघ शासित क्षेत्र दिल्ली तक कर दिया गया है, के अधीन यदि किसी व्यापारी को किसी भी अवधि में इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करना हो लेकिन वह अपना पंजीकरण न करवा सका हो तो जिस साल का या उसके किसी भाग का निर्धारण किया गया हो तो उस साल के अन्त से छः साल की अवधि के अन्दर-अन्दर उसका निर्धारण किया जा सकता है।

लेकिन यह देखा गया कि ऐसे व्यापारी का जिसे कर का भुगतान करना चाहिये था, पांच साल अर्थात् 1955-56 से 1959-60 तक कर के लिए निर्धारण नहीं किया गया, यद्यपि विभाग को व्यापारी की कर-देयता के सम्बन्ध में सितम्बर, 1957 में उसी समय पता चल गया था, जब उसने इस बारे में विभाग से पूछताछ की थी। 1960-61 से 1963-64 वर्षों के लिए (31 दिसम्बर 1963 तक) व्यापारी का निर्धारण किया गया था जिसके फलस्वरूप 31 मार्च, 1964 को 13,043 रुपये की कर की मांग की गई। अधिनियम के अधीन 1957-58 से 1959-60 वर्षों के दौरान बिक्री का निर्धारण भी उसी तारीख (31 मार्च, 1964) को किया जा सकता था, किन्तु उसे कालातीत

समझ कर कोई निर्धारण न किया गया। समय पर उचित कार्रवाई न करके व्यापारी का 1955-56 से 1959-60 के वर्षों के लिए निर्धारण न करने के कारण 22,701 रुपये के राजस्व की हानि हुई।

## 71. निर्धारण में देरी और उसके फलस्वरूप राजस्व की हानि

अफीम की बिक्री पर 1 अप्रैल, 1958 से बिक्री कर लागू हुआ था। 1958-59 वर्ष के दौरान नौ गैर-सरकारी लाइसेंस धारियों को अफीम की बिक्री के ठेके दिए गये। पहली अप्रैल, 1959 से दिल्ली में अफीम की बिक्री का काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।

लेकिन ऐसा देखा गया कि 1958-59 में की गई बिक्री के लिए विभाग ने नौ गैर-सरकारी लाइसेंस धारियों में से छः का निर्धारण नहीं किया और वे निर्धारण अब कालातीत हो गए हैं। इन मामलों में कितने कर-राजस्व की हानि हुई इसे निर्धारित नहीं किया जा सका, क्योंकि इन व्यापारियों की उस साल की कुल बिक्रियों का पता नहीं है। इन व्यापारियों द्वारा की गई बिक्री की रकम अवश्य ही कर योग्य रकम से कहीं अधिक होगी क्योंकि अफीम के ठेकों के लिए उन्होंने जो बोलियां दीं वे 12,800 से 55,600 रुपए के बीच थीं।

## 72. कर-राजस्व को सरकारी खाते में जमा करने में विलम्ब

दिल्ली बिक्री कर नियमावली, 1951 के नियम 40 के अधीन किसी व्यापारी द्वारा दी जाने वाली कर की रकम का भुगतान सरकारी खजाने में किया जाएगा और इन देय रकमों की अदायगी सम्बद्ध वार्ड के बिक्री कर अधिकारी के नाम स्थानीय बैंक की शाखा में रेखित चेक के द्वारा भी की जा सकती है। ये चेक बिक्री कर कमिश्नर, नई दिल्ली के कार्यालय की केन्द्रीय संग्रह शाखा के काउन्टर पर लिये जाते हैं।

केन्द्रीय खजाना नियमों के अधीन सरकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त अथवा उसको दिया गया सभी सरकारी धन बिना किसी प्रकार के अनावश्यक विलम्ब के खजाने में या बैंक में जमा कर दिया जाना चाहिये।

कुछ वार्डों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप ऐसा देखा गया कि बिक्री कर विभाग द्वारा प्राप्त किए गए चेक सरकारी खाते में जमा करने के लिए बैंक में तत्काल नहीं पेश किए गए। जांच करने पर यह मालूम हुआ कि अप्रैल, 1965 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त कुल 10,291 चेकों में से केवल 13.5 प्रतिशत चेक ही प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर भेजे गए थे। 90.88 लाख रुपए के मुल्य के बाकी 86.5 प्रतिशत चेकों को सरकारी खाते में जमा करने के लिये बैंक को भेजने में 4 से 60 दिन तक का समय लगा।

जो चेक बैंक से अस्वीकृत होकर लौट आए उन पर भी तुरन्त ध्यान नहीं दिया गया। 38,725 रुपये के ऐसे 78 मामलों में सम्बद्ध वार्डों को इन चेकों को देने में 4 से 176 दिन तक का समय लगा।

इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा है कि यह विलम्ब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक दिन में निर्धारित संख्या से अधिक चेक स्वीकार न करने के कारण हुआ और कि इस सीमा को बढ़ाने के लिये प्रयत्न जारी हैं। जहां तक बैंक द्वारा अस्वीकृत चेकों का संबंध है मंत्रालय ने बताया है कि संग्रहण शाखा के अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे बैंक द्वारा अस्वीकृत चेकों का प्राप्ति की तारीख के तीन दिन के अन्दर निपटान कर दिया करें।

## 73. कर मांगों की बकाया रकमें\*

1 अप्रैल, 1967 को कर की कुल बकाया माँग 149.56 लाख रुपये की थी (इसमें 141.30 लाख रुपये की रकम स्थानीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन और 38.26 लाख रुपये की रकम केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन थी)।

149.56 लाख रुपए की कर-माँग की कुल बकाया रकम में से केवल 34 मामलों में (जिनमें प्रत्येक मामले में 50,000 रुपए या इससे अधिक की कर की रकम देय है) 47.83 लाख रुपए की कर की रकम बकाया है जैसा कि नीचे दिया है :—

बकाया रकम की मांग	मामलों की संख्या	कुल बकाया रकम लाख रुपयों में
(क) ऐसे मामले जिनमें प्रत्येक में बकाया रकम 50,000 रुपए से अधिक है]	18	12.86
(ख) ऐसे मामले जिनमें प्रत्येक में बकाया रकम 1,00,000 रुपए से अधिक है	16	34.97
		47.83

विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 1967 को वसूल की जाने वाली 149.56 लाख रुपए की कुल बकाया रकम में से 57.33 लाख रुपए की प्रभावी वसूली योग्य बकाया रकम थी। बाकी 92.23 लाख रुपए की रकम निम्नलिखित मदों से सम्बद्ध है :

	स्थानीय	केन्द्रीय
	(लाख रुपयों में)	
(1) उच्च न्यायालय द्वारा रोकी गई वसूली की रकम.	8.52	1.49
(2) जिला न्यायाधीश द्वारा रोकी गई वसूली की रकम	0.90	1.53
(3) अपीलिय और परिशोधन प्राधिकारियों द्वारा रोकी गई वसूली की रकम	2.75	0.51
(4) किरातों में अदायगी की अनुमति दिए जाने के कारण बकाया रकम	4.61]	0.79
(5) ऐसे मामलों से सम्बद्ध रकम जिनमें दिवाला निकल गया है	1.37	1.99

\*आंकड़े वही हैं जो विभाग ने दिए हैं।

	स्थानीय (लाख रुपयों में)	केन्द्रीय
(6) ऐसी रकमें जिन्हें बट्टे खाते में डाले जाने की संभावना है .	33.45	0.89
(7) ऐसी रकमें जिनका समायोजन किया जाना है .	0.36	0.03
(8) फरवरी और मार्च, 1967 के दौरान की गई मांग, जिनके बारे में ऐसा बतया गया है कि वह 1 अप्रैल, 1967 को वसूली योग्य नहीं थीं .	21.66	11.38
<b>जोड़</b>	<b>73.62</b>	<b>18.61</b>

#### 74. बट्टे खाते डाली गई बिक्री कर की मांगें\*

1966-67 वर्ष के दौरान 1,17,534 रुपए की कर की मांग बारह मामलों में निम्नलिखित कारणों से बट्टे खाते में डाली गई :

	मामलों की संख्या	रकम रु०
(i) निर्धारिती के अपने पिछले व्यवसाय के स्थान पर और निवास स्थान के पते पर उपलब्ध न होने के कारण (जन्म स्थान का पता कहीं दर्ज नहीं किया गया )]	10	1,11,824
(ii) निर्धारिती उपलब्ध तो है लेकिन उनके पास कोई परिसम्पत्ति नहीं	1	5,411
(iii) निर्धारिती की मृत्यु हो चुकी है और वह कोई परिसंपत्ति नहीं छोड़ गए ।	1	299
	<b>12</b>	<b>1,17,534</b>

#### 75. कर-निर्धारण की बकाया रकमें\*

31 मार्च, 1967 को बिक्री कर अधिकारियों के पास ऐसे 68389 मामले बाकी पड़े थे जिनका निर्धारण निलंबित था । इन मामलों से सम्बद्ध कर की रकम का अनुदाजा नहीं लगाया जा सका । ये बकाया मामले नीचे दिए गए वर्षों से संबंधित हैं :—

वर्ष	बकाया रकमों का वर्ष वार विभाजन		
	स्थानीय	केन्द्रीय	जोड़
1963-64	5061	4179	9240
1964-65	11842	9617	21459
1965-66	20747	16943	37690
<b>जोड़</b>	<b>37650</b>	<b>30739</b>	<b>68389</b>

\*आंकड़े वहीं हैं जो विभाग ने दिए हैं ।

उन निर्धारणों की संख्या, जिन्हें पिछले तीन वर्षों में पूरा कर लिया गया और निलंबित किया गया, नीचे दी गई हैं :—

वित्त वर्ष	निपटान के निर्धारणों की संख्या		निपटान के कुल मामलों की संख्या	पूरे किए गए निर्धारणों की संख्या		कुल निपटान	निपटानों की प्रतिशतता	वर्ष के अंत में बाकी मामले	
	बकाया	चालू		बकाया	चालू				
1964-65	स्थानीय	21639	22587	44226	12535	7383	19918	45	24308
	केन्द्रीय	17285	16546	33831	8999	5043	14042	41.5	19789
1965-66	स्थानीय	24308	24420	48728	13956	6597	20553	42.18	28175
	केन्द्रीय	19789	18771	38560	10717	3999	14716	38.16	23844
1966-67	स्थानीय	28175	24426	52601	11755	4091	15846	30.12	36755
	केन्द्रीय	23844	19493	43337	8944	2516	11460	26.44	31877

(कालम 9 में दिए गए आंकड़े निपटान के लिए निर्धारणों की कुल संख्या के सम्बन्ध में निपटाए गए मामलों की प्रतिशतता बताते हैं)

प्रत्यक्ष जांच करते पर मालूम हुआ कि वास्तविक निलम्बनों की संख्या स्थानीय निर्धारणों के मामले में 37650 और केन्द्रीय निर्धारणों के मामले में 30739 थी।

**वित्त मन्त्रालय**  
(राजस्व विभाग)

76. आय कर और निगम कर के अलावा अन्य प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में कर मांगों और निर्धारणों आदि की बकाया रकमें ।

(1) सम्पदा शुल्क\*

(क) 31 मार्च, 1967 को 4312 मामलों में 9.21 करोड़ रुपयों की बकाया रकम है । वर्षवार बकाया रकम का विभाजन नीचे दिया है ।

वर्ष	मामलों की संख्या	बकाया मांग राशि (हजार रुपयों में)
1962-63 और इससे पहले के वर्षों में	498	18381
1963-64	289	5380
1964-65	464	6018
1965-66	816	17480
1966-67	2245	44806
जोड़	4312	92065

(ख) इसमें से 1.91 करोड़ रुपए की रकम उन 202 मामलों से सम्बन्धित है जिनके शुल्क का संग्रहण अपीलियों के कारण 30 जून, 1967 को रोक दिया गया था । विभिन्न अपीली प्राधिकारियों द्वारा रोके गए कर के व्यौरे नीचे दिए हैं :-

	उन मामलों की संख्या जिनके शुल्क का संग्रहण 30 जून, 1967 को रोक दिया गया था	30 जून, 1967 को रोकी गई शुल्क की रकम (हजार रुपयों में)
(क) सम्पदा शुल्क के अपीली नियंत्रक के समक्ष	142	9366
(ख) न्यायाधिकरणों के समक्ष	31	616
(ग) उच्च न्यायालयों के समक्ष	28	9068
(घ) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष	1	78
	202	19128

\*आंकड़े वही हैं जो मन्त्रालय ने दिए हैं ।

(ग) संपदा शुल्क अधिनियम के अधीन 30 जून, 1967 को 1210 अपीलें संपदा-शुल्क अपीली-नियंत्रक के पास पड़ी है । इनमें से 680 अपीलें 1966-67 में और 178 इससे पूर्व वर्षों में की गई । 30 जून, 1967 को निलंबित अपीलों का वर्षवार विभाजन नीचे दिया जा रहा है :—

जिस वर्ष में अपीलों की गई	30 जून, 1967 को निलंबित अपीलों की कुल संख्या
1962-63	5
1963-64	22
1964-65	34
1965-66	117
1966-67	680
1967-68	352
	जोड़ 1210

#### (घ) निर्धारण की बकाया रकमें

31 मार्च, 1967 को 9177 मामलों में संपदा शुल्क का निर्धारण होना बाकी था । इन निर्धारणों में रुकी हुई शुल्क की रकम लगभग 6.72 करोड़ रुपए बताई गई है । बकाया निर्धारणों का वर्षवार विभाजन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	निलंबित निर्धारणों की संख्या	शुल्क की लगभग रकम (हजार रुपयों में)
1962-63 और इससे पूर्व के वर्षों में	635	5196
1963-64	542	1811
1964-65	1169	2673
1965-66	2157	20250
1966-67	4674	37313
	जोड़ 9177	67243

## 2. सम्पत्ति कर\*

(क) 31 मार्च, 1967 को 7708 मामलों में 2.30 करोड़ रुपए की रकम, बकाया रकमों के रूप में, बाकी थी। बकाया रकम का वर्षवार विभाजन नीचे दिया है :—

वर्ष	मामलों की संख्या	31 मार्च, 1967 को बकाया मांग की रकम (हजार रुपयों में)
1962-63 और इससे पूर्व के वर्षों में	321	2245
1963-64	260	2061
1964-65	475	2658
1965-66	1094	3109
1966-67	5558	12961
जोड़	7708	23034

(ख) अपीलें/परिशोधन की याचिकाओं के कारण 30 जून, 1967 को 172 मामलों में 10.70 लाख रुपयों की कर की मांग की वसूली रोक दी गई थी। रोके गए कर का व्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

	ऐसे मामलों की संख्या जिन में 30 जून, 1967 को कर रोक दिया गया था	30 जून, 1967 को रोके गए कर की रकम (हजार रुपयों में)
(क) अपीलीय सहायक कमिश्नरों के समक्ष	155	470
(ख) न्यायाधिकरणों के समक्ष	5	33
(ग) उच्च न्यायालयों के समक्ष	5	560
(घ) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष	00	00
(ङ) कमिश्नरों के समक्ष पेश परिशोधन याचिकाएँ	7	7
जोड़	172	1070

(ग) 30 जून, 1967 को अपीलीय सहायक कमिश्नरों और सम्पत्ति-कर कमिश्नरों के पास 1208 अपीलें/परिशोधन याचिकाएँ निलंबित थीं। इसमें से 1966-67 में 690 और इसके पूर्व के

\*मंत्रालय द्वारा भेजे गए अनन्तिम आंकड़े।



वर्षों में 518 दी गई थीं। 30 जून, 1967 को निलंबित अपीलें। परिशोधन-याचिकाओं का वर्ष-वार विभाजन नीचे दिया है :—

वर्ष	अपीलीय सहायक कमिश्नरों के पास निलंबित अपीलें	30 जून, 1967 को कमिश्नरों के पास निलंबित परिशोधन- याचिकाएं
1957-58 . . . . .	6	1
1958-59 . . . . .	4	3
1959-60 . . . . .	5	3
1960-61 . . . . .	4	2
1961-62 . . . . .	5	4
1962-63 . . . . .	28	1
1963-64 . . . . .	43	13
1964-65 . . . . .	123	3
1965-66 . . . . .	265	5
1966-67 . . . . .	666	24
1967-68 . . . . .	..	..
	1149	59
जोड़ . . . . .	1149	59

(घ) सम्पत्ति-कर के निर्धारण के बकाया मामले

31 मार्च, 1967 को 39282 मामलों में सम्पत्ति-कर निर्धारण निलंबित था और इन निर्धारणों में कर की रकम लगभग 252.77 लाख रुपए बताई गई है। बकाया मामलों का वर्ष-वार विभाजन नीचे दिया है :—

वर्ष	31 मार्च, 1967 को निलंबित निर्धारणों की संख्या	कर की लगभग रकम जो इन निर्धारणों में शामिल है (आंकड़े हजार रुपयों में)
1962-63 और इससे पूर्व के वर्षों में	2981	3878
1963-64 . . . . .	1782	2428
1964-65 . . . . .	4757	3506
1965-66 . . . . .	10804	6182
1966-67 . . . . .	18958	9283
	39282	25277
जोड़ . . . . .	39282	25277

## 3. उपहार-कर\*

(क) 31 मार्च, 1967 को 5107 मामलों में 1.28 करोड़ रुपए, बकाया रकम के रूप में बाकी थे। वर्षवार बकाया रकमों का व्यौरा नीचे दिया है:—

वर्ष	मामलों की संख्या	31 मार्च, 1967 को बकाया मांग की रकम (हजार रुपयों में)
1962-63 और इससे पूर्व के वर्षों में	483	380
1963-64 . . . . .	280	516
1964-65 . . . . .	562	2480
1965-66 . . . . .	1197	2804
1966-67 . . . . .	2585	6664
जोड़ . . . . .	5107	12844

(ख) अधीनों/परिशोधन-याचिकाओं के कारण 30 जून, 1967 को 115 मामलों में 20.54 लाख रुपयों के कर की मांग की वसूली रोक दी गई। रोके गए कर का व्यौरा नीचे दिया है :

एसे मामलों की संख्या जिनमें 30 जून, 1967 को कर की वसूली रोक दी गई थी

(क) अधीनीय सहायक कमिश्नरों के समक्ष . . . . .	79	799
(ख) न्यायाधिकरणों के समक्ष . . . . .	8	270
(ग) उच्च न्यायालयों के समक्ष . . . . .	22	805
(ख) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष . . . . .	..	..
(ड.) कमिश्नरों के समक्ष पेश परिशोधन-याचिकाएं . . . . .	6	180
जोड़ . . . . .	115	2054

\*आंकड़े वहीं हैं जो मंत्रालय ने दिये हैं।

(ग) 30 जून, 1967 को 982 अपीलें/परिशोधन याचिकाएं अपीलीय सहायक कमिश्नरों और उपहार कर के कमिश्नरों के पास निलंबित थीं। इसमें से 435, 1966-67 में और 341 इससे पूर्व के वर्षों में दी गई थीं। 30 जून, 1967 को निलंबित अपीलों और परिशोधन-याचिकाओं का वर्ष-वार विभाजन नीचे दिया जा रहा है :-

वर्ष	30 जून, 1967 को अपीलीय सहायक कमिश्नरों के पास निलंबित अपीलों	30 जून, 1967 को कमिश्नरों के पास निलंबित परिशोधन याचिकाएं
1959-60	2	..
1960-61	3	..
1961-62	2	..
1962-63	8	7
1963-64	14	1
1964-65	56	12
1965-66	213	23
1966-67	414	21
1967-68	201	5
जोड़	913	69

#### (घ) निर्धारणों के बकाया

31 मार्च, 1967 को 6478 मामलों में उपहार-कर निर्धारण निलंबित था और इन निर्धारणों में कर की लगभग 36.31 लाख रुपए की रकम शामिल थी। बकाया निर्धारणों का वर्ष-वार विभाजन नीचे दिया है :-

वर्ष	31 मार्च, 1967 को निलंबित निर्धारणों की संख्या	कर की लगभग रकम जो इन निर्धारणों में शामिल है (हज़ार रुपयों में)
1962-63 और इससे पूर्व के वर्षों में	309	294
1963-64	265	209
1964-65	897	673
1965-66	2276	813
1966-67	2731	1642
जोड़	6478	3631

## (ग) जालसाजियां और कर-अपवंचन

(i) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें 1966-67 में उपहार-कर अधिनियम की धारा 17 (i) (ग) के अधीन दंड दिया गया	20
(ii) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें उपहार को छिपाने के आरोप में मुकदमा चलाया गया	कुछ नहीं
(iii) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें बिना मुकदमा चलाए निपटारा कर लिया गया	कुछ नहीं
(iv) मद (i) में शामिल छिपाये गये उपहार कर मूल्य	9,23,079 रु०
(v) मद (i) पर कुल कितना दण्ड किया गया	30,116 रु०
(vi) मद (i) में छिपाये गए उपहार पर अतिरिक्त कर की मांग की गई	79,215 रु०
(vii) मद (ii) के ऐसे मामले जिनमें दोष सिद्ध करवाई गई	कुछ नहीं
(viii) मद (iii) के मामलों में समझौते से तय धन की उगाही की गई	कुछ नहीं
(ix) मद (vii) के मामलों में किस प्रकार की सजा दी गई	कुछ नहीं

हस्ताक्षर  
दयाल दागार

नई दिल्ली;

तारीख 17-12-1968

महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व

इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय मैने निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा, इस रिपोर्ट के प्रारम्भ में दिए प्रमाणपत्र को ध्यान में रखा है।

हस्ताक्षर  
दयाल दागार

नई दिल्ली,

तारीख 17-12-1968

महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,

तारीख 18-12-1968

हस्ताक्षर  
सुनाथन

भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

केन्द्रीय सरकार लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सिविल) राजस्व प्राप्तियां

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
ख	4	—	ग
ग	2	क	के
3	9	वकासिक	वैकासिक
4	5	VIII	LVIII
13	5	पालसियों	पालिसियों
13	14	कारण है।	कारण।
17	23	होता है।	होता है
17	30	मशीन था	मशीन थी
18	2	के गरी	के जारी
18	4	वचार	विचार
18	7	14-घ	14 घ
18	25	दा है	दी है
22	25	अतिमूयन	अतिमूल्यन
23	4	स्पष्टीकरण	स्पष्टीकरण
23	4	काउंटर	काउंटर
23	13	72.01	71.01
24	8	प उत्पादन	पर उत्पादन
24	9	केरड़	करोड़
26	36	नहीं	न ही
27	6	टैरिफ	टैरिफ
27	10	रियाती	रियायती
27	11	इसको	यह
27	21	इस	इसे
28	10	रिंग	रंग
28	11	लाइसेंस	लाइसेंस
28	23	ऐस	ऐश

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
28	24	ऐस	ऐश
28	31	ऐस	ऐश
28	34	खप	खपत
29	6	की मतों	कीमतों
29	14	यथोजित	यथोचित
30	11	नाइट्रोसेथलौस	नाइट्रोसेल्यूलोस
30	28	पोलिस्टर रमिर	पोलिस्टर पालिम
30	29	अर	और
31	1	गंजइश	गुंजाइश
31	4	लाभत्व	लाभतत्व
31	11	रेजिनों	रेजिनों
31	25	रेसिनो	रेजिनों
31	30	वचिते	वाचित
32	33	लाग	लागू
35	10	देरों	दरो
35	23	कार्यारी	कार्यकारी
35	28	पूरी	भूरी
36	29	अगले	अगले
37	6	अविनिमित	अविनिमित
37	14	लोहा	लोहा
39	22	व्याव यिक	व्यावसायिक
41	24	के खण्ड	की धारा
44	11	खण्ड	धारा
44	22	को खण्ड	की खण्ड
45	3	नहीं	न ही
45	15	लिए	के लिए
45	23	मूल ह्वास	मूल्यह्वास
45	25	हासित	ह्वासित
45	32	जिसमें	जिनमें
46	1	पूजीत	पंजीकृत
46	22	संयंत्र	संयंत्र
47	14	निर्माणधीन	निर्माणाधीन

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
50	5	की गई कि ।	की गई ।
51	8	म	में
51	8	रुपए का	रुपए की
52	1	छट	छूट
52	22	आय में	आय
53	33	प्रदत्त जी	प्रदत्त पूंजी
54	3	पूंजी	पूंजी
54	14	टूट-फूट	टूट-फूट
54	17	ह्लासयोथ	ह्लासयोग्य
55	9, 10	रुपए के धन की	रुपए की
55	10	पर उसकी	पर
55	20	संख्या	संस्था
55	22	भगतान	भुगतान
56	1	अधिका ी	अधिकारी
56	22	व्याति	व्याप्ति
61	2	ौरान	दौरान
62	22	भजी	भेजी
62	23	परिशोधन	परिशोधन की
66	9	अर्वा	अवधि
67	6	चलाया	चलाए
67	8	शमिल	शामिल
69	19	वर्षावार	वर्षवार
75	26	मुल्य	मूल्य
77	16	दज	दर्ज
82	1	अपीलों	अपीलों ।
82	23	विमाचन	विभाजन

L.I.B: 1059/71 P3

राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत :  
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA:

परिरक्षण शाखा  
PRESERVATION BRANCH

मिलने की तारीख  
Received

मरम्मत को देने की तारीख  
Given Out

28-6-72

मरम्मत के बाद वापस आने  
की तारीख  
Received back after  
repairs

लौटाने की तारीख  
Returned

हवाला  
Reference:

खरका नौकर (सिद्दीक)

राजस्थान प्रशासन

पृष्ठ संख्या 1-88  
No. of pages

पृष्ठों पर संख्या डालने वाले  
का नाम  
Paginated by D.S.

क्या काम दिया गया :-  
Work done:-

मरम्मत करने वाले के  
हस्ताक्षर  
Signature of  
Repairer

जिल्द बांधने वाले  
के हस्ताक्षर  
Signature of  
Binder

जांच करने वाले  
के हस्ताक्षर  
Signature  
of Checker

XXXXXXXXXXXX

499 sheets

4/71



Price Inland: Rs. 3.10 P.

Foreign: 7s. 3d. or 1\$ 12 Cents.



Comptroller and Auditor General of India

1968



